

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये



संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2016 की संख्या 29

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d
dk i fronu

ekpZ 2015 dks I eklr o"kl ds fy; s

I æk I j dkj
(I ækj , oa I wuk i kS| kfxdh {ks=)
2016 dh I a[; k 29

fo"k; l ph

fooj.k	i jkxkQ	i "B
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
v/; k; I: i Lrkouk		
इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.3	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा	1.4	1
बजट और व्यय नियंत्रण	1.5	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल)	1.6	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (वाणिज्यिक)	1.7	13
v/; k; II: nj l pkj foHkkx		
अवास्तविक/दोहरे दावों पर सब्सिडी का भुगतान	2.1	15
वैश्विक सेवा प्रदाता को सब्सिडी का अनियमित भुगतान	2.2	17
मैसर्स स्टारलाइट प्रौद्योगिकी लिमिटेड (एस टी एल) के द्वारा अप्राधिकृत दूरसंचार सेवा	2.3	18
v/; k; III: Mkd foHkkx		
डाक जीवन बीमा (पी एल आई) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) की निधि के निवेश का प्रबन्धन	3.1	21
डाक विभाग (डा वि) में भूमि के खाली प्लॉटों का प्रबन्धन	3.2	34
बिल मेल सेवा के नियमों के गैर-अनुपालन के कारण राजस्व की कम वसूली	3.3	39
अस्वीकृत चैकों (डिसओनर्ड चैक) की राशि की गैर-वसूली	3.4	41
सर्विस चार्ज की गैर-वसूली	3.5	43
v/; k; IV: byDVklludh rFkk l phuk çkSj kfxdh foHkkx		
स्टैंडरडाइजेशन टेस्टिंग एवं क्वालिटी सर्टिफिकेट डाइरेक्टरेट (एस टी क्यू सी) द्वारा भवन निर्माण परियोजना के लिए अनुपयुक्त एजेंसी का चयन	4.1	45
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट, हैदराबाद से ई-भारत प्रोजेक्ट के लिए अप्रयुक्त अनुदान और उस पर ब्याज की गैर-वसूली	4.2	47
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च (पी जी आई एम ई आर) चण्डीगढ़ के कम्प्यूटरीकरण के लिए अविवेकी बोली और संविदा	4.3	49

मीडिया लैब एशिया को बजटीय सहायता की अनियमित निरन्तरता	4.4	52
साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण के प्राथमिक कार्य को न करना	4.5	56
साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्कस आफ इण्डिया (एस टी पी आई) द्वारा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई आर पी) परियोजना पर निष्फल व्यय	4.6	57
v/; k; V: eky; ds vlrkr l koIfud {k= ds mi Øe		
भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) द्वारा नेटवर्क उपकरणों की अविवेकपूर्ण खरीद	5.1	59
शार्ट मैसेज सर्विस टर्मिनेशन प्रभार की गैर-बिलिंग	5.2	61
मल्टी प्रोटोकाल लेवल स्विचिंग (एम पी एल एस) लिंक के बिलिंग में देरी	5.3	64
ifj'k"V vkj vuyxud		
अप्रैल 2016 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विभागों से प्रतीक्षित, की गई कार्यवाही टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	परिशिष्ट I	67
अप्रैल 2016 तक दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से प्रतीक्षित, की गई कार्यवाही टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	परिशिष्ट II	68
मैक केमिश्न के दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि राशि को दैनिक आधार पर निवेश नहीं करने का विवरण	अनुलग्नक I	69
31 मार्च 2015 तक डाक विभाग के स्वामित्व में भवनों का विस्तृत विवरण	अनुलग्नक II	70
डाक विभाग के पास खाली प्लॉटों (भूमि) का विस्तृत विवरण	अनुलग्नक III	71
अतिक्रमित प्लॉटों का विस्तृत विवरण	अनुलग्नक IV	72
डाक विभाग द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिये पट्टे पर लिये गये खाली प्लॉटों का विस्तृत विवरण	अनुलग्नक V	73
₹ 2.74 करोड़ की राशि की कम वसूली का विवरण	अनुलग्नक VI	74
वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "ई-भारत परियोजना" तैयारी सुविधा के सम्बन्ध में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेन्ट, हैदराबाद द्वारा डी ई आई टी वाई को बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया, का विवरण	अनुलग्नक VII	75

i kDdFku

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है; प्रतिवेदन का अध्याय V जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित है, उसे 1984 में यथा संशोधित, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रालय के अन्तर्गत विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत की गयी अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो कि 2015-16 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा वे भी हैं जो कि पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये, किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

fogækoÿkødu

यह प्रतिवेदन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है। इसमें पांच अध्याय हैं। अध्याय-I में लेखा परीक्षित इकाई की रूपरेखा, खर्च का विश्लेषण, विभागों के वित्तीय निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही सन्निहित है। अध्याय-II से अध्याय-V, क्रमशः संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्भूत निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ नीचे दिये गये हैं:

v/; k; - II nj l økj foHkx (n w fo)

vokLrfod@nkgjs nkoka i j l fcl Mh dk Hkørkø

नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले) राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल ने वर्ष 2008-2010 की अवधि में मैसर्स टाटा टेलि सर्विसेज़ लिमिटेड (टी टी एस एल) के द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर ₹ 71.49 करोड़ के फ्रंट लोडेड सब्सिडी की सब्सिडी वितरण के पूर्व ग्राहक आवेदन पत्रों (सी ए एफ) की सत्यता जांच किये बिना, अनुमति दे दी। आगे, ओडिशा और केरल परिमण्डलों के नि सं ले ने दोहरे दावों पर ₹ 0.82 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान बी एस एन एल और रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड को किया।

ijktQ 2.1

eñ l l LVjykbV i kS| kfxdh fyfeVM ¼, l Vh , y½ ds }kjk vi kf/kd'r nj l økj l øk

एस टी एल एक अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (अ प्र-I) पंजीकृत कम्पनी, जो कि केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता के लाइसेंस धारकों की अवसंरचना समर्थन के लिये प्राधिकृत थी, अ प्र-I पंजीकरण के कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कर रही थी। यद्यपि, टर्म सैल, पुणे द्वारा डी ओ टी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया, एक वर्ष के बाद भी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

ijktQ 2.3

v/; k; - III Mkd foHkkx (Mk fo)

Mkd thou chek (ih ,y vkb) ,oa xkeh.k Mkd thou chek (vkj ih ,y vkb) dh fuf/k ds fuos'k dk izl/ku

पी एल आई एवं आर पी एल आई निधि प्रबन्धन, कमियों जैसे रोज के शुद्ध वृद्धि के आधार पर और मासिक निवेश योग्य निधि के आधार पर भी, निवेश योग्य निधि के गलत निर्धारण से कुप्रभावित रही। निवेश में देरी, ₹ 984 करोड़ की सम्भावित आय की हानि में परिणामित हुई। भारत सरकार के स्पेशल सेक्युरिटी फ्लोटिंग रेट बांड (जी ओ आई एस एस एफ आर बी) से आय के पुनर्वनिवेश में देरी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) के पालन न करने और सेन्चैट क्रेडिट के उपयोग न करने के उदाहरण संज्ञान में आये।

ijktQ 3.1

Mkd foHkkx ea Hkfe ds [kkyh lykVka dk izl/ku

विभाग ने भूमि प्लॉटों को प्राप्त करने/खरीदने के पहले वास्तविक आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। दिसम्बर 2015 को इसके पास ₹ 209.55 करोड़ मूल्य के 6.77 लाख वर्गमीटर के 472 खाली फ्रीहोल्ड प्लॉट थे। डाक भवन/कर्मचारी क्वार्टर्स बनाने के लिए 1978 से पूर्व अधिगृहीत किये गये 4.08 लाख वर्गमीटर के 100 प्लॉट अभी तक खाली थे तथा 2014 तक ₹ 3.37 करोड़ पट्टा किराये के मद में भुगतान किया गया। ₹ 13.94 करोड़ मूल्य के 3.24 लाख वर्गमीटर के 241 प्लॉट अतिक्रमित थे। यथोचित सावधानी वाले कदम उठाने में विभाग की विफलता से न केवल अतिक्रमण में परिणामित हुआ बल्कि इससे अनावश्यक मुकदमा भी हुआ, जिसे टाला जा सकता था।

ijktQ 3.2

vLohdr p'dka (fml vkuMZ p'd) dh jkf'k dh xj-ol yjh

आंध्र प्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड डाक परिमण्डलों में मुख्य डाकघरों एवं मण्डलीय कार्यालयों में प्रभावी कार्यवाही के अभाव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम जी एन आर ई जी एस) के अन्तर्गत वेतन के भुगतान के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त ₹ 11.62 करोड़ के 1,364 अस्वीकृत चेकों की गैर-वसूली में परिणामित हुई।

ijktQ 3.4

v/; k; - IV byDVkklud o l ipuk i kfkfxdh foHkkx (Mh bl vkbZ Vh okb)

LVS Mj Mkbts ku VflVx , D DokfyVh l fVfQdV MkbjDVjV (, l Vh D; w l h) }kj k Hkou fuekZk ifj; kustuk ds fy, vuq; Pr , t h dk p; u

एस टी क्यू सी ने उनकी टेक्नो कामर्शियल सक्षमता को परखे बिना भवन निर्माण का कार्य साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्कस आफ इण्डिया (एस टी पी आई) को देने का निर्णय लिया। एस टी पी आई के पास कोई सिविल इंजीनियरिंग विंग नहीं थी और अपने ठेकेदार एवं वास्तुकार को ठीक से सम्भाल न सके और कार्य को पूरा किये बिना ही छोड़ दिया। इससे जून 2016 की स्थिति के अनुसार एस टी क्यू सी को भूमि आवंटन के 14 वर्ष के उपरान्त भी निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसका यह भी परिणाम हुआ कि परियोजना पर ₹ 9.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ एवं एस टी पी आई के पास ₹ 3.47 करोड़ का अवरोधन हुआ।

ifkxtQ 4.1

uskuy blVhV; W vkQ LekVl xouebV, ghjkckn l s b&Hkkjr i kstDV ds fy, viz; Pr vunku vkj ml ij ; kt dh xj&ol yh

डी ई आई टी वाई ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एन आई एस जी) को ई-भारत परियोजना तैयारी सुविधा के क्रियान्वयन के लिए ₹ 10.50 करोड़ का अग्रिम दिया। एन आई एस जी के परियोजना को क्रियान्वित करने में असफल रहने पर डी ई आई टी वाई ने विश्व बैंक से साहयता प्राप्त एक अन्य परियोजना “इण्डिया ई-डिलीवरी आफ पब्लिक सर्विसेस” जो कि पुनः एन आई एस जी द्वारा क्रियान्वित की जानी थी, के लिए ₹ 3.36 करोड़ की राशि विपथित की और अप्रयुक्त अनुदान की ₹ 0.78 करोड़ की राशि एन आई एस जी के पास छोड़ते हुए ₹ 6.36 करोड़ एन आई एस जी द्वारा डी ई आई टी वाई को वापस किये गये। डी ई आई टी द्वारा अप्रयुक्त अनुदान पर दिनांक 31 जनवरी 2016 तक ₹ 7.77 करोड़ ब्याज की राशि भी एन आई एस जी से वसूल नहीं की गयी।

ifkxtQ 4.2

i kLV xstq V blVhV; W vkQ efMdy , tps ku , oa fj l pl (i h th vkbZ , e bl vkj) p. Mhx<+ ds dEl; Wjhdj .k ds fy, vfooxdh cksyh vkj l fonk

सी-डैक नोयडा के अविवेकी बोली और संविदा के कारण “पी जी आई एम ई आर चण्डीगढ़ के कम्प्यूटरीकरण” परियोजना के विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन में देरी हुई जिसके लिए पी जी आई एम ई आर ने ₹ 4.28 करोड़ का भुगतान रोका। इसके अलावा सी-डैक नोयडा ने कार्य की मात्रा के समुचित आंकलन के बिना इलेक्ट्रिक केबिलिंग कार्य हेतु बोली में ₹ 24.20 लाख की एक मुश्त राशि उदघृत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़ के कुल किये गये कार्य के विरुद्ध पी जी आई एम ई आर ने ₹ 24.20 लाख के दावे स्वीकार किये जिससे ₹ 2.94 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

ifkxtQ 4.3

I kbcj vihyh; U; k; kf/kdj.k }kjk idj.kka dh I ukobz , oa fuLrkj.k ds ikFkfed dk; I dks u djuk

जुलाई 2011 से साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति न होना साथ ही न्यायाधिकरण के सदस्यों को बेंच के गठन और अपीलों के निस्तारण हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रावधानों की कमी के कारण इसके गठन का मूल उद्देश्य असफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के लिए जिसमें मार्च 2016 तक की अपील के 66 मामले लम्बित होने के बावजूद एक भी प्रकरण की सुनवाई या निस्तारण नहीं हुआ, वेतन एवं अन्य स्थापना पर ₹ 27.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ijktQ 4.5

v/; k; -v ea=ky; ds vlrkr I koftud {k= ds mi Øe

eI I I Hkkjr I pkj fuxe fyfeVM (ch , l , u , y) }kjk uVodl mi dj.kka dh vfooxdi wkz [kjhn

डिजिटल क्रास कनेक्ट सिस्टम उपकरणों की खरीद में बी एस एन एल की अविवेकपूर्ण कार्यवाही के फलस्वरूप इंटरफेस कार्ड निष्क्रिय हुए और दो परियोजना परिमण्डलों में ₹ 22.80 करोड़ की पूंजी अवरूद्ध हुई।

ijktQ 5.1

'kkVz eI st I foI (, l , e , l) VfeLusku i Hkkj dh xj&fcfyx

बी एस एन एल ने एस एम एस टर्मिनेशन चार्ज की बिलिंग के लिए बिना तकनीकी व्यवस्था के तीन दूर संचार सेवा प्रदाताओं यथा भारती एअरटेल, आइडिया सेलुलर एवं वोडाफोन के साथ एस एम एस के आई यू सी के लिए “एडेण्डा टु इन्टरकनेक्ट एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर किये। एस एम एस डाटा को संरक्षित, सत्यापन एवं भारती एअरटेल तथा वोडाफोन से प्राप्त बिलों (दावों) के मिलान न करने के कारण, बी एस एन एल एकतरफा दायित्व के लिए सामने आ गयी।

ijktQ 5.2

eYVh i kMkdky yoy fLofpX (, e i h , y , l) fyad ds fcfyx ea njh

दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र (एस टी आर), बी एस एन एल ने एम एच आर डी को, एम पी एल एस से नेशनल नालेज नेटवर्क (एन के एन) प्वाइंट आफ प्रजेस (पी ओ पी) तक प्रदान किये गये 1जी बी पी एस ई लिंक का बिल जारी नहीं किया। इसके कारण ₹ 6.07 करोड़ के बकाये का संचयन हुआ।

ijktQ 5.3

v/; k; -I i Lrkouk

1.1 bl ifronu ds l EclU/k e

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी), भारत सरकार एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से सम्बन्धित वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित है।

यह अध्याय विभागों और सम्बन्धित संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सार के साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी) के अधीन विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। इस अध्याय में मंत्रालय के अधीन इन विभागों और पी एस यू के लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों की अनुवर्ती कार्यवाही भी सम्मिलित है। अध्याय II से V मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित हैं।

1.2 ys[kki jh{kk grq i kf/kdkj

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 तथा सी ए जी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिया गया है। सी ए जी, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी ए जी के (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13¹ और 17² तथा पी एस यू की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19 के तहत करता है।

1.3 ys[kki jh{kk dh ; kstuk vkj l pkju

सी ए जी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपादित सिद्धान्तों और व्यवहारों के अनुरूप लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मंत्रालय/विभागों के जोखिम के आँकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा तय की जाती है।

1.4 ys[kki jhf{kr bdkb; ka dh #i js[kk

1.4.1 njl pkj foHkkx (Mh vks Vh)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार³ है। विभाग आवृत्ति का आबंटन भी करता

¹ (i) भारत के समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से सम्बन्धित सभी लेन-देन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखे, तुलनपत्र तथा अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा

² संघ अथवा राज्य के किसी विभाग अथवा कार्यालय में रखे गये भण्डार एवं स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रतिवेदन

³ डी ओ टी का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन

है और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबन्धन करता है। यह बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के अनुसार, विभाग विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में मूलभूत व मूल्यवर्धित सेवाएं देने हेतु ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

► 0; ; fo' y\$kk.k

डी ओ टी के 2014-15 और पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका-1 में दी गई है:

rkfydk-1
Mh vks Vh ds jktLo vks 0; ;

(₹ djkm+ e)

fooj .k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व	1,20,547.63	17,400.92	18,902.00	40,113.76	30,624.18
व्यय	10,370.26	8,692.16	9,273.38	10,835.57	13,026.14

(स्रोत: डी ओ टी के विनियोग एवं वित्तीय लेखे)

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

rkfydk -2
i klr ykbl d 'kY'd vks Li DV'e mi ; ksx i Hkkjka dk fooj .k

(₹ djkm+ e)

fooj .k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लाइसेंस शुल्क	10,286.43	11,790.93	11,456.48	14,628.47	12,358.29
स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार	3,432.47	5,192.30	5,679.19	6,883.67	1,7841.93 ⁴
नीलामी राजस्व	1,06,264.73	-	1,722.24	18,267.18	-

(स्रोत: 2015-16 के लिए डी ओ टी का वार्षिक प्रतिवेदन)

दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2010-11 तथा 2013-14 के दौरान, विभाग की आय में वृद्धि हुई जोकि इन वर्षों में आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुई प्राप्ति के कारण थी। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग का व्यय विगत चार वर्षों के दौरान स्थिर रूप से बढ़ा।

► nijl pkj {ks= dh l f{klr #ijs[kk

दूरसंचार, देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान एक असाधारण वृद्धि देखी। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 846.32 मिलियन से बढ़कर 996.49 मिलियन हुई। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए समग्र विकास की स्थिति नीचे तालिका-3 में दी गई है।

⁴ ₹ 17,841.93 करोड़ के स्पेक्ट्रम उपयोग चार्ज में नीलामी फीस भी सम्मिलित है।


rkfydk-3
nj l pkj {ks= ea of) dh fLFkfr

o"z	mi HkkDrk (fey; u e)					l pkj ?kuRo (i fr'kr e)		
	dy	xkeh.k	'kgjh	ok; jykbu	ok; jydl	l exl	xkeh.k	'kgjh
2010-11	846.32	282.24	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55
2012-13	898.02	349.22	548.80	30.21	867.81	73.32	41.02	146.96
2013-14	933.00	377.74	555.26	28.49	904.51	75.23	43.96	145.78
2014-15	996.49	419.31	577.18	26.60	969.89	79.38	48.37	148.61

(स्रोत: ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन 2010-11 से 2014-15)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उपभोक्ता आधार के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शायी गयी है:

mi HkkDrk vk/kkj ea of) & futh cuke l ko'fud {ks= ds mi Øe
mi Ø'Drkv'adh l j[; k (fey; u e)



(स्रोत: ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन)

जैसा कि ऊपर ग्राफ से स्पष्ट है, कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में जोकि पिछले चार वर्षों के दौरान अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शा रही है, निजी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ता आधार महत्वपूर्ण है।

➤ {ks= dk fu; ked <kpk

Hkkj rh; nj l pkj fu; ked i kf/kdj .k (V'kb)

ट्राई की स्थापना, दरों में निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, जो पहले केन्द्र सरकार में निहित था, हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं को एक समान अवसर प्रदान करें, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करें तथा सभी को प्रौद्योगिकी लाभ दिलाने वाला हो। ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई को अधिकार दिया गया है

- लाइसेंस के नियमों व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले सेवा गुणवत्ता का मानक निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- टैरिफ पालिसी निर्धारित करना एवं नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तों तथा सेवा प्रदाता को लाइसेंस के लिये नियम व शर्तों की अनुशंसा करना;
- टैरिफ पालिसी की मॉनिटरिंग, वाणिज्यिक तथा अंतःसंयोजन के तकनीकी पहलुओं से संबंधित मामलों पर विचार व निर्णय;
- काल राउटिंग एवं काल हैंडओवर के सिद्धांत;
- जनता के लिये विभिन्न सेवा प्रदाताओं में चुनने की स्वतंत्रता एवं आसान पहुँच;
- बाजार विकास तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिये विविध नेटवर्क ढांचों के कारण उत्पन्न संघर्ष का समाधान;
- विद्यमान नेटवर्क व प्रणालियों को और उन्नत करने की आवश्यकता; और
- सेवा प्रदाताओं में बातचीत तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत के लिए फोरम विकसित करना;

सरकार के दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना द्वारा ब्राडकास्टिंग सेवाओं एव केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा मानते हुए ट्राई के अन्तर्गत लाया गया। ट्राई के लिए आवश्यक है कि वह या तो स्वयं या फिर लाइसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अथवा सूचना व प्रसारण मंत्रालय से केबल सेवाओं के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर, सिफारिशें दे।

njl pjk fookn fui Vku vkj vi hyh; U; k; kf/kdj .k (Vh Mh I S/)

एक लाइसेंस प्रदाता और एक लाइसेंस धारक के मध्य, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए तथा ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुनवाई और अपील के निपटान के लिए टी डी सैट की स्थापना ट्राई अधिनियम में 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक संशोधन के जरिए हुई थी।

➤ njl pjk foHkkx dh egRoI w kZ bdkb; k;

दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार प्रवर्तन एवं संसाधन अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए), वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार अभियंत्रिकी केन्द्र (टी ई सी), राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान संस्थान (एन टी आई), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एन आई सी एफ) तथा टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) इकाई है, शामिल हैं।

➤ I koHkkfEd I ok nkf; Ro fuf/k (; w , I vks Q.M)

ग्रामीण दूरभाष को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड) का गठन किया। यू एस ओ की आवश्यकताओं हेतु स्रोत सार्वभौमिक अभिगम उदगृहण (यू ए एल), जो कि विभिन्न लाइसेंसों के अर्न्तगत सभी संचालकों द्वारा अर्जित राजस्व का प्रतिशत था, से जुटाए जाने थे। भारतीय तार अधिनियम, 2003 के पैरा 9बी के अनुसार, यू एस ओ फण्ड के लिये प्राप्त धन राशि को पहले भारत

की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त कानून द्वारा विनियोग से ऐसा प्रदान करती है, समय-समय पर ऐसी आय को निधि में सार्वभौमिक सेवा दायित्व को विशेष रूप से पूरा करने के उपयोग हेतु जमा कर सकती है। तदनुसार 31 मार्च 2015 तक यू एस ओ उद्गृहण के रूप में ₹ 66,118.04 करोड़ की राशि दूरसंचार विभाग (दू वि) द्वारा एकत्र की गई, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया था। दूरसंचार विभाग द्वारा इस राशि में से मात्र ₹ 26,983.47 करोड़ संसद के विनियोग द्वारा प्राप्त किये गये तथा 31 मार्च 2015 तक यू एस ओ फण्ड में जमा किये गये। इसमें वर्ष 2002-06 में लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड को 2008-09 में प्रतिपूर्ति किये गये ₹ 6,948.64 करोड़ भी सम्मिलित हैं जोकि यू एस ओ फंड के अन्तर्गत ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु थे।

➤ foHkkx ds iz kkl dh; fu; æ.k ea l koZtfud {ks= mi Øe (ih , l ;)

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पी एस यू का संक्षिप्त खाका नीचे दिया गया है:

Hkkjr l pkj fuxe fyfeVM

अक्टूबर 2000 में गठित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर, देश के कोने-कोने में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक तकनीक उन्मुख कम्पनी है तथा जो विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैंडलाइन पर दूरभाष सेवायें, डब्ल्यू एल एल एवं जी एस एम मोबाइल, ब्राडबैंड, इन्टरनेट, लीज्ड सर्किट एवं लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 28,645.20 करोड़ था व इसे ₹ 8,234.09 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे तालिका-4 में वर्णित है:

rkfydk-4
foxr rhu o"kkæ ea ch , l , u , y dk fu"i knu

o"kl	jktLo	0; ; (₹ dj kM+ ea)	vfHknkrk çd		
			ok; jykbu	crkj	dy
			(dj kM+ ea)		
2012-13	27,127.89	34,900.43	2.04	10.12	12.16
2013-14	27,996.35	34,929.60	1.85	9.47	11.32
2014-15	28,645.20	37,292.10	1.64	7.72	9.36

उपरोक्त डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि यद्यपि कम्पनी का राजस्व व व्यय दोनों ने ही विगत तीन वर्षों के दौरान ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है, सभी तीनों वर्षों में व्यय की वृद्धि-दर राजस्व की अपेक्षा अधिक है। इसके अतिरिक्त, वायरलाइन व बेतार उपभोक्ता का अभिदाता बेस इस अवधि में विचारणीय रूप से कम हुआ है।

egkuxj VsyhQku fuxe fyfeVM

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) को एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 1986 में स्थापित किया गया था तथा दिल्ली व मुम्बई में दूरसंचार नेटवर्क का नियंत्रण, प्रबन्धन व प्रचालन के लिये उत्तरदायी है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा एवं जी एस एम मोबाइल सेवा का प्रमुख प्रदाता है। एम

टी एन एल पृथक सामान्य लाइसेंस करार के अन्तर्गत दिल्ली व मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवायें भी प्रदान कर रहा है। यह ब्रॉडबैंड व 3जी सेवायें भी प्रदान कर रहा है। सरकार ने वर्ष 1994 में 20 प्रतिशत अंश बैंक/उनके सहायक और वित्तीय संस्थानों में विनिवेश किये। एम टी एन एल आज की तारीख में एक सूचीबद्ध कम्पनी है और 56.25 प्रतिशत अंश सरकार के पास और शेष निजी अंशधारको के पास है। वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 3,821.06 करोड़ था और इसे ₹ 2,893.39 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे तालिका-5 में वर्णित है:

rkfydk-5
foxr rhu o"kk&ea , e Vh , u , y dk fu"i knu

o"kl	jktLo	0; ;	vfHknkrk cd		
			ok; jykbu	crkj	dy
		(₹ djkm+e)	(djkm+e)		
2012-13	3,714.08	9,015.82	0.34	0.50	0.84
2013-14	3,787.37	6,870.41	0.35	0.34	0.69
2014-15	3,821.06	6,723.48	0.36	0.35	0.71

कम्पनी के राजस्व ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान मामूली वृद्धि दर्शाई है। 2012-13 के दौरान व्यय थोड़ा अधिक था लेकिन बाद के वर्षों में इसने अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है। वायरलाइन उपभोक्ता के अभिदाता बेस ने 2012-13 से 2014-15 में प्रतिवर्ष मामूली वृद्धि दर्शाई है लेकिन वर्ष 2013-14 में बेतार उपभोक्ता के संबंध में 50 लाख से 34 लाख की विचारणीय कमी हुई। 2014-15 के दौरान मामूली वृद्धि थी।

feyfu; e Vsyhdkkk fyfeVM (, e Vh , y)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) द्वारा मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) का निर्माण वर्ष 2000 में एक पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी के रूप में सबमेरिन केबिल परियोजना की स्थापना तथा आई टी समाधान के लिये, किया। वर्ष 2014-15 में कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 2.95 करोड़ था और इसने ₹ 0.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

Hkkj rh; njj Hkk" k m | ksx fyfeVM (vkbz Vh vkbz fy)

आई टी आई लिमिटेड दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आई टी आई ने 1948 में बंगलूरु में अपने संचालन प्रारम्भ किये जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पालक्काड में निर्माण सयंत्र स्थापित कर अन्य क्षेत्रों में आगे विस्तारित किये गये। कम्पनी का कुल राजस्व वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 659.25 करोड़ था तथा उसे ₹ 297.13 करोड़ की हानि हुई।

Hkkj rh; njj l pkj i jke' khkrk fyfeVM (Vh l h vkbz , y)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की स्थापना, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से, विदेशी एवं घरेलू बाजारों में उचित विपणन रणनीति विकसित कर तथा अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त कर अपने संचालनों में उत्कृष्ट होने के लिये 1978 में हुई थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 831.48 करोड़ था तथा इसने ₹ 21.37 करोड़ लाभ अर्जित किया।

rfeyukMq njl pkj fyfeVM (Vh Vh , y)

तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड वर्ष 1988 में निगमित गया था। यह टी सी आई एल, टी आई डी सी ओ व फूजीकुरा लिमिटेड, जापान का एक त्रिकोणीय संयुक्त प्रयास था। इसमें मुख्य अंशधारकों के अंश व्यवस्था है जिनमें कि टी सी आई एल का (49 प्रतिशत), तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का (14.63 प्रतिशत) और फूजीकुरा लिमिटेड जापान का (7.18 प्रतिशत) अंश है। बाकी अंश बैंकों व वित्तीय संसाधनों, प्राइवेट ट्रस्टों, एन आर आई व भारतीय जनता के पास है। यह दूरसंचार के लिये आप्टिकल फाइबर केबिल का निर्माण करती है। यह कम्पनी बी आई एफ आर को सन्दर्भित है व 21 जुलाई 2010 को पुनर्गठन के लिए एक योजना को संस्वीकृति प्रदान की गई थी। यह टेबलेट पी सी व एफ टी टी एच (फाइबर टू होम) घटकों में भी जाकर विविधता दिखाई। वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 20.48 करोड़ था व कम्पनी को ₹ 8.57 करोड़ की हानि हुई।

bA/syhtV dE; fud'sku fl LVe bafM; k fyfeVM (vkbL l h , l vkbL , y)

इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल) को वर्ष 1987 में निगमित किया गया था। यह टी सी आई एल और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (डी एस आई आई डी सी) जो दिल्ली सरकार के अधीन एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें टी सी आई एल के पास 36 प्रतिशत अंश तथा डी एस आई आई डी सी के पास 40 प्रतिशत अंश है। कम्पनी प्रख्यात ब्राण्डों की हार्डवेयर वस्तुएँ जैसे कम्प्यूटर/दूरसंचार/आई टी आदि के व्यापार में संलिप्त है। यह कम्पनी विभिन्न संगठनों को जनशक्ति उपलब्ध कराती है तथा लाइसेंस धारकों द्वारा व्यक्तिगत समझौता के अंतर्गत प्रत्येक को शिक्षा उपलब्ध कराती है। यह कम्पनी हार्डवेयर वस्तुओं के वार्षिक अनुरक्षण का भी कार्य अपने हाथ में लेती है। वर्ष 2014-15 में कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 97.80 करोड़ था तथा ₹ 2.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

Vh l h vkbL , y-chuk Vksy jkM+fyfeVM

टी सी आई एल-बीना टोल रोड लिमिटेड, टी सी आई एल की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है तथा इसे 2012 में निगमित किया था। इस कम्पनी की संरचना, डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण पर आधारित ढांचागत परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया, यथा मध्यप्रदेश भारत में बीना एवं कुरवाई नगर के बीच टोल रोड परियोजना। कम्पनी ने अपना वाणिज्यिक प्रचालन अप्रैल 2014 में प्रारम्भ किया। वित्तीय वर्ष 2014-15 वाणिज्यिक प्रचालन का पहला वर्ष है। कम्पनी का वर्ष 2014-15 में कुल राजस्व ₹ 4.97 करोड़ था एवं इसने ₹ 9.42 करोड़ की हानि का वहन किया।

Vh l h vkbL , y-y[kukMksu Vksy jkM+fyfeVM

टी सी आई एल-लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड, जो भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है, को वर्ष 2013 में निगमित किया गया। यह एक विशेष उद्देश्य वाहन है जिसका गठन लखनाडोन टोल रोड परियोजना के विकास के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एम पी आर डी सी) के साथ रियायतग्राही अनुबंध के क्रियान्वयन के उद्देश्य से हुआ। सितम्बर 2011 में टी सी आई एल द्वारा एम पी आर डी सी के

साथ रियायतग्राही अनुबंध हुआ और अगस्त 2014 में टी सी आई एल, एम पी आर डी सी और कम्पनी के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ ताकि टी सी आई एल के नाम को बदलकर कम्पनी का नाम रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना की समाप्ति तक टी सी आई एल एक सहायक संगठन के रूप में काम करेगी और इसे कम्पनी को सौंप देगी। कम्पनी ने अभी तक राजस्व अर्जित करना शुरू नहीं किया है क्योंकि टोल रोड़ का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है परन्तु ₹ 0.02 करोड़ की हानि हुई है।

Hkkj r ckMcM usVodL fyfeVM (ch ch , u , y)

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), जो एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी) है, को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) निष्पादित करने हेतु 2012 में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया। बी बी एन एल को देश के लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को पी एस यू नामतः बी एस एन एल, रेलटेल एवं पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के मध्य सम्पर्कता अन्तर को भरने के लिये अतिरिक्त फाइबर बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्राडबैंड सम्पर्कता सुनिश्चित करेगा। कम्पनी का वर्ष 2014-15 में कुल राजस्व ₹ 11.33 करोड़ था और इसने ₹ 0.29 करोड़ की हानि उठाई।

gfLQh; j i ks Vhzt bfM; k fyfeVM (, p i h vkbL , y)

हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच पी आई एल), जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है, को 2005 में निगमित किया गया था और 18 मार्च 2014 से यह सरकारी कम्पनी हो गई। भारत सरकार व मैसर्स पानाटोन फीनवेस्ट लिमिटेड तथा अन्य टाटा कम्पनियों के मध्य 13 फरवरी 2002 को अंश क्रय करार के क्लॉज़ 7.10 व अंशधारक करार के क्लॉज़ 4.7 के अनुसार कम्पनी को निगमित किया गया था, जिसमें वी एस एन एल के गैर-निवेश के समय पहचान की गई अधिशेष भूमि कम्पनी में विसम्बद्ध हो गयी। दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार 51.12 प्रतिशत इक्विटी अंश का स्वामित्व रखती है और बाकी बचे हुये अंश मैसर्स टाटा कैपिटल लिमिटेड एवं आपताब निवेश कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व में है। कम्पनी की दत्त अंश पूँजी ₹ 5.00 लाख है। कम्पनी ने वर्ष 2014-15 में कोई राजस्व अर्जित नहीं किया है एवं इसने ₹ 3.73 लाख की हानि उठाई है।

1.4.2 Mkd foHkx (Mh vks i h)

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है जिसके अन्तर्गत 1.54 लाख से अधिक डाकघर हैं तथा यह देश के दूरस्थ किनारों तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं जिनमें धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ साथ बीमा भी शामिल है, प्रदान की जाती हैं। यह सैन्य एवं रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के संवितरण, कोयला खदानों के कर्मचारियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन के संवितरण के कार्य में भी लगी है। डाक विभाग ने भी सामाजिक लाभ के भुगतानों जैसे मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जिम्मेदारी ली है।

foRrh; fu"iknu

डाक विभाग के वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय को नीचे तालिका-6 में दर्शाया गया है :

rkfydk -6
Mkd foHkkx dh jktLo ikflr; k; , oajktLo 0; ;

(₹ djKM+ ea)


o"KZ	jktLo ikflr; k;	ol fy; k; ⁵	jktLo 0; ;	?kkVk (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010-11	6,962.33	485.72	13,793.67	6,345.62
2011-12	7,899.35	458.64	14,163.91	5,805.92
2012-13	9,366.50	688.77	15,481.15	5,425.88
2013-14	10,730.42	593.19	16,796.71	5,473.10
2014-15	11,635.98	661.98	18,556.56	6,258.60

(स्रोत: डी ओ पी के वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के विनियोजन लेखे)

विभाग की आय “राजस्व प्राप्तियों” एवं “वसूलियों” के रूप में है।

2014-15 में डाक सेवाओं⁶ पर ₹ 6,258.60 करोड़ का घाटा था। विभाग द्वारा घाटे का मुख्य कारण वेतन में वृद्धि, घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवा व अन्य प्रभारों में बढ़े हुए व्यय के कारण कार्यचालन व्ययों में वृद्धि, बताई गई। 2010-11 से 2014-15 की अवधि में डाक सेवाओं में घाटे की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है:

Mkd I okvka ea ?kkVk



1.4.3 byDVkfuDI , oal upuk i kS| kfxdh foHkkx (Mh Ā vkĀ Vh okĀ)

डी ई आई टी वाई, इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ई आई टी वाई की परिकल्पना, विकसित राष्ट्र एवं सशक्त समाज में परिवर्तन हेतु यंत्र के रूप में भारत का ई-विकास करना है।


⁵ यह दूसरे सरकारों तथा संघ सरकार के विभागों को प्रदान की गई सेवाओं के मद में वसूलियों को दर्शाता है।

⁶ घाटे की गणना राजस्व प्राप्तियों एवं वसूलियों तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर पर की गयी है यथा, {₹11,635.98 + ₹661.98} - ₹18,556.56}

भारतीय आई टी उद्योग भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता रहा है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का भारतीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी-आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) उद्योग के उत्पादन एवं वृद्धि खाका नीचे चार्ट में दिया गया है:

byDVkkuDI , oa vkbz Vh mRi knu

(₹ dj kM+ e)



(स्रोत: डी ई आई टी वार्ड का वार्षिक प्रतिवेदन)

* अनुमानित आँकड़ें उद्योग संघ, मंत्रालय एवं अन्य संगठनों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।

विभाग का मानना है कि इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी-आई टी ई एस उद्योग के सतत् समग्र विकास का मुख्य कारण तुलनात्मक रूप से सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं में अधिक वृद्धि है जो कि अधिकांशतः निर्यात संचालित एवं आई टी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती है।

अपने कार्यों के निर्वहन हेतु डी ई आई टी वार्ड को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुदान के सापेक्ष डी ई आई टी वार्ड द्वारा किया गया व्यय, तालिका-7 में दिया गया है।

rkfydk - 7

Mh bZ vkbz Vh okbz l s l cf/kr vupku ds l ki qk 0; ;

(₹ dj kM+ e)

वर्ष	व्यय	अनुदान
2010-11	3,719	3,129
2011-12	3,048	2,074
2012-13	3,051	1,903
2013-14	3,052	2,166
2014-15	3,929	3,583
द्वारा	16,799	12,855

(स्रोत: डी ई आई टी वार्ड के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के विनियोजन लेख)

डी ई आई टी वाई के अधीन पाँच संगठन⁷ और सात स्वायत्त सोसायटी⁸ के अतिरिक्त दो संलग्न कार्यालय नामतः मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) हैं।

jk"Vh; | |puk foKku dlnz (, u vkbz | h)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटवर्क और ई-शासन की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में (अ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, (ब) राज्य क्षेत्र एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, तथा (स) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की वृहत् श्रृंखला प्रदान करता है।

ekudhdj .k, ijh{k.k vkj xq koRrk iæk.ku funs'kky; (, | Vh D; | | h)

वर्ष 1980 में स्थापित एस टी क्यू सी, अपने मूल्यवान ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने तथा आई टी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये डी ई आई टी वाई आदेश पत्र के साथ पंक्तिबद्ध होने के लिये, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदाता है।

> foHkkx ds iz kkl fud fu; æ.k ds vllrxr | koItfud {ks= mi Øe (ih , | ; |)

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:

ehfM; k y& , f'k; k

मीडिया लैब एशिया, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत आम आदमी को आई सी टी के लाभ दिलाने के उद्देश्य से बनायी गयी गैर-लाभकारी कम्पनी है। मीडिया लैब एशिया के अनुप्रयोग क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाये, शिक्षा, आजीविका एवं विकलांगों के सशक्तिकरण में आई सी टी का उपयोग शामिल करते हैं। यह कम्पनी गारन्टी द्वारा सीमित है और इसके पास कोई अंश पूँजी नहीं है एवं इसकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के तहत सौंपी गयी है। कम्पनी विकास कार्य के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करती है। कम्पनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 67.64 करोड़ अर्जित किये हैं और सहायता अनुदान के द्वारा ₹ 67.59 करोड़ प्राप्त किये हैं।

jk"Vh; | |puk foKku dlnz | ok; a bad (, u vkbz | h , | vkbj)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक (एन आई सी एस आई) को सरकारी संगठनों को पूर्ण आई टी समाधान उपलब्ध कराने के लिये, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 की

⁷ प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सी सी ए), साइबर अपीलिय प्राधिकरण (सी वाई ए टी), सेमीकन्डक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट-डिजाइन रजिस्ट्री, भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई सी ई आर टी) और इन रजिस्ट्री

⁸ कम्प्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षण एवं शोध (अरनेट), उच्च संगणना विकास केन्द्र (सी-डैक), इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी-मैट), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी), प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी (समीर), भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी आई) एवं इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात प्रोन्नति परिषद (ई एस सी)

धारा 25 के अन्तर्गत 1995 में स्थापित किया गया था। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 902.45 करोड़ था और कर के बाद अधिशेष वर्ष में ₹ 52.55 करोड़ था।

1.5 ctV vkj 0; ; fu; k

डी ओ टी, डी ओ पी तथा डी ई आई टी वाई के संदर्भ में 2014-15 के लिये विनियोजन लेखों का सारांश आगामी तालिका-8 में दिया गया है:

rkfydk-s

l pkj , oa l puk i kS| kfxdh ea-ky; ds v/khu rhu foHkxka dks fn; s x; s vupku (okM/M , oa pktM) rFkk muds }kj k fd; s x; s 0; ; dk foj .k

(₹ djkM+e)

Øe l d; k	ea-ky; /foHkx	vupku/fofu; kstu (vuqj d vupku l fgr)	dy 0; ;	(-) cpr/ (+) vkf/kD;
1.	दूरसंचार विभाग	18,319.74	13,026.14	(-) 5,293.60
2.	डाक विभाग	19,010.42	18,729.52	(-) 280.90
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3,929.12	3,583.10	(-) 346.02

(स्रोत: 2014-15 के लिए विभागों के विनियोजन लेखे)

1.6 ys[kki jh{kk ifronuka ij vuprhz dk; bkgh - (fl foy)

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किये कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सदन पटल पर रखे जाने के तुरन्त बाद, इसमें सम्मिलित विभिन्न अनुच्छेदों पर की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही दर्शाते हुए, टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ए टी एन) का प्रस्तुतीकरण तीन माह की अवधि के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसा की, कि मार्च 1996 और आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों पर ए टी एन, संसद में प्रतिवेदन के रखे जाने के चार माह के अन्दर, लेखापरीक्षा से विधिवत् पुनरीक्षण करवाकर, उनको प्रस्तुत किये जायें।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में अनुशंसा की, कि उपचारात्मक कार्यवाही करने और पी ए सी को ए टी एन प्रस्तुत करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2015 की अवधि तक संघ सरकार (संचार व आई टी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि अप्रैल 2016 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत तीन विभागों अर्थात् डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और डी ई आई टी वाई से सम्बंधित 12 अनुच्छेदों में ए टी एन लम्बित थे, जैसा कि ifj'k"V&I में वर्णित है।

1.7 ys[kki jh{kk ifronuka ij vuprh/ dk; bkgh - (okf.ft; d)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में बनाये गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालक से उपयुक्त और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर समस्त मंत्रालयों से, उनके द्वारा की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए, टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (जुलाई 1985)। इस प्रकार की टिप्पणियाँ उन अनुच्छेदों/मूल्यांकनों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति (सी आ पी यू) द्वारा विस्तृत जाँच के लिए चयनित नहीं किया गया था। सी ओ पी यू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बारहवीं लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए, अनुशंसा की:

- पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ए टी एन) के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेकों पी एस यू से सम्बन्धित अनुच्छेदों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में ए टी एन के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा
- समिति को संसद में प्रस्तुत किये गये सी ए जी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से छः माह के भीतर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित, ए टी एन पर अनुवर्ती कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सी ओ पी यू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000 तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं को दोहराया कि डी पी ई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट पर्यवेक्षणों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी हेतु स्वयं डी पी ई में एक पृथक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार, अगस्त 2000 के बाद से सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा ए टी एन के प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी करने के लिए डी पी ई में एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सम्बंधित मंत्रालयों के अन्दर भी सी ए जी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर ए टी एन प्रस्तुत करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में यह निर्णय लिया गया था कि अगले तीन माह के अन्दर सीएजी लेखापरीक्षा अनुच्छेद और पी ए सी की अनुशंसाओं पर लम्बित ए टी एन/ए टी आर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। इस निर्णय (जुलाई 2010) को

संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए संस्थागत तंत्र की अनुशंसा की।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एवं आई टी), दूरसंचार विभाग, के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड और मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से सम्बंधित वर्ष 2015 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में पता चला कि, अप्रैल 2016 की स्थिति में, 93 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में ए टी एन लम्बित थे, जिनमें से 11 अनुच्छेदों पर ए टी एन अभी तक प्राप्त ही नहीं हुए थे, जैसा *ijff'k"V-II* में वर्णित है।

v/; k; -II nij l pkj foHkkx

2.1 vokLrfod/nkgjs nko" a ij LkfCLkMh dk Øqrku

fu; æd l pkj ys[kk (fu l a ys jktLFkku nij l pkj ijfe. My us o"kl 2008-2010 dh vof/k ea eš l l Vkvk Vfy l foš st+fyfeVM (Vh Vh , l , y) ds }kjk iLrq fd; s x; s nkoa ds vk/kkj ij ₹ 71.49 djkm+ ds Yd/ ykMM l fcl Mh dh l fcl Mh forj.k ds iwZ xkgd vkonu i=ka (l h , , Q) dh l R; rk tkp fd; s fcuk, vuøfr ns nhA vkxs, vkfM'kk vkš djy ijfe. Myka ds fu l a ys us nkgjs nkoa ij ₹ 0.82 djkm+ dh l fcl Mh dk Hkqrku ch , l , u , y vkš fjk; d dE; fuds ku fyfeVM dks fd; kA

सितंबर 2003 में दूरसंचार विभाग (दू वि) ने नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले) को संबंधित दूरसंचार परिमण्डलों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुरूप एवं आबंटित राशि की सीमा का पालन करते हुए सब्सिडी के संवितरण से संबंधित कार्य सौंपा। नि सं ले को संबंधित अनुबंध के अर्न्तगत विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं (यू एस पी) द्वारा प्रस्तुत दावों में शामिल सूचना की निगरानी का दायित्व पूर्ण करना अपेक्षित था।

(d) vokLrfod nko" a ij LkfCLkMh dk Øqrku

दूरसंचार विभाग (दू वि) ने निर्दिष्ट शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (एस डी सी ए) में रुरल हाउस होल्ड डारेक्ट एक्सचेंज लाइंस (आर डी ई एल एस) के प्रावधान हेतु विभिन्न यू एस पी के साथ अनुबंध किया। अनुबंधों के तहत लोकल एक्सचेंज एरिया में आर डी ई एल एस के सकल योग पर एक वारीय फ्रंटलोडेड सब्सिडी¹ का भुगतान किया जाना था।

यू एस पी मैसर्स टाटा टेलि सर्विसेज लिमिटेड (टी टी एस एल) को आठ सेवा क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक एक वर्ष के लिए आर डी ई एल एस के इंस्टालेशन की समयावधि को विस्तार देते समय, दू वि ने यू एस पी को, दावा की गई फ्रंट लोडेड सब्सिडी के लिए प्रस्तुत प्रत्येक दावे के संलग्नक के रूप में ग्राहक आवेदन पत्र की प्रति या तो हार्ड प्रति अथवा साफ्ट प्रति में उपलब्ध कराने के, निर्देश जारी (जनवरी 2008) किए।

नियंत्रक, संचार लेखा (नि सं ले), राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान (सितम्बर 2013) यह देखा गया कि अधिकतर मामलों में, या तो ग्राहक आवेदन पत्रों की साफ्ट प्रति अथवा हार्ड प्रति उपलब्ध नहीं थी या उपलब्ध आवेदन पत्र आर डी ई एल एस के स्थान पर मोबाइल उपभोक्ताओं से संबंधित थे। आगे, कुछ मामलों में साफ्ट कॉपी में खाली फार्म था या उपभोक्ता का विवरण बिना टेलीफोन नम्बर के था। यहां तक कि ग्राहक आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेजों के साथ ही साथ राशन कार्डों पर हस्ताक्षर एवं सील को कई मामलों में जाली होना पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से, कुछ मामलों में एक ही फोटो विभिन्न ग्राहक आवेदन पत्रों में विभिन्न नामों एवं पतों के साथ लगे हुए पाये गये। ग्राहक आवेदन पत्रों में उल्लिखित पतों की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पाया गया कि संबंधित ग्राहक अधिकांश मामलों में उस पते पर नहीं पाये गये।

¹ फ्रंट लोडेड सब्सिडी वह धन राशि होती है, जो कनेक्शन को इंस्टॉल करने एवं चालू किये जाने वाली तिमाही के अंत में देय होती है।

तथापि नि सं ले ने सब्सिडी के संवितरण पूर्व ग्राहक आवेदन पत्रों की जांच किए बिना टी टी एस एल को वर्ष 2008-2010 के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर ₹ 71.49 करोड़ की फ्रंट लोडेड सब्सिडी के भुगतान की अनुमति प्रदान की।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2016) में बताया कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए ग्राहक ओवदन पत्र की हार्ड प्रतियां उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 से संबंधित यू एस पी द्वारा प्रस्तुत सीडी मई 2016 में हुई अग्नि दुर्घटना में जल गई। आगे, सब्सिडी के भुगतान से पहले अथवा बाद में ग्राहक आवेदन पत्र की जांच करने के कोई निर्देश नहीं थे। आगे यह बताया गया कि आर डी ई एल एस की प्रत्यक्ष जांच के दौरान, सभी आर डी ई एल एस अपने दावों एवं ग्राहक ओवदन पत्र के अनुसार अपने मूल स्थानों पर स्थापित नहीं पाये गये और इसलिये अयोग्य मानने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान भुगतान की गई सब्सिडी के लिए ₹ 137.99 करोड़ (ब्याज सहित) का मांग पत्र जून 2014 में टी टी एस एल को जारी किया गया था। वर्तमान में मामला एकमात्र मध्यस्थ के पास विवादित है।

मंत्रालय के उत्तर ने आर डी ई एल के सत्यापन और भुगतान प्रणाली की कमियों की पुष्टि की। यह दूरसंचार विभाग की तरफ से सब्सिडी दावों का सत्यापन करने में शिथिल निगरानी प्रणाली को भी दर्शाता है।

([k] nkqjs nkoka ij | fcl Mh dk 0qrku

नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले), ओडिशा (बी एस एन एल) एवं केरल (रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड) परिक्षेत्र के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में विभिन्न आर डी ई एल अनुबंधों के अंतर्गत उसी आर डी ई एल संख्या पर सब्सिडी का भुगतान तथा आर डी ई एल के प्रावधान हेतु योजना के अंतर्गत यू एस पी द्वारा एक ही कनेक्शन को अलग-अलग इंस्टालेशन दिनांक के साथ ₹ 0.65 करोड़ की धनराशि के सब्सिडी के दोहरे दावे प्रस्तुत करने के उदाहरण सामने आए।

ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वायर-लाइन ब्रांडबैंड कनेक्शनों के प्रावधान की योजना में, ओडिशा परिमण्डल में यह देखा गया कि बी एस एन एल ने पहले कनेक्शन को स्थायी रूप से बंद करने से पूर्व या तो उसी उपभोक्ता को या नये उपभोक्ता के नाम से वही ब्रांडबैंड कनेक्शन पुनः आबंटित दिखाया। परिणामस्वरूप, नि सं ले द्वारा ₹ 0.17 करोड़ का दोहरा भुगतान किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2016) में कहा कि धनराशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार, सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं को अवास्तविक के साथ-साथ दोहरे दावों के आधार पर ₹ 72.31 करोड़² सब्सिडी का भुगतान किया गया।

² नि सं ले द्वारा सब्सिडी दावा विवरणों के उचित सत्यापन के अभाव में अवास्तविक दावों पर ₹ 71.49 करोड़ एवं यू एस पी द्वारा लगाये गये कनेक्शनों पर दोहरे दावों पर ₹ 0.82 करोड़ (₹ 0.65 करोड़ एवं ₹ 0.17 करोड़)

2.2 of'od l ok inkrk dks l fcl Mh dk vfu; fer Hkqrku

nij l pkj foHkx us fo | eku nij Hkk"k , DI pst l s xkeh.k vkj; nij njkt {ks=ka ea ok; jykbu ckMcM l a kstfu; rk ds i ko/kku ds fy; s ch , l , u , y l s , d djkj fd; kA ch , l , u , y us rfeyukMq l ok {ks= ds nij Hkk"k , DI pst i fj l jka ea vol jpkuk ds vko'; d ?kVdka dk i ko/kku fd; s fcuk 489 fdvklD LFkfi r fd; kA rFkfi] i /kku fu l a ys rfeyukMq us Mh vks Vh }kjk tkjh vuqns kka ds mYy?kau ea ₹ 9.31 djkm+ dk Hkqrku bu fdvklD ds fy; s dj fn; kA

दूरसंचार विभाग ने विद्यमान दूरभाष एक्सचेंज से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में वायर-लाइन ब्रॉडबैंड संयोजनीयता के प्रावधान के लिये बी एस एन एल के साथ (जनवरी 2009) एक करार किया जिसका प्रयोजन ग्रामीण दूरभाष के लिये यू एस ओ एफ से सब्सिडी संवितरण की योजना को कार्यान्वित करना था। योजना के कार्यक्षेत्र में, विशिष्ट ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में ब्राडबैंड इंटरनेट किओस्क की स्थापना के साथ व्यक्तिगत व संस्थागत प्रयोक्ताओं को ब्राडबैंड संयोजनीयता का प्रावधान, प्रचालन व अनुरक्षण शामिल किया गया। किओस्क के लिये अपेक्षित उपस्कर की निर्णायक (बैंचमार्किंग) लागत में यू पी एस की लागत को भी शामिल किया गया था। मंत्रालय द्वारा आगे यह भी स्पष्ट किया गया था कि निर्णायक व सम्भावित उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार सभी मूलभूत घटक युक्त किओस्क ही सब्सिडी के पात्र होंगे।

प्रधान नियंत्रक संचार लेखा (प्र नि सं ले), तमिलनाडु परिमंडल के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि बी एस एन एल के दूरभाष एक्सचेंज परिसरों में 489 किओस्क पृथक यू पी एस का प्रावधान किये बिना प्रदान किये गये थे जिसकी पुष्टि बाद में बी एस एन एल कारपोरेट कार्यालय द्वारा भी की गई थी। तथापि, प्र नि सं ले तमिलनाडु ने इस सम्बंध में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में इन किओस्क के लिये नवम्बर 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि में ₹ 9.31 करोड़ की सब्सिडी जारी की।

इस मामले पर मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि करार के अनुसार, यू एस पी किओस्क को दक्षतापूर्ण व सुचारु रूप से चलाने के लिये बाध्य था। किओस्क में स्थापित अवसंरचना के आवश्यक घटकों में कम से कम एक वर्क स्टेशन/कम्प्यूटर, यू पी एस, प्रिन्टर, स्कैनर, एस डी एस एल, मोडेम/सी पी ई, वेबकैम तथा पावर बैक-अप के रूप में डी जी सेट हैं। इस प्रकार उन यू एस पी को कोई किओस्क सब्सिडी, भुगतान योग्य नहीं थी जिन्होंने आवश्यक घटकों में से कोई भी एक घटक प्रदान नहीं किया था। आगे, यह भी बताया गया था कि इस प्रकार से सब्सिडी के अधिक भुगतान का पता लगाने के लिये प्र नि सं ले तमिलनाडु कार्यालय के साथ मामले का अनुसरण किया जा रहा था।

यू एस ओ एफ मुख्यालय द्वारा आगे यह भी स्पष्ट किया गया था (जनवरी 2015) कि करार में यह आवश्यक है कि किओस्क बिजली कटौती के बावजूद भी कार्य करने में समर्थ होने चाहिये तथा इसलिये बी एस एन एल को किओस्क चलाने में आजादी एवं लचीलापन देना है जब तक कि यह विभिन्न अनुबंधित दायित्वों एवं सेवा पैरामीटर का अनुपालन करता है। आगे, यह भी स्पष्ट किया गया कि किओस्क वर्क स्टेशन/कम्प्यूटर के वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण बचाव के लिये एक मात्र उपयोग के लिये यू पी एस होने चाहिये तथा इसके न होने पर किओस्क सब्सिडी अस्वीकार्य होगी।

मंत्रालय ने तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते हुये बताया (मई 2016) कि प्र नि सं ले तमिलनाडु को निर्देशित किया गया कि वह आवश्यक घटकों का प्रावधान न करने के कारण सब्सिडी के अनियमित भुगतान को बी एस एन एल के विरुद्ध लम्बित बिलों से, करार व जारी अनुदेशों के अनुसार समायोजित करे। इस प्रकार, 489 किओस्क में अनियमित सब्सिडी की राशि ₹ 9.31 करोड़ की वसूली अभी भी की जानी थी।

यह अवलोकन केवल एक परिमंडल से सम्बंधित है। अन्य परिमंडलों में उसी प्रकार की खामियों से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसके लिये मंत्रालय को चाहिये कि वह इसको संज्ञान में ले तथा उपचारी कार्रवाई शुरू करे।

इस प्रकार, किओस्क में यू एस पी द्वारा आवश्यक घटक सुनिश्चित किये बिना सब्सिडी का भुगतान हुआ जिसके कारण ₹ 9.31 करोड़ की सब्सिडी का अनियमित भुगतान हुआ।

2.3 eI l l LVjykbV i kS| kf xdh fyfeVM (, l Vh , y) ds }kjk vi kf/kdr njI pkj l ok

, l Vh , y , d vol jupuk inkrk Js kh-I (v i zI) i athdr dEi uh, tks fd do y njI pkj l ok inkrk ds ykbl d /kkj dka dh vol jupuk l eFku ds fy; s i kf/kdr Fkh, v i zI i athdj .k ds dk; [ks= ds ckj dk; l dj jgh FkhA ; | fi, Ve l l Sy, i q ks }kjk Mh v ks Vh ds l kku ea ; g rF; yk; k x; k, , d o"kl ds ckn Hkh dEi uh ds fo:) dkbz dk; bkg h ugha dh xbA

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाइसेंसधारकों को डार्क फाइबर³, राइट ऑफ वे⁴, डक्ट स्पेस तथा अवसंरचना समर्थन देने के लिये टावर जैसी सम्पत्ति स्थापित करने व कायम रखने के लिये भारतीय कम्पनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी I (अ प्र-I) पंजीकरण प्रदान किया गया है। कोई भी प्रकरण में, किसी सेवा प्रदाता या किसी अन्य उपभोक्ता को, अ प्र-I के रूप में पंजीकृत कम्पनी अंतिम छोर तक बैंडविथ सहित टेलीग्राफ सेवायें प्रदान करने का कार्य व संचालन नहीं करेगी जैसा कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में परिभाषित है। कम्पनी को अ प्र-I के रूप में पंजीकृत करवाने के लिये किसी प्रवेश शुल्क व बैंक प्रत्याभूति की आवश्यकता नहीं थी। मैसर्स स्टरलाइट प्रौद्योगिकी लिमिटेड (एस टी एल) ऐसी ही अ प्र-I पंजीकृत कम्पनियों में से एक थी जिसे दिसम्बर 2010 में पुणे में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डार्क फाइबर जैसी सेवायें प्रदान करने के लिये पंजीकृत किया गया था तथा जिसने दिसम्बर 2012 में सेवायें शुरू की थीं।

दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन व मानीटरिंग (टर्म) सैल⁵ पुणे की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2015) के दौरान यह देखा गया कि इसके द्वारा एस टी एल का निरीक्षण फरवरी 2015 में किया गया था जिसमें यह पाया गया कि यद्यपि एस टी एल को अ प्र-I के रूप में पंजीकृत किया गया था तब भी इसके किसी भी उपभोक्ता ने कम्पनी से सिरे से सिरे तक डार्क फाइबर भाड़े/पट्टे पर उपयोग में नहीं लिया। कम्पनी के

³ डार्क फाइबर अथवा अनलिट फाइबर एक अप्रयुक्त आप्टिकल फाइबर है, जो कि फाइबर-आप्टिकल संचार में उपयोग के लिये उपलब्ध है।
⁴ राइट आफ वे, भूमि पर परिवहन प्रयोजन हेतु दी गई अथवा आरक्षित सुविधा है, यह राजमार्ग, सार्वजनिक पैदल पथ, रेल परिवहन, नहर तथा विद्युत सम्प्रेषण लाइन, तेल व गैसपाइपलाइन के लिये भी हो सकता है।
⁵ देश में दूरसंचार आपरेटर की संख्या में वृद्धि हो गई है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सेवा प्रदाता लाइसेंस शर्तों का पालन करते हैं एवं दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा मामलों की देखभाल के लिये, सरकार ने लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों में दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन व मानीटरिंग (टर्म) सैल का सृजन किया।

ग्राहक अपने परिसरों में स्थापित आप्टिकल लाईन टर्मिनेशन (ओ एल टी), आप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओ एन टी), एल-3 स्विच आदि जैसे सक्रिय उपकरण के सहयोग से फाइबर का उपयोग कर रही थी। वास्तव में, एस टी एल अपने उपकरणों के साथ जीपोन⁶ का उपयोग करते हुये अथवा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी मैसर्स स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड (एस एन एल)⁷ के उपकरणों का उपयोग करते हुये सेवायें प्रदान कर रही थी तथा उपभोक्ताओं की बिलिंग बैंडविड्थ उपयोग के आधार की जा रही थी, न कि प्रयुक्त डार्क फाइबर की लम्बाई व संख्या के आधार पर।

इसके आधार पर, टर्म सैल ने निष्कर्ष निकाला कि एस टी एल अ प्र-II सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही थी क्योंकि यह डार्क फाइबर की अपेक्षा बैंडविड्थ बेच रही थी जोकि अ प्र-I पंजीकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर था। चूंकि अ प्र-I पंजीकरण में प्रवेश शुल्क तथा बैंक प्रत्याभूति का भार वहन नहीं करना था जबकि अ प्र-II लाइसेंसधारक को समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर)⁸ के 6 प्रतिशत की दर से राजस्व शेयर के रूप में वार्षिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त ₹ 100 करोड़ की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति जमा करनी पड़ती थी, एस टी एल, जब से अ प्र-II लाइसेंस के अन्तर्गत यह गतिविधियां कर रही थी ए जी आर पर वार्षिक लाइसेंस फीस के मद में राजकोष में राजस्व हानि कर रही थी जो कि आंकड़ों के अभाव में पता नहीं लगाया जा सका।

टर्म सैल ने अगस्त 2015 में दूरसंचार विभाग (दू वि) को यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी जिसमें एस टी एल को एक विकल्प देने हेतु सिफारिश की गई थी कि वह या तो राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी) लाइसेंस के लिये स्थानान्तरण करे और पुणे में व अन्यत्र इसका प्रचालन प्रारम्भ करने की तारीख से वार्षिक लाइसेंस फीस के साथ जुर्माना जो भी उचित हो, का भुगतान करे अथवा यदि एस टी एल यह विकल्प नहीं मानता है तो इसका अ प्र-I पंजीकरण रद्द कर दिया जाये और इसके प्रचालन बंद करने के आदेश दिये जायें तथा अप्राधिकृत दूरसंचार प्रचालनों के लिये अभियोग चलाया जाये। क्योंकि दू वि से आगे कोई संवाद नहीं था, टर्म सैल पुणे ने दू वि से पुनः अनुरोध किया (नवम्बर 2015) कि वह एस टी एल के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ करे क्योंकि यह प्राथमिक रूप में देखा गया था कि आपरेटर, पंजीकरण क्षेत्र के परे सेवायें प्रदान कर रहा था। दू वि द्वारा अभी तक कम्पनी पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2016) में बताया कि टर्म सैल, पुणे द्वारा की गई जांच, अ प्र-I कम्पनी द्वारा सक्रिय अवसंरचना के विद्यमान होने पर केन्द्रित थी। 2009 में दू वि द्वारा जारी अनुदेशों ने अ प्र-I को अनुमत किया है कि वह यू ए एस एल/सी एम एस पी लाइसेंस धारक की ओर से/के लिये निश्चित अवसंरचना का सृजन करे। तदनुसार, टर्म सैल पुणे से कहा गया कि वह सम्पूर्ण प्रकरण की पुनः जांच करे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा का निम्नलिखित अवलोकन है।

- 2009 में दू वि द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यू ए एस एल/सी एम एस पी लाइसेंसधारकों के पक्ष में सक्रिय अवसंरचना का कार्यक्षेत्र केवल एन्टीना, फीडर केबिल, नोड बी, रेडियो ऐसस

⁶ जीपोन से अभिप्राय गीगाबिट पैसिव आप्टिकल नेटवर्क है और यह पी एस टी एन, आई एस डी एन, ई1 तथा ई3 ट्रैफिक परिवहन कर सकता है।

⁷ स्पीडन नेटवर्क लिमिटेड (पूर्व में स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड)

⁸ अनुज्ञेय कर्तवियां समायोजित करने के बाद कम्पनी का राजस्व

नेटवर्क (आर ए एन) तथा सम्प्रेषण प्रणाली तक सीमित था फिर भी, जैसा कि टाटा व एयरटेल जैसे अपभोक्ताओं ने पुष्टि की थी आप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओ एन टी) तथा एल3 स्विचेज का स्वामित्व एस टी एल के पास था जिन्होंने यह कभी नहीं बताया था कि ये उपस्कर उनके लिये/उनकी ओर से स्थापित किये गये थे। यह तथ्य कि यह उपकरण एस टी एल का था, दू वि के अनुदेशों का स्पष्ट उल्लंघन था।

- 2009 में दू वि द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये थे और फरवरी 2015 में निरीक्षण किया गया था। इस प्रकार टर्म सैल दिशानिर्देशों के बारे में भलीभांति अवगत था। अ प्र-I के रूप में पंजीकरण का कार्यक्षेत्र, बैंडविथ के बिक्री को प्राविधानित नहीं करता है जबकि एस टी एल अपने उपभोक्ताओं से डार्क फाइबर की लम्बाई व संख्या के बजाय बैंडविथ उपयोग के आधार पर प्रभार कर रहा था। बैंडविथ की बिक्री केवल अ प्र-II लाइसेंस धारक इकाई को ही अनुमत थी।

इस प्रकार, मैसर्स एस टी एल ने अ प्र-I पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन किया तथा अ प्र-I श्रेणी लाइसेंस के कार्यक्षेत्र से बाहर सेवायें अप्राधिकृत रूप से प्रदान की थी। आगे, अगस्त 2015 में एस टी एल द्वारा उल्लंघन को ध्यान में लाये जाने के बाद भी दू वि की ओर से निष्क्रियता रही, इसके वैद्य लाइसेंस के बिना सेवा जारी रखने दिया।

v/; k; - III

Mkd foHkkx

3.1 Mkd thou chek (ih , y vkb) , oa xkeh.k Mkd thou chek (vkj ih , y vkb) dh fuf/k ds fuos'k dk izl/ku

ih , y vkb , oa vkj ih , y vkb fuf/k izl/ku, dfe; ka tS s jkst ds 'kq} of} ds vk/kkj ij vkj ekfl d fuos'k ; kx; fuf/k ds vk/kkj ij Hkh, fuos'k ; kx; fuf/k ds xyr fu/kkj .k l s dq Hkkfor jghA fuos'k ea ngh, ₹ 984 djkm+ dh l EHkkfor vk; dh gkfu ea ifj.kkfer ghA Hkkjr l jdkj ds Lis'ky l D; fjVh Qykvax jV ckM (th vks vkb , l , l , Q vkj ch) l s vk; ds i qfo'k ea ngh, chek fu; ked , oa fodkl i kf/kdj .k (fuos'k) ds ikyu u djus vkj l doV ØfMV ds mi ; kx u djus ds mngj .k l kku ea vk; A

3.1.1 çLrkouk

डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के कल्याण के उपाय हेतु वर्ष 1884 में डाक जीवन बीमा (पी एल आई) निगम की शुरुआत की गयी थी। इस योजना को सभी केंद्र तथा राज्य सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, स्थानीय निकायों हेतु विस्तारित किया गया था। मार्च 1995 में, ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) के बैनर के अंतर्गत पी एल आई के लाभों को देश की ग्रामीण आबादी के लिए बढ़ा दिया गया था। पी एल आई योजना तथा आर पी एल आई योजना दोनों सार्वजनिक खातों का हिस्सा बने तथा क्रमशः डाकघर जीवन बीमा निधि (पी ओ एल आई एफ) तथा ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि (आर पी ओ एल आई एफ) के माध्यम से संचालित किये गए।

इस निधि को वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के अधीन रखा गया जिस पर समय-समय¹ पर वित्त मंत्रालय द्वारा निश्चित विशेष जमा योजना के बराबर ब्याज अर्जित किया। वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2006 में फैसला लिया गया कि पी एल आई तथा आर पी एल आई निधियों को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के नियमों के अनुसार निवेशित किया जाए। यह प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा दिसम्बर 2007 में अनुमोदित किया गया तथा तदनुसार 31 अक्टूबर 2009 को संचित शेष ₹ 20,894 करोड़ (डाक जीवन बीमा निधि: ₹ 15,345 करोड़ तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि: ₹ 5,549 करोड़) शीतित जमा घोषित किये गए। इस धनराशि को भारत सरकार के विशेष सुरक्षा चल दर बांड (जी ओ आई एस एस एफ आर बी) में तीन चरणों में अर्थात् प्रत्येक ₹ 7,000 करोड़, 31 मार्च 2011 तथा 30 मार्च 2012 को तथा शेष ₹ 6,894 करोड़ 28 मार्च 2013 को निवेशित किया गया। निवेश की गतिविधियों की शुरुआत, दो निधि प्रबंधक एस बी आई फण्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एस बी आई एफ एम पी एल) तथा यू टी आई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (यू टी आई ए एम सी एल) की सहायता से, नवम्बर 2009 से प्रभाव में लाई गयी।

¹ गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया स्पेशल सिक्योरिटीज़ फ्लोटिंग रेट बॉण्ड (जी ओ आई एस एस एफ आर बी) में निधि के अंतरण को अंतिम रूप देने तक जो 28 मार्च 2013 में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण हो गयी थी।

पी एल आई/आर पी एल आई पालिसियों पर वर्षवार वसूला गया प्रीमियम का ब्यौरा तथा वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान हुए निवेश को नीचे तालिका-1 में दर्शाया गया है:

rkfydk-1

ih v" ,y vkÅ ,Q rFkk vkj ih v" ,y vkÅ ,Q ds l cark ea çklr çhfe; e rFkk fuošk
(₹ djkM+e)

o"kz	iklr ihfe; e		fuošk	
	ihvks yvkbZ, Q	vkj ihvks yvkbZ, Q	ihvks yvkbZ, Q	vkj ihvks yvkbZ, Q
2009-10 ²	2,415.21	1,357.71	331.04	482.27
2010-11	3,006.24	1,111.53	2,021.93	1,384.99
2011-12	3,684.06	1,554.81	3,967.44	1,877.61
2012-13	4,558.39	1,696.02	3,465.13	2,088.79
2013-14	5,351.89	1,960.38	6,511.67	2,642.69
2014-15	5,967.21	1,984.32	7,477.81	2,252.22
dy	24,983.00	9,664.77	23,775.02	10,728.57

(स्रोत: वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक की पी ओ एल आई एफ और आर पी ओ एल आई एफ की वित्तीय समीक्षा)

3.1.2 ys[kki jh{kk dk dk; kks=

डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बीमा निधि के निवेश के प्रबंधन का लेखापरीक्षण जनवरी तथा फरवरी 2016 के दौरान किया गया जिसमें 2009-10 से 2014-15 की अवधि को सम्मिलित किया गया है। ग्यारह डाक मण्डलों³ में समाविष्ट 56 मुख्य डाकघरों को संवीक्षा हेतु चयनित किया गया था। इसके आलावा परिमंडलीय डाक जीवन बीमा कार्यालय, मण्डलीय डाक कार्यालयों, निदेशक डाक जीवन बीमा (डी पी एल आई) कोलकाता, डाक जीवन बीमा निदेशालय, नई दिल्ली तथा निवेश मण्डल (आई डी), मुंबई से सम्बन्धित दस्तावेजों को भी देखा गया।

3.1.3 ys[kki jh{kk fu" d" kz

लेखापरीक्षा इन उद्देश्यों के साथ संचालित की गई कि बीमा निधि को प्रभावपूर्ण तरीके से तथा निपुणता से लागू नियमों तथा विनियमनों⁴ के अनुसार वसूली, गणना तथा निवेशित किया गया। तथापि, डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रबंधन द्वारा जो निधि का निवेश किया गया उस पर लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियों तथा कमजोर एवं अप्रभावी नियंत्रण के उदाहरणों पर प्रकाश डाला है जो नीचे वर्णित है:

² निवेश क्रियाकलाप नवम्बर 2009 से ही आरम्भ हुआ

³ आन्ध्र प्रदेश (10 एच ओ), दिल्ली (1 एच ओ), गुजरात (3 एच ओ), हरियाणा (2 एच ओ), पंजाब (2 एच ओ), कर्नाटक (6 एच ओ), केरल (5 एच ओ), महाराष्ट्र (6 एच ओ), तमिलनाडु (9 एच ओ), उत्तर प्रदेश (7 एच ओ) और पश्चिम बंगाल (5 एच ओ)

⁴ जैसे कि पोस्टल एकाउंट मैनुअल, पोस्ट आफिस इश्युरेन्स फंड (कस्टडी और इन्वेस्टमेंट) रेगुलेशन्स 2010, आई आर डी ए रेगुलेशन्स

3.1.3.1 nfud 'kq) vfhkof) dk fuo'k

दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि, सभी पोस्टल नेटवर्क में उस तिथि को सभी डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा की प्राप्तियां जिसमें बीमा प्रीमियम, ऋण की वापसी, ऋण पर ब्याज तथा अन्य विविध मदों जैसे फीस, धन के अन्तरण प्रभार पर दंड इत्यादि का समावेश है तथा सभी पी एल आई/आर पी एल आई भुगतान जो परिपक्वता/मृत्यु/समर्पण/प्रदत्त पालिसी के कारण होती है, लोन का संवितरण, प्रीमियम की राशि वापस करने, छूट की प्राप्ति तथा चिकित्सीय फीस का भुगतान आदि के मध्य अन्तर से निकलती है। मुख्य डाकघरों द्वारा एन आई सी सिस्टम में दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि ऑकड़े ऑफलाइन अपलोड किये जाते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर निधि प्रवाह विवरण इन प्राप्तियां/भुगतान के आधार पर उत्पन्न होता है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता द्वारा अगले दिन निधि प्रवाह विवरण डाउनलोड किया जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त शुद्ध अभिवृद्धि राशि डाक जीवन बीमा निदेशालय को सूचित की जाती है जो निवेश विभाग को, बाजार में दैनिक आधार पर फंड प्रबंधक के माध्यम से धन के निवेश करने के लिए निर्देशित करता है।

(d) vkjf{kr jkf'k ds j [ks fcuk e'd dfe'k izkkyh }kjk tfur nfud 'kq) vfhkof) dk fuo'k

लेखांकन तथा आन लाइन तरीके से राशि की शुद्ध अभिवृद्धि की उत्पत्ति में सुधार के लिए मैक कमिश्न प्रणाली लागू (फरवरी 2014) की गयी। वर्तमान एन आई सी प्रणाली धीरे-धीरे मैक कमिश्न प्रणाली में स्थानान्तरित हुई। मैक कमिश्न प्रणाली में स्थानान्तरित होने से पहले सम्बन्धित मुख्य डाकघरों के एस आई सी प्रणाली को पूरी तरह से बन्द कर दिया गया। दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि की राशि की उत्पत्ति या तो मैक कमिश्न प्रणाली (मुख्य डाकघर जो मैक कमिश्न प्रणाली में स्थानान्तरित हो गये) से की गयी या एन आई सी प्रणाली (मुख्य डाकघर जो मैक कमिश्न प्रणाली में स्थानान्तरित नहीं हुए) के माध्यम से की गयी।

डी पी आई एल कोलकाता के अभिलेखों के परीक्षण में यह पाया गया कि दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि के निवेश के लिए मैक कमिश्न प्रणाली द्वारा जनित डाटा का विचार नहीं किया जा रहा था यद्यपि 10 फरवरी 2014 को पहला डाकघर (मैक कमिश्न प्रणाली में) स्थानान्तरित हो गया था। डी पी आई एल कोलकाता ने 17 फरवरी 2015 से मैक कमिश्न के दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि के डाटा पर विचार किया। यद्यपि मासिक निवेश योग्य बचत की गणना करते समय मैक कमिश्न द्वारा जनित राशि को एकत्रित किया जा रहा था, इस प्रकार से मैक कमिश्न प्रणाली के अन्तर्गत फरवरी 2014 से फरवरी 2015 तक की अवधि में दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि की ₹ 72.50 करोड़ की राशि (पी एल आई: ₹ 64.27 करोड़ तथा आर पी एल आई: ₹ 8.23 करोड़) के निवेश में देरी हुई जैसा कि $vuyxud\&I$ में दर्शाया गया है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सभी माड्यूल कार्य नहीं कर रहे थे इसलिए उस समय कोर बीमा समाधान के पाइलट को ही लागू किया गया तथा दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि एक ऐसा माड्यूल था जो कार्य नहीं कर रहा था। पुनः यह जोड़ा गया कि फरवरी 2015 से ही दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि के माड्यूल ने कार्य आरम्भ करना शुरू किया।

लेखापरीक्षा का मत है कि चूंकि मैक कमिश्न प्रणाली के दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि के माड्यूल ने फरवरी 2015 से कार्य करना शुरू किया, उन मुख्य डाकघरों के सम्बन्ध में जो मैक कमिश्न प्रणाली में स्थानान्तरित हो गये थे, एन आई सी प्रणाली को बन्द नहीं किया जाना चाहिये था एवं जब तक दैनिक

शुद्ध अभिवृद्धि माड्यूल कार्य करना शुरू नहीं किया था, दोनों ही प्रणालियां समानान्तर रूप से चलाये रखना चाहिए था।

([k] eq; Mkd?kjk }kjk çkflr; k@Hkxrkuka d" xyr viykm djuk ftl ds ifj.kkeLo: i fuos'k grq n'fud 'k) vfhkof) dh xyr x.kuk

मुख्य डाकघरों द्वारा अपलोड प्राप्तियों तथा भुगतानों के आँकड़े दैनिक आधार पर किसी भी सिस्टम (एन आई सी या मैक-कैमिशन) से मुख्य डाकघरों द्वारा बनाए नगदी आँकड़ों से मिलने चाहिए।

एन आई सी सिस्टम में अपलोड अभिलेखों तथा वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान चयनित तीन माह⁶ हेतु चयनित 56 मुख्य डाकघरों में प्रबन्ध किये जा रहे नगदी लेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि मुख्य डाकघरों द्वारा अपलोड किए गए आँकड़े चयनित मुख्य डाकघर के प्राप्तियों/भुगतानों के दैनिक नगदी लेखा विवरणियों के आँकड़ों से मिलान नहीं करते। माह में दिनों की संख्या के बेमेल डाटा आँकड़ों का मुख्य डाकघर अनुसार विस्तृत विवरण तथा चयनित माह के दौरान प्रभावित राशि को नीचे तालिका-2 में दर्शाया गया है:-

rkfydk-2

eq; Mkd?kjk dk l a;ki tgka fnuka dh l a; k ea MkVk dk xj feyku Fkk rFkk muea çHkkfor jkf'k t" n'fud uxnh [kkr" a ds l ki s'k fl LVe ea viykm dh xbl

(₹ djkm+e)

p; fur ekg	jst =>	MkVk dk xj-feyku, fnu" a dh l j; k ea					dy jkf'k
		01-10 fnu	11-20 fnu	> 20 fnu	dy	jkf'k ⁷	
जून 2012	पी एल आई	13	19	22	54	9.24	11.75
	आर पी एल आई	27	17	10	54	2.51	
सितम्बर 2013	पी एल आई	13	25	17	55	10.85	14.92
	आर पी एल आई	26	15	12	53	4.07	
मार्च 2015	पी एल आई	03	09	41	53	16.65	23.84
	आर पी एल आई	08	18	25	51	7.19	

(स्रोत: - एन.आई.सी आँकड़े सिस्टम से तथा चयनित प्रधान डाकघर से रोकड़ लेखा आँकड़े)

तालिका से यह स्पष्ट है कि, 56 मुख्य डाकघरों की नमूना जाँच में से 51 से 55 मुख्य डाकघरों के आँकड़े बेमेल पाए गए जिसके परिणामस्वरूप, निधि का अधिक या कम का निवेश हुआ और जिससे या तो बीमा निधि को प्रयोग में नहीं लाया गया अथवा सरकारी निधि (डाक जीवन बीमा निधि/ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि के अतिरिक्त) को अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग में लाया गया। इस बेमेल का जून 2012, सितंबर 2013 तथा मार्च 2015 महीनों के निवेश में क्रमशः ₹ 11.75 करोड़, ₹ 14.92 करोड़ तथा ₹ 23.84 करोड़ से प्रभाव पड़ा।

⁵ डेली कैश एकाउन्ट स्टेटमेंट, डेली कैश ट्रांजैक्शन के आधार पर एच पी ओ के द्वारा तैयार किया जाता है।

⁶ जून 2012, सितम्बर 2013 और मार्च 2015

⁷ यह राशि अपलोड की गयी राशि तथा रोकड़ बही में दर्शायी गई राशि के मध्य अंतर के कुल जोड़ को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत किये जाने पर मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि, प्राप्तियों/भुगतानों के आँकड़ों को लापरवाही से गलत अपलोड करने, सम्बंधित डाकघरों द्वारा आँकड़ों के समय से प्रस्तुत न करने से, अपलोडेड राशियों तथा नगदी लेखाओं की राशियों में अन्तर था। यह भी कहा गया कि अपलोडेड राशियों के अनुसार शुद्ध बढोतरी को दैनिक आधार पर निवेशित किया गया तथा नगदी लेखा में शामिल अपलोड नहीं की गयी राशियों को मासिक बचत विवरणी के माध्यम से निवेशित किया गया। इस प्रकार, कोई भी अधिक अथवा कम निवेश नहीं हुआ तथा राशियां दैनिक अथवा मासिक आधार पर निवेशित हुई।

मंत्रालय के उत्तर से यह पुष्टि होती है कि मुख्य डाकघर मार्च 2009 में पी एल आई निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के तथा निवेश योग्य बचत को जानने के लिए डाटा के अपलोडिंग एवं इसके सत्यापन के सम्बन्ध में पुनः अगस्त 2009 में कहे गये निर्देशों के अनुपालन में असफल रहा। निवेश दैनिक आधार पर किया गया है तथा राशियों के बेमेल होने से दैनिक निवेश पर विपरीत प्रभाव पडा जिसके परिणाम स्वरूप कम अथवा अधिक निवेश हुआ। पुनः यह दैनिक बेमेल मासिक राशियों को प्रभावित कर सकती है क्योंकि यह विचलन आगामी माहों में भी जारी रहेगा।

3.1.3.2 ekfl d fuos'k ; kx; vf/k'ks'k dk fuos'k

प्रत्येक सिविल, रक्षा, तथा रेलवे लेखा कार्यालयों के निदेशक, लेखा (डाक) (डी ए पी) के विस्तृत किताब (डी बी) के आँकड़ों, जैसा कि माह के लिए ई-लेखा⁸ में अपलोड किया गया है, के संकलन के पश्चात निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता द्वारा मासिक निवेश योग्य अधिशेष की गणना की जाती है तथा इस प्रकार उस माह की दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि द्वारा पहले से ही किए गए निवेशों का समायोजन किया जाता है। इस तरह से प्राप्त शेष आँकड़ों को आगे निवेशित किया जाता है।

(d) l Li lli [kkrk ds xj-fui Vku ds ifj.kkeLo: i de fuos'k

निदेशक डाक लेखा कार्यालय मासिक आधार पर मुख्य डाकघरों से रोकड़ खाते, प्राप्तियों तथा भुगतानों की पुष्टि हेतु सूचियाँ तथा वाउचरों के साथ प्राप्त करता है तथा डी बी में समेकित लेखा तैयार करता है। प्राप्तियों एवं भुगतान की राशि जिसके विरुद्ध सूचियाँ/वाउचर मुख्य डाकघर से प्राप्त नहीं हुई हैं उन्हें डेबिट/क्रेडिट सस्पेंस (सन्देहात्मक) खाते में ही रखा गया। इन संदेहात्मक आँकड़ों का निपटान तब तक नहीं किया जाता है जब तक मुख्य डाकघर से अनुपालन प्राप्त नहीं हो जाता है। डाक लेखा कार्यालय अंत में इन डी बी आँकड़ों को डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा शीर्ष के ई-लेखा में अपलोड करता है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता मासिक निवेश योग्य अधिशेष की गणना करते समय इन डी बी आँकड़ों को, जो डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्राप्तियों/भुगतानों के विरुद्ध दर्ज किया जाता है, ध्यान में रखते हैं। सस्पेंस खाता के आँकड़े, निवेश योग्य अधिशेष की गणना में नहीं पाए गए, इस तथ्य के बावजूद कि दैनिक आधार पर निवेश हेतु सकल प्राप्तियों तथा भुगतानों को पहले से ही सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए 11 परिमंडलों के डाक लेखा कार्यालयों में की गई नमूना जाँच के आँकड़ों से यह पता चला कि

- ₹ 83.70 करोड़ तथा ₹ 328.54 करोड़ की क्रमशः डेबिट सस्पेंस शेष तथा क्रेडिट सस्पेंस शेष,

⁸ भारत सरकार के सिविल लेखा संगठनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं लेखा सूचना प्रणाली के लिए वेब आधारित साफ्टवेयर

आठ परिमंडलों⁹ के 46 मुख्य डाकघरों में जो 31 मार्च 2015 के अंत तक डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अन्तर्गत भुगतानों तथा प्राप्तियों के विरुद्ध थी, बकाया था।

- निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता ने केवल डाक लेखा कार्यालयों द्वारा समायोजित डी बी आँकड़ों को सम्मिलित किया जिसमें ससपेंस आँकड़ों को महत्व नहीं दिया गया। इस प्रकार की लेखा पद्धति के परिणामस्वरूप अधिक या कम का निवेश किया गया।

क्रेडिट सस्पेन्स ज्यादा प्रकट हुआ इसका अर्थ है कि प्राप्त प्रीमियम को क्रेडिट सस्पेन्स की मात्रा के बराबर कम आंका गया। इस प्रकार क्रेडिट सस्पेन्स पर ध्यान न देने के परिणामस्वरूप ₹ 244.84 करोड़ का निवेश कम हुआ जो निम्नलिखित तालिका-3 में दर्शाया गया है:-

rkfydk -3

o"kbkj MfcV rFkk ØfMV l Li lli jkf'k

(₹ djkM+e)

o"kl	dfMV l l i lli	MfcV l Li lli	'kq) l ek; "tu
2009-10	25.85	2.38	23.48
2010-11	65.26	14.16	51.09
2011-12	35.16	10.69	24.47
2012-13	50.06	17.57	32.48
2013-14	38.55	10.97	27.58
2014-15	113.66	27.93	85.74
dy	328.54	83.70	244.84

(स्रोत: - यह आँकड़े 11 परिमंडलों के डाक लेखा कार्यालयों से नमूना जाँच में एकत्रित किया गया)

आगे संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान संबंधित मुख्य डाकघरों से प्राप्तियों एवं भुगतान को समर्थित करने के लिए अनुसूचियों/वाउचरों के प्राप्त न होने से निदेशक लेखा (डाक) कार्यालयों में सन्देही खाते असमायोजित पड़े रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि लेखांकित राशियों के आधार पर दैनिक साथ ही साथ मासिक रूप से निवेश किया जा रहा था। समर्थन करने वाले दस्तावेजों/वाउचरों के प्राप्त होने तक प्राप्तियों एवं भुगतानों को सन्देही खातों में रखा जाना कोडल प्रावधानों के अनुरूप था।

मासिक निवेश योग्य आधिक्य की गणना करते समय मंत्रालय को सन्देही खाते की राशि के प्रभाव को विचार में लेना चाहिए था। बीमा फण्ड के सम्बन्ध में सन्देही खाते की राशियों को छोड़ देने के कारण कम फण्ड का निवेश हुआ तथा ऐसे कम निवेशित फण्ड पर रिटर्न की हानि हुई।

([k oru dVkrh ekeyka ds fo#) pxd }kjk , df=r çhfe; eka dks fuos'k djus ea njh

कुछ सिविल तथा रक्षा कार्यालयों, जिनकी पहुँच ई-लेखा में नहीं था, उनसे निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता वेतन कटौती प्रीमियम को चेक द्वारा प्राप्त करते थे। प्रीमियम राशि के शीघ्र निवेश

⁹ आन्ध्र प्रदेश-10 एच पी ओ, दिल्ली-1 एच पी ओ, गुजरात-3 एच पी ओ, केरल-5 एच पी ओ, महाराष्ट्र-6 एच पी ओ, तमिलनाडु-9 एच पी ओ, उत्तर प्रदेश-7 एच पी ओ और पश्चिम बंगाल-5 एच पी ओ

सुनिश्चित करने के लिए, पी एल आई, निदेशालय, नई दिल्ली ने एन आई सी सिस्टम के माध्यम से प्रधान डाक घर कोलकाता द्वारा दैनिक आधार पर ऐसे प्रीमियमों को अपलोड करने की प्रक्रिया परिकल्पित की है। यह संज्ञान में आया कि प्रधान डाक घर कोलकाता ने जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, परिणामस्वरूप निवेश में परिहार्य देरी हुई।

निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता तथा प्रधान डाकघर कोलकाता के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल राशि ₹ 213 करोड़¹⁰ प्रीमियम के रूप में पाँच कार्यालयों¹¹ से प्राप्त की गई। जी पी ओ कोलकाता में चेक क्लियर कराने के लिए तथा पोस्टल लेखा कार्यालय,¹² कोलकाता द्वारा बुकिंग कार्य हेतु लिए गए समय को शामिल करके निवेश हेतु डी पी एल आई कोलकाता द्वारा निवेश योग्य मासिक अधिशेष की विवरणी तैयार करने में लिया गया समय 2012-13 में 24 दिनों से 54 दिनों के बीच, 2013-14 में 13 दिनों से 54 दिनों के बीच तथा 2014-15 में 21 दिनों से 54 दिनों के बीच था।

इस विलम्ब के कारण, डाक जीवन बीमा निदेशालय ₹ 213 करोड़ की राशि समय पर निवेश करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 2 करोड़¹³ के ब्याज की हानि हुई।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा (जुलाई 2016) कि, चेकों के लेखांकन में देरी को समाप्त करने के लिए उन संगठनों से जो पी एल आई पालिसियों के प्रीमियम चेक के माध्यम से जमा करते थे, चेकों की प्राप्ति की प्रणाली को जून 2015 से परिवर्तित कर दिया गया एवं पुनः कहा कि परिवर्तित प्रणाली चेकों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करेगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इंगित किए गए ब्याज की हानि का कारण, चेक क्लियर होने पर राशि को एन आई सी सिस्टम में प्रधान डाक घर कोलकाता द्वारा अपलोड नहीं किया जाना था जो पी एल आई निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप निधि को उसके लेखाओं में क्रेडिट के समय ही निवेश करने में विफलता रही, इस प्रकार से निवेश पर कुछ लाभ खो दिया गया। परिवर्तित प्रणाली में भी केवल डी पी एल आई कोलकाता द्वारा प्रधान डाक घर कोलकाता को चेक भेजने में लिया जाने वाला समय ही समाप्त किया गया है परन्तु अन्य कार्यवाहियों में देरी पूर्ववत् ही है।

इस प्रकार पी एल आई निदेशालय ₹ 213 करोड़ की राशि को समय से निवेशित करने में विफल रहा तथा ₹ 2 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

(x) ekfl d fuos'k ; kx; vf/k' k's'k ds fuos'k ea njh ds i fj.kkeLo: i ₹984 djkm+ ds yk0 dk upl ku gqk

डी पी एल आई, कोलकाता में नवम्बर 2009 से मार्च 2015 तक की अवधि के मासिक निवेश योग्य अधिशेष अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मासिक निवेश योग्य अधिशेष, जो कि संकलन (नियत तिथि आगामी माह की 25 तारीख) के अगले दिन तक निवेशित किया जाना था, को दो

¹⁰ एक लाख रुपये से अधिक के मूल्य के चेक की संवीक्षा की गई।

¹¹ निदेशक लेखा व कोषागार, पुदुचेरी, महालेखाकार (ले व ह) तमिलनाडु, महालेखाकार (ले व ह) केरल, निदेशक लेखा, पणजी, गोवा व वेतन व लेखा कार्यालय आसाम, रायफल्स, शिलाँग

¹² जैसे ही जी पी ओ कोलकाता द्वारा चेक क्लियर कराया गया, बुकिंग तथा ई-लेखा में वर्गीकरण हेतु पोस्टल लेखा कार्यालय को डी पी एल आई, कोलकाता द्वारा मासिक निवेश योग्य अधिशेष की गणना करने के लिए, सूचित किया गया।

¹³ फंड प्रबंधको द्वारा गणना की गयी “निवेश पर आय” दर को लागू करके ब्याज निकला गया।

साल तथा अधिक की देरी से निवेशित किया गया। निवेश योग्य राशि के निवेश में नियत तिथि से देरी तथा इसके परिणामस्वरूप डाक जीवन बीमा निधि के मामले में लाभ में हुए नुकसान का विस्तृत विवरण नीचे तालिका-4 में दिया गया है:-

rkfydk-4

Mkd thou chek fuf/k ds ekfl d fuos'k ; kx; vf/k'ks'k ds fuos'k ea njh l s l akkfor vk; ea udl ku

ekfl d fuos'k ; kx; vf/k'ks'k ds fuos'k ea njh							gkfu dh jkf'k (₹ dj kM+ e)
vof/k	ekg dh dly ¹⁴ l q; k	1 ekg rd	>1 ekg o 6 ekg rd	>6 ekg o 1 o'kz rd	> 1 o'kz o 2 o'kz rd	>2 o'kz	
2009- 10	5	0	0	5	0	0	88.37
2010-11	11	0	0	3	5	3	146.43
2011-12	11	0	0	0	4	7	183.36
2012-13	12	0	0	0	12	0	215.16
2013-14	11	0	0	0	11	0	217.35
2014-15	11	6	5	0	0	0	16.57
dly	61	6	5	8	32	10	867.24

(स्रोत:- डी पी एल आई, कोलकाता कार्यालय के बही खातों से डाटा एकत्रित किया गया)

- डाक जीवन बीमा निधि में सकारात्मक अधिशेष 65 महीनों में से 61 महीनों में (नवम्बर 2009 से मार्च 2015 तक), 15 दिनों से दो वर्ष की अवधि से भी अधिक समय सीमा की देरी से निवेश किया गया था, जैसा की उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 8,132 करोड़ के विलम्बित निवेश पर ₹ 867 करोड़¹⁵ के संभावित लाभ का नुकसान हुआ।
- चार महीनों¹⁶ में सरकारी निधि से किया गया ₹ 593 करोड़ का अतिरिक्त निवेश 7 से 27 महीनों तक असमायोजित पड़ा हुआ था जिस पर डाक जीवन बीमा निधि निवेश के लाभ में ₹ 46 करोड़ अर्जित किये गए। चूँकि निवेशित राशि डाक जीवन बीमा फंड की नहीं थी, अर्जित राशि सरकारी खाते में जमा की जानी चाहिए थी।

उसी प्रकार, नियत तिथि के सापेक्ष अधिशेष राशि के निवेश में किए गए विलम्ब तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में लाभ के परिणामी नुकसान का विस्तृत विवरण नीचे तालिका-5 में दिया गया है:-

¹⁴ डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा दोनों हेतु उन माहों का, जहाँ पर सकारात्मक निवेश योग्य राशि उपलब्ध थी, तालिका में लिया गया है।

¹⁵ फंड प्रबंधको द्वारा गणना की गयी "निवेश पर आय" दर को लागू करके रिटर्न निकाला गया।

¹⁶ अक्टूबर 2010, अगस्त 2011, मार्च 2014 एवं मार्च 2015

rkfyd-5

xkeh.k Mkd thou chek fuf/k ds ekfl d fuos'k ; kX; vf/k'k's'k ds foyEc l s
fuos'k ds dkj .k l Mkkfor vk; dk upl ku

xkeh.k Mkd thou chek ds ekfl d fuos'k ; kX; vf/k'k's'k ds fuos'k ea ngh							fj VuZ ea gkfu dh jkf'k (₹ dj kM+ ea)
vof/k	ekg dh dy l q; k	1 ekg rd	>1 ekg o 6 ekg rd	>6 ekg o 10 ekg rd	>10 ekg o 20 ekg rd	>20 ekg	
2009-10	6	0	0	2	3	1	27.86
2010-11	9	0	0	0	0	9	48.71
2011-12	5	0	0	0	0	5	10.11
2012-13	2	0	0	0	2	0	26.90
2013-14	4	0	0	3	1	0	2.26
2014-15	6	2	4	0	0	0	1.58
dy	32	2	4	5	6	15	117.42

(स्रोत: -निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता कार्यालय के बही खाते से डाटा एकत्रित किया गया)

- 65 में से 32 महीनों में (नवम्बर 2009 से मार्च 2015 तक) ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि में सकारात्मक अधिशेष को, जैसा कि उक्त तालिका में दर्शाया गया है, छः दिनों से लेकर 2 वर्षों से अधिक तक की समय सीमा के विलम्ब से निवेश किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 723 करोड़ के विलम्बित निवेश पर ₹ 117 करोड़ के रिटर्न का नुकसान हुआ।
- सरकारी निधियों से, 33 महीनों में ₹ 718 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया जो 5 से 51 महीनों के लिए असमायोजित पड़ा हुआ था जिस पर ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि के निवेश के रिटर्न में ₹ 102 करोड़ अर्जित किया गया। चूँकि निवेशित राशि ग्रामीण डाक जीवन बीमा की नहीं थी, उस पर अर्जित आय सरकारी खाते में वापस की जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने रिटर्न की हानि से सहमत होते हुए कहा कि विभिन्न एजेन्सियों से सूचियां प्राप्त करने के बाद मासिक निवेश योग्य अधिशेष को ज्ञात किया गया। पुनः यह कहा गया कि यह कार्य आगामी माह की 25 तारीख तक पूरा करना चाहिए, डी पी एल आई पूरी सूचियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा नहीं कर सकती है।

मंत्रालय को सूचियों के इलेक्ट्रॉनिक स्थानान्तरण के लिए सम्बन्धित विभागों/इकाइयों से मामला उठाना चाहिए था तथा अधिशेष निधि के निवेश में देरी एवं परिणामी हानि को टालने के लिए कट-आफ दिनांक को और पहले रखा जाना चाहिए था।

3.1.3.3 fçuk fdl h çfr; kxh ckyh ds fuf/k çca/kdka vksj l j {kd çfd dh fu; fä vksj l fonk dk foLrkj

सार्वजनिक क्षेत्र के दो सबसे बड़े म्यूच्यूलल फंड्स (एस बी आई एफ एम पी एल और यू टी आई ए एम सी एल) को साधारण वित्तीय नियमों में रियायत देते हुए प्रारंभिक रूप से दो वर्षों के लिए निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जैसा कि केन्द्रीय कैबिनेट की 13 दिसम्बर 2007 को हुई सभा में अनुमोदित किया गया था। हालांकि दो वर्ष की अवधि उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जा सकती थी। कैबिनेट टिप्पणी में यह परिकल्पना की गयी कि निधि प्रबंधकों की शुल्क संरचना को पारस्परिक रूप से तय किया जायेगा और निधि प्रबंधक, निधि का व्यावसायिक रूप से प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करते हुए करेंगे कि कोष को घटाए बिना लाभ 8 प्रतिशत की मौजूदा ब्याज दर से कम न हो।

विभाग द्वारा एस बी आई एफ एम पी एल और यू टी आई ए एम सी एल के साथ दो वर्ष हेतु अनुबन्ध 6 नवम्बर 2009 को हस्ताक्षरित किया गया और पी ओ एल आई एफ तथा आर पी ओ एल आई एफ का निवेश नवम्बर 2009 से प्रारम्भ हो गया। तदनुसार निधि प्रबंधकों को समय समय पर संशोधित निर्धारित दर पर प्रबंधन शुल्क देय था। पी एल आई निदेशालय में उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- (क) प्रतियोगी नीलामी के द्वारा किसी अन्य निधि प्रबंधक की नियुक्ति करने के विकल्प को प्रयोग करने के स्थान पर पी एल आई निदेशालय ने निधि प्रबंधकों को बिना रुकावट के काम करने दिया। यद्यपि पारस्परिक वार्ता के द्वारा प्रबंधन शुल्क को कम कर दिया गया, प्रतियोगी नीलामी की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं था कि यह सबसे अधिक किफायती व प्रतियोगी था।
- (ख) संरक्षक बैंक नियुक्त करने की जिम्मेदारी निधि प्रबंधकों को हस्तान्तरित कर दी गयी और ऐसी व्यवस्था में शर्तानुसार संरक्षक को देय प्रभार सीधे ग्राहक खाते में विकलनीय था। इस प्रकार यह स्पष्ट था की संरक्षक बैंक से जुड़ी गतिविधियां, उनका चयन, नियुक्ति, उनको देय प्रभार, उन पर नियंत्रण डाक विभाग में निहित होने के बजाय पूर्णतया निधि प्रबंधकों में निहित था। हालांकि अनुमोदित कैबिनेट नोट केवल निधि प्रबंधकों की नियुक्ति का प्रावधान करता था। निधि प्रबंधकों के द्वारा अक्टूबर 2009 में एच डी एफ सी बैंक को संरक्षक बैंक के रूप में चुना गया।
- (ग) संरक्षण शुल्क के मामले में भी प्रतियोगी बोली के द्वारा कमतर प्रभारों की सम्भावना के विकल्प को प्रयोग किए बिना, प्रभार पारस्परिक समझौते से कम किये गए।

इस प्रकार उपरोक्त से यह माना जा सकता है की डाक विभाग की पी एल आई शाखा ने संरक्षक को नियुक्त एवं नियंत्रित करने के अपने अधिकार को त्याग दिया तथा निधि प्रबंधकों पर पूर्णतः आश्रित रही। चूंकि संरक्षक को किये जाने वाले भुगतान डाक विभाग द्वारा किये जाने थे, लागू नियमों का ध्यान रखे बिना संरक्षक का चयन तथा दर व शुल्क निर्धारित करना, सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

उत्तर में मंत्रालय ने निम्नलिखित कहा (जुलाई 2016):

- फण्ड मैनेजरों (एफ एमएस) की नियुक्ति सीमित विकल्प वाली नहीं थी। अब तक कोई ऐसा कारण नहीं था कि उनके प्रदर्शन पर शंका की जाये। किये गये कार्यों के अति तकनीकी प्रकृति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं नये फण्ड मैनेजरों को बदले जाने पर विचार करते हुए यह

प्रस्तावित किया गया कि प्रक्रिया एक नियुक्त सलाहकार के साथ किया जाये और यह मामला विचाराधीन था।

- सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों को पालन करने की आवश्यकता सम्भवतः विभाग द्वारा सीधे नियुक्त कस्टोडियन के मामले में थी, जो कि इस मामले में नहीं था और इस प्रकार फण्ड मैनेजरों द्वारा कस्टोडियन के नियुक्ति में सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- फण्ड मैनेजर की नियुक्ति सीमित विकल्प वाली थी क्योंकि फण्ड मैनेजर को, सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रारम्भिक दो वर्षों की अवधि के लिए नामित किया गया था। आगे, मंत्रालय ने फण्ड मैनेजर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किसी मापदण्ड को तय नहीं किया। यद्यपि छः वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया है, मंत्रालय ने प्रक्रिया का मूल्यांकन करने तथा नये फण्ड मैनेजरों को बदलने के लिए किसी सलाहकार को नियुक्त नहीं कर सकी। मंत्रालय ने कैबिनेट के नोट को उद्घृत करते हुए फण्ड मैनेजर को जारी रखने का सुविधानुसार अर्थ लगाया।
- सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधान केवल कस्टोडियन की नियुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी मामलों में जहां सरकारी खर्च है, लागू हैं।

3.1.3.4 fuos'k foHkkx dh xfrfof/k; k;

मई 2008 में प्रकाशित राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार निवेश बोर्ड (आई बी) को नीति निर्देशिका और निवेश कार्यनीति बनाने के उद्देश्य हेतु सर्वोच्च निकाय बनाया गया जो कि निवेश हेतु दिन प्रतिदिन लिए जाने वाले निर्णयों का ढांचा तैयार करेगा। डाक सेवा बोर्ड का सदस्य (पी एल आई) बाहरी तीन वित्तीय विशेषज्ञों के साथ निवेश बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मुख्य निवेश अधिकारी (सी आई ओ) निवेश बोर्ड के संयोजक सदस्य के रूप में कार्य करेगा। निवेश विभाग (आई डी) सी आई ओ द्वारा निर्देशित होता है जो कि निवेश बोर्ड के निर्णयानुसार नीति ढांचा और निवेश की संरचना का कार्य निष्पादित करता है। पी एल आई निदेशालय ने सी आई ओ के पद के अतिरिक्त निदेशकों के चार पदों को संस्वीकृत किया था। इस प्रकार निवेश विभाग आई आर डी ए के दिशा-निर्देशों के तहत डाक विभाग की बीमा निधियों का प्रबंधन करने तथा उसको पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

(d) xouēV vWQ bfUM; k Li s'ky fl D; "fjVhTk qly"fvax jv/ ckW/M (th vks vkbz , l , l , Q vkj ch) ea fj Vuž ds i qufub's k ea ng h l s fj Vuž ea gkfu

31 अक्टूबर 2009 की स्थिति में पी ओ एल आई एफ में ₹ 15,345 करोड़ व आर पी ओ एल आई एफ में ₹ 5,549 करोड़ की शीतित राशि, जी ओ आई एस एस एफ आर बी में परिवर्तित कर दी गयी जिसने अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज अर्जित किया।

उपर्युक्त दस्तावेज पर अर्धवार्षिक रूप से अर्जित ब्याज समय समय पर एच डी एफ सी के द्वारा, संरक्षक (कस्टोडियन) बैंक होने के नाते, अनुरक्षित किये गये पी ओ एल आई एफ तथा आर पी ओ एल आई एफ खातों में जमा होता गया। ब्याज प्राप्ति के बाद निदेशालय, पी एल आई, नई दिल्ली को

इसका शीघ्र निवेशित होना सुनिश्चित करने हेतु संरक्षक बैंक को निधि प्रबंधकों के खाते में निधि स्थानांतरित करने का अविलम्ब निर्देश देना था।

उपर्युक्त खातों के बैंक विवरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि पी एल आई निदेशालय द्वारा निधि प्रबंधकों को पुनर्निवेश हेतु निधि स्थानांतरित करने के निर्देश जारी करने में विलम्ब हुआ। यद्यपि वर्ष 2011-12 में 44 दिन तक का विलम्ब था, वर्ष 2014-15 में कोई विलम्ब नहीं था। निधि के स्थानान्तरण में देरी के कारण ₹ 7 करोड़¹⁷ के रिटर्न की हानि हुई जो नीचे तालिका-6 में दी गयी है:

rkfydk-6

th vks vkbz , l , l , Q vkj ch fjVuZ ds iufubz'sk ea ngjh ds dkj .k C; kt dh gkfu
(₹ yk[k ea)

o"z	i h vks , y vkbz , Q		vkj i h vks , y vkbz , Q	
	foyEc dh l hek	C; kt dh gkfu	foyEc dh l hek	C; kt dh gkfu
2011-12	44 दिवसों तक	289.10	44 दिवसों तक	90.79
2012-13	9 दिवसों तक	126.20	9 दिवसों तक	41.94
2013-14	6 दिवसों तक	104.88	5 दिवसों तक	25.72
2014-15	1 दिवस	12.52	शून्य	0
dy		532.70		158.45
dy ; kx: 691.15 (yxHkx ₹ 7 dj kM)				

(स्रोत:- निवेश विभाग, पी एल आई, मुंबई के अभिलेखों से डाटा एकत्रित किया गया)

इस प्रकार एकत्रित किये गए आंकड़ों की परीक्षा करने पर पाया गया कि 44 दिन के विलम्ब के पश्चात् ₹ 3.80 करोड़ की सारवान् राशि निवेशित की गई, जबकि 5 से 9 दिन का विलम्ब ₹ 2.99 करोड़ की राशि निवेशित करने में पाया गया जो कि ब्याज की हानि में फलित हुई। यह भी पाया गया कि यह केवल हानि नहीं बल्कि संरक्षक बैंक को अनुचित लाभ भी था जिसने इस निधि का फायदा उठाया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि सम्बन्धित सी एस जी एल (घटक अनुसंगी सामान्य खाता) लेखों के संचालन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का निर्णय होने के बाद 30 सितम्बर 2011 को प्राप्त ब्याज के सम्बन्ध में अर्धवार्षिक ब्याज के निवेश के लिए स्थानान्तरण एडवाइस 11 नवम्बर 2011 को जारी किया गया। अन्य अवधि के लिए प्राप्त ब्याज के सम्बन्ध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि ब्याज प्राप्ति की सूचना और इसका अन्तिम रूप से निवेश तात्कालिक परिणामी प्रक्रियाएं नहीं थी और आगे जोड़ा कि यह समय लगने वाला कार्य है तथा एक स्वचालित तरीके से नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर बी आई सहित विभिन्न स्तरों पर कई जांच तथा पारस्परिक जांच करनी होती हैं।

मंत्रालय का उत्तर, इस तथ्य के कारण कि प्राप्त होने वाले ब्याज की अवधि का अच्छी तरह से संज्ञान है, स्वीकार्य नहीं है तथा निवेश में देरी को रोकने के लिए सम्बन्धित कार्य का आरम्भ समय से किया जा सकता था जैसा कि विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में किया गया।

¹⁷ फंड प्रबंधकों द्वारा गणना की गयी "निवेश पर आय" दर को लागू करके ब्याज निकाला गया।

([k) l ok dj dk Hkqrku djrs l e; l loV ØfMV dk yk0 u yus ds dkj .k gkfu

सेन्चैट क्रेडिट नियम, 2004 के साथ सहपठित भारत सरकार की अधिसूचना¹⁸ के अनुसार, कर योग्य सेवा प्रदाता सेन्चैट क्रेडिट लेने के लिए स्वीकृत होगा यदि आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे सेवा कर का भुगतान किसी इनपुट सेवा में किया गया हो। सेन्चैट क्रेडिट नियमों में 1 मार्च 2015¹⁹ से प्रभावी एक संशोधन लागू किया गया जिसने एक वर्ष की अवधि के भीतर सेन्चैट क्रेडिट का लाभ लेने का बन्धन लगाया।

पी एल आई निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा, निधि प्रबंधकों और संरक्षक बैंक को उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान करते समय सेवाकर की प्रतिपूर्ति भी की गयी। वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के बीच इनपुट सेवाओं पर भुगतान किया गया सेवाकर²⁰ का ₹ 2.97 करोड़²¹, प्रबंधन द्वारा बीमा व्यवसाय की आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर का भुगतान करते समय सेन्चैट क्रेडिट की भांति उपयोग किया जा सकता था। परन्तु निवेश विभाग, मुंबई द्वारा समय पर इनपुट सेवाओं पर ऐसा क्रेडिट डी पी एल आई कोलकाता, जो कि आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी था, को नहीं सौंपा गया। निवेश विभाग, मुंबई ने जनवरी 2016 में अंततः डी पी एल आई, कोलकाता को उपयोग न किए गए सेन्चैट क्रेडिट की मात्रा के बारे में सूचित किया और उस समय तक सम्पूर्ण क्रेडिट समाप्त हो चुका था।

इस प्रकार निवेश विभाग, पी एल आई, मुंबई की निष्क्रियता और पी एल आई निदेशालय द्वारा निधि प्रबंधन में पर्याप्त देखभाल की कमी से सेन्चैट क्रेडिट का लाभ न लेने के कारण ₹ 2.97 करोड़ की हानि में फलित हुई।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि कड़ाई से सेन्चैट क्रेडिट का उपयोग करने के लिए यथोचित निर्देश जारी (मई 2016) कर दिये गये हैं।

तथापि यह तथ्य बना रहा कि जब तक डी पी एल आई, कोलकाता तक सूचना पहुंची, पूरी क्रेडिट राशि कालातीत हो चुकी थी। मंत्रालय का निर्देश भविष्य के सेन्चैट क्रेडिट का उपयोग करने के लिए लागू होगा यदि सभी सम्बन्धितों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है तथा हानि की ₹ 2.97 करोड़ की राशि को वापस नहीं लाया जा सकता।

(x) vkb/ vkj Mh , ds bloLVeIV g'fYMax rjhds dk vuq j .k ugha fd; k x; k

पी एल आई निवेश नीति के अनुसार, निवेश गतिविधि प्राथमिक रूप से समय समय पर संशोधित आई आर डी ए (निवेश) विनियमन 2000 द्वारा निर्देशित होगी। लेखापरीक्षा जांच ने पी एल आई, मुंबई के निवेश विभाग द्वारा आई आर डी ए निर्धारित होल्डिंग तरीके से निम्नलिखित विचलन को प्रकट किया:

- वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान “सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों” में निवेश निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर 30-35 प्रतिशत की सीमा में किया गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति में इस वर्ग में किए गए कम निवेश 29.52 प्रतिशत की सीमा तक थे।

¹⁸ संख्या. 23/2004 - सेन्ट्रल एक्साइज (एन टी), दिनांक 10/09/2004

¹⁹ नोटीफिकेशन नं. 6/2015-सेन्ट्रल एक्साइज (एन टी), दिनांक 1 मार्च 2015 के माध्यम से

²⁰ शिक्षा अधिभार और उच्च शिक्षा अधिभार सहित

²¹ ₹ 2.18 करोड़ फंड मैनेजर्स को और ₹ 0.79 करोड़ कस्टोडियन बैंक को

- वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए सभी वर्षों में “अनुमोदित निवेश और अन्य निवेश” में किया गया निवेश निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक था। 31 मार्च 2015 की स्थिति में इस वर्ग में किए गए अधिक निवेश 68.57 प्रतिशत की सीमा तक थे।
- हालाँकि, “गृह व्यवस्था व आधारीक संरचना में निवेश” में किए गए निवेश सभी वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत से अधिक की सीमा में कायम रखे गए। वर्ष 2012-13 में यह अधिकतम 35.92 प्रतिशत था तथा 31 मार्च 2015 को 30.13 प्रतिशत तक था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि वैधानिक रूप से पी एल आई एवं आर पी एल आई, आई आर डी ए के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आगे यह कहा गया कि निवेश मण्डल (आई बी) ने यह निर्णय लिया (8 जून 2015) कि शीतित राशि को ही केवल पी ओ एल आई एफ तथा आर पी ओ एल आई एफ के धारण तरीके को जानने के लिए विचार में लिया गया तथा आई आर डी ए (इन्वेस्टमेंट) विनियमनों का अनुपालन तत्परता से सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि यह संघ कैबिनेट को किया गया वादा था। निवेश मण्डल ने, सरकारी प्रतिभूतियों में आवश्यक धारिता को सुनिश्चित करने के लिए जहां पर कमी थी, 31 दिसम्बर 2016 तक की एक समय सीमा निश्चित की जो किसी भी दशा में 31 मार्च 2017 के बाद न हो।

उपर्युक्त उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग के निवेश नीति दस्तावेज में कहा गया है कि “निवेश की गतिविधि प्राथमिक रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत जारी किये गए आई आर डी ए (निवेश) विनियमन, 2000 तथा उसमें समय समय पर किये गए संशोधनों के द्वारा निर्देशित होगी”। अतः आई आर डी ए विनियमन, निवेश विभाग पर भी उतने ही लागू होते हैं। पुनः निवेश मण्डल ने स्वीकार किया है कि आई आर डी ए (इन्वेस्टमेंट) विनियमनों से विचलन, संघ कैबिनेट के अनुमोदन का अनुपालन नहीं था।

fu"d"k

पी एल आई एवं आर पी एल आई के निधि के प्रबन्धन में कमियां थी जैसे दैनिक शुद्ध अभिवृद्धि के आधार पर साथ ही साथ मासिक निवेश योग्य निधि के आधार पर निवेश योग्य निधि का गलत आंकलन, निवेश में देरी तथा परिणाम स्वरूप ₹ 984 करोड़ की हानि, जी ओ आई एस एस एफ आर बी के रिटर्न को पुनर्निवेश करने में देरी तथा आई आर डी ए (इन्वेस्टमेंट) विनियमनों से विचलन जिसका कि कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार अनुपालन आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, सेन्चैट क्रेडिट का उपयोग न करने के उदाहरण भी संज्ञान में आये।

3.2 Mkd foHkkx (Mk fo) ea Hkfe ds [kkyh lykVka dk i zU/ku

foHkkx us Hkfe lykVka dks iklr djus@[kjhnus ds igys okLrfod vko'; drk dk vkadyu ugha fd; kA fnl Ecj 2015 dks bl ds ikl ₹ 209.55 djkm+ eW; ds 6.77 yk[k oxzhVj ds 472 [kkyh OhgkYM lykV FkA Mkd Hkou@depkjh DokVl l cukus ds fy, 1978 l s i w l vf/kx'ghr fd; s x; s 4.08 yk[k oxzhVj ds 100 lykV vHkh rd [kkyh Fks rFkk 2014 rd ₹ 3.37 djkm+ iVvk fdjk; s ds en ea Hkpxrku fd; k x; kA ₹ 13.94 djkm+ eW; ds 3.24 yk[k oxzhVj ds 241 lykV vfrØfer FkA ; Fkkfpr l ko/kkuh okys dne mBkus ea foHkkx dh foQyrk l s u dpy vfrdæ.k ea ifj.kkfer gvk cfYd bl l s vuko'; d epnek Hkh gvk, ftl s Vkyk tk l drk Fkka

3.2.1 i Lrkouk:

भारत में डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जिसके अन्तर्गत 1.54 लाख से अधिक डाकघर हैं जो देश में चारों तरफ फैले हैं। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि मेल का संग्रहण, प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवायें जिनमें धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ साथ बीमा शामिल है, भी प्रदान की जाती है। सैन्य एवं रेलवे के पेंशन भोगियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के संवितरण के अतिरिक्त, डाक विभाग ने महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक लाभ के भुगतानों की भी जिम्मेदारी ली है।

31 मार्च 2015 तक पूरे देश में डाक विभाग के अधिकार में 26,326 भवन थे। इनमें से 4,441 भवनों पर विभाग का स्वामित्व था, 20,181 भवन किराये पर दिये गये हैं और 1,704 भवन किराया मुक्त हैं (vuyxud-II)। इसके अतिरिक्त, डाक विभाग के अधिकार में 1,763 खाली प्लॉट भी हैं जोकि एक समय अन्तराल में डाक सेवाओं के लिये भवन-निर्माण हेतु या तो क्रय/अधिग्रहीत किये किये गये थे अथवा उपहार के रूप में प्राप्त हुए थे।

डाक विभाग में भूमि के खाली प्लॉट के प्रबन्धन की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिये की गई थी कि भूमि/प्लॉट का उपयोग/रक्षा प्रभावपूर्ण तथा कुशलतापूर्ण की गई थी। पूरे देश में फैले 22 डाक परिमंडलों में दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016 के दौरान लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा ने कुछ कमियां पाईं जिनके बारे में अनुवर्ती पैराग्राफ में बताया गया है:

3.2.2 lykVka dks yæ s l e; rd [kkyh jgus ds dkj .k ngyHk Hkæ l d k/kuka dk vojkyku

विभागीय नियमों में व्यवस्था²² है कि भूमि क्रय अथवा अधिग्रहण के लिये परिमंडलाध्यक्ष द्वारा स्थल की उपयुक्तता का निर्णय विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिये। यदि भूमि या सम्पत्ति उपयुक्त है तो पहले परिमंडलाध्यक्ष जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी से सलाह ले और भूमि की सम्भाव्य लागत के सम्बन्ध में उनसे पूरी सूचना प्राप्त करे।

20 डाक परिमंडलों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016) कि 48.08 लाख वर्ग मीटर²³ के 1,608 फ्रीहोल्ड प्लॉट जोकि डाकघरों व स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिये बहुत पहले प्राप्त/क्रय किये गये (19वीं शताब्दी के भी) अभी तक खाली पड़े थे (vuyxud-III) जैसा कि परिमंडलों द्वारा बताया गया था, 980 फ्रीहोल्ड प्लॉट (1,608 में से) की अधिग्रहण लागत ₹ 77.03 करोड़ थी। शेष 628 प्लॉट की अधिग्रहण लागत परिमंडलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यह भी पाया गया कि कुल 1,608 प्लॉटों में से चार परिमंडलों में 6.77 लाख वर्ग मीटर की माप के 472 खाली फ्रीहोल्ड प्लॉट का वर्तमान मूल्य ₹ 4.33 करोड़ ₹0 की मूल अधिग्रहण लागत से जैसा कि डाक प्राधिकारियों द्वारा बताया गया, बढ़कर ₹ 209.55 करोड़ हो गया था (दिसम्बर 2015) जैसा कि तालिका-1 में नीचे दर्शाया गया है:

²² डाक नियम पुस्तिका भाग II का नियम 458

²³ छत्तीसगढ़ व दिल्ली परिमण्डलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई इसलिए इसमें सम्मिलित नहीं किया गया।

rkfydk-1

(₹ djkM+e)

lkfje.My dk uke	[kkyh i Ms lykVka dh l d; k	[kkyh lykVka dk {ks=Qy (oxēhVj e)	[kkyh lykVka dk eW;	
			vf/kxg.k eW;	orēku eW;
आन्ध्र प्रदेश	122	2,15,229.20	1.58	139.71
कर्नाटका	334	4,19,089.22	2.48	61.86
उड़ीसा	12	35,067.64	0.17	4.97
महाराष्ट्रा (मुम्बई)	4	7,406.50	0.10	3.01
dy	472	6,76,792.56	4.33	209.55

(स्रोत: डाक परिमंडलों द्वारा दिया गया डेटा)

खाली भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य जोकि अन्य परिमंडलों में उपलब्ध नहीं था, भी कई गुना बढ़ गया होगा। यह भी देखा गया था कि उपरोक्त उल्लिखित 472 खाली प्लॉट में से 468 प्लॉट 25 वर्षों से 75 वर्षों से भी अधिक समय तक खाली पड़े रहे।

उपरोक्त उदाहरणों से निर्दिष्ट होता है कि डाक विभाग, वास्तविक आवश्यकताओं के बिना प्लॉट का अधिग्रहण/क्रय करता रहा। डाक विभाग की सामान्य गतिविधियों में कमी से, अधिकतर प्लॉट का कोई उत्पादित उपयोग नहीं हो रहा होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकारते हुये बताया (जुलाई 2016) कि विभाग की भविष्य की जरूरतों की अग्रिम आंकलन में भूमि का क्रय/अधिग्रहण किया गया था। आगे यह भी बताया कि पूरी तरह से शहरीकरण के बाद जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जायेगी तब सीमित वित्तीय आवंटन के कारण बाजार कीमत पर जमीन अधिग्रहण करना संभव नहीं होगा। बाजार कीमत बढ़ने के बारे में मंत्रालय ने बताया कि वास्तविक अर्थ में खाली भूमि की कोई वर्तमान व्यवसायिक एवं बाजारू कीमत नहीं है क्योंकि प्लॉट विशेष उद्देश्य के लिये खरीदे गये थे एवं व्यवसायिक गतिविधियों के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह भी बताया गया कि योजना मद के अर्न्तगत सीमित निधि के आवंटन के कारण उपलब्ध प्लॉटों की तुलना में निर्माण गतिविधियों की संख्या कम है। आगे मंत्रालय ने बताया कि सभी उपलब्ध खाली प्लॉटों पर निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिये तेरह वर्षीय भावी योजना के अर्न्तगत नीति आयोग को पर्याप्त निधि हेतु प्रक्षेपण किया है।

विभाग प्रत्येक प्लॉट की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करे तथा ऐसे प्लॉट जिनका कोई उत्पादित उपयोग नहीं है, अन्य विभागों में हस्तांतरण करके विपथन के लिये या अन्य विकल्प पर विचार करें। प्लॉट के ऐसे लम्बे समय तक खाली रहने के कारण कुछ प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई जो कि डाक विभाग के लिए अतिरिक्त खतरा है।

3.2.3 lykW ij vfrØe.k

डाक नियमावली खंड II का पैराग्राफ 461 अनुबंध करता है कि क्रय किये गये अथवा प्राप्त किये गये सभी स्थलों की सावधानीपूर्वक निगरानी स्थानीय विभागीय अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके तथा मंडलीय अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में स्थल है, किसी प्रकार

के अतिक्रमण के प्रकरण में सम्बन्धित परिमण्डलाध्यक्ष को रिपोर्ट करनी चाहिये। डाक विभाग ने सभी परिमण्डलों को निर्देश दिया (फरवरी 2010) कि वे उन प्लॉटों पर बाउन्ड्री दीवार के निर्माण को प्राथमिकता दे जहां अतिक्रमण हो गया है या जहां पर अतिक्रमण होने का तात्कालिक डर है अथवा गैर-निर्माण के प्रकरण में कब्जा किये जाने की सम्भावना हो।

22 परिमण्डलों में से 19 के सम्बंध में, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016) से पता चला कि 241 प्लॉट, जिनका क्षेत्रफल 3.24 लाख वर्ग मीटर तथा जिनकी अधिग्रहण लागत ₹ 13.94 करोड़ थी, पर अतिक्रमण किया गया था (vuyxud-IV)। इसके अतिरिक्त, जैसाकि छः परिमण्डलों द्वारा बताया गया था, 76,683 वर्ग मीटर से युक्त 107 अतिक्रमित प्लॉट का वर्तमान मूल्य ₹ 3.59 करोड़ से बढ़कर ₹ 63.90 करोड़ हो गया जैसाकि नीचे की तालिका-2 में दर्शाया गया है:

rkfydk - 2

(₹ djkM+ e)

lkfje.My dk uke	vfrØfer lykVka dh l a; k	vfrØfer {ks=Qy (oxhVj e)	vfrØfer lykVka dk vf/kxg.k eW;	vfrØfer lykVka dk orhku eW;
आन्ध्र प्रदेश	11	4,151.00	0.14	3.14
गुजरात	21	3,768.63	0.04	2.95
कर्नाटका	33	13,533.55	0.05	6.56
मध्यप्रदेश	6	6,494.62	3.15	5.44
महाराष्ट्र	18	37,279.60	0.10	36.52
राजस्थान	18	11,455.45	0.11	9.29
dy	107	76,682.85	3.59	63.90

(स्रोत: डाक परिमण्डलों द्वारा दिया गया डेटा)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकारते हुए बताया (जुलाई 2016) कि परिमण्डल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि वह कटीले तारों/बाड़ के द्वारा अपनी भूमि को सुरक्षित करें एवं यह भी निर्देश दिया था कि वह शख्त जागरूक कार्यवाही सुनिश्चित करें। आगे यह भी बताया कि संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाकर अतिक्रमण हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

तेजी से शहरीकरण से इन प्लॉटों की बाजार कीमत में अधिग्रहण की तुलना में कई गुना वृद्धि हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि विभाग इन प्लॉटों पर शरारती तत्वों से अतिक्रमण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करे।

3.2.4 Hkfe o Hkouka ds vfHkys[kka dk vuq ; Ør vuq {k.k@vuq {k.k u djuk

डाक नियम पुस्तिका खंड-I का पैराग्राफ 546 अनुबद्ध करता है कि परिमण्डल अध्यक्ष भू-अभिलेखों के उचित अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी हैं। डाक व दूरसंचार वितीय नियम पुस्तिका खंड-I के नियम 484 लूज लीफ रजिस्टर के रूप में भूमि व भवनों का अनुरक्षण विशेष तौर पर निर्दिष्ट करता है। नये निर्माण, भूमि अथवा भवन का अधिग्रहण अथवा अतिरिक्त कार्य से सम्बन्धित सारा व्यय रजिस्टर में रिकार्ड होना चाहिये। प्रत्येक भवन/खाली प्लॉट के लिये एक पन्ना दिया जाता है और रख रखाव लूज

लीफ लेजर के बाइन्डर में रखा जाता है। सभी घटनायें अर्थात् भवन का निर्माण, भवन में अतिरिक्त कार्य, भवन की बिक्री, अन्य संगठनों को मालिकाना हक का हस्तांतरण, खाली करना तथा विखंडन आदि उस प्लॉट/भवन के लिये चिन्हित लीफ में दर्ज होंगे।

22 डाक परिमंडलों में से 13 में 1,250 प्लॉट के सम्बंध में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इन परिमंडलों ने भूमि अभिलेखों के अनुरक्षण के सम्बंध में अनुबद्ध अनुदेशों का पालन नहीं किया, परिणामस्वरूप 11 डाक परिमंडलों²⁴ में परिमंडल कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में समेकित अभिलेखों का रख रखाव नहीं हुआ। यह भी देखा गया था कि दो परिमंडलों में यद्यपि रजिस्टर रखे गये थे लेकिन उन्हें ठीक तरह से अद्यतन²⁵ नहीं किया गया था अर्थात् बाउन्ड्री की दीवार का निर्माण व अन्य गतिविधियां आदि रजिस्टर में नोट नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, देश में प्रौद्योगिकी के उन्नत होने से, भूमि व भवनों से सम्बन्धित अभिलेखों को डिजिटल किया जाना चाहिये जिससे कि परिमंडलों में उपलब्ध अचल सम्पत्ति व उनके उपयोग की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के तर्कों को स्वीकारते हुये कहा (जुलाई 2016) कि सभी परिमंडलों से कहा गया है कि वे भूमि व भवन का रजिस्टर जैसा कि नियम में बताया गया है, बनाये व उसे अद्यतन रखे। यह भी बताया कि शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार वेब आधारित सरकारी भूमि डाटा अनुरक्षण तंत्र का विकास किया जा रहा है।

डाक विभाग को आवश्यकता है कि वह अपने अधिकार में अचल सम्पत्तियों पर सूक्ष्म निगरानी रखे तथा अतिक्रमण के मामलों पर तत्परता से विचार करना चाहिये ताकि विभाग के हितों की रक्षा की जा सके।

3.2.5 लीफ लेजर के बाइन्डर में रखा जाना चाहिए

डाक नियम पुस्तिका खंड-II का पैराग्राफ 449 अनुबद्ध करता है कि जब भवन भाड़े पर लेना आवश्यक हो तो निविदा बुलाना चाहिए। निविदा स्वीकार करने के पहले भवन के लिये किराये के भुगतान में संस्वीकृति अथवा अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिये। परिमंडल अध्यक्ष अपने विवेक से ऐसे प्रकरणों में जहां सकारात्मक आपत्ति हों अथवा मांग आकस्मिक हो, पट्टाकृत भवनों के लिए टेण्डर मंगाने की प्रक्रिया को छोड़ सकता है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये भूमि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (दिसम्बर 2015 व जनवरी 2016) कि, 22 परिमंडलों में से 16 परिमंडलों में, 100 प्लॉट जिनकी माप 4.08 लाख वर्गमीटर थी, डाकघर भवन/स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिये पट्टे पर प्राप्त किये गये थे, जो कि 1978 के पहले के थे, अभी तक खाली पड़े थे और 2014 की अवधि तक ₹ 3.37 करोड़ की राशि पट्टा किराये के रूप में भुगतान की गई थी (व्यय-व)। यह भी देखा गया था कि अकेले दिल्ली परिमंडल में ही, 53,137 वर्गमीटर नाप के 19 प्लॉट जो कि 1983 से 2014 के दौरान ₹ 2.37 करोड़ के पट्टे पर लिये गये थे, बिना किसी उपयोग के अभी भी खाली पड़े थे। अकेले मुम्बई डाक परिमंडल में ही, 16,597 वर्गमीटर नाप के 9 प्लॉट जो कि 1984 से 1992 के दौरान पट्टे पर लिये गये थे, अभी भी खाली पड़े थे।

²⁴ आन्ध्र प्रदेश; कर्नाटक; उत्तर प्रदेश; केरल; पश्चिम बंगाल; उत्तर पूर्व; जम्मू व कश्मीर; हिमाचल प्रदेश; झारखण्ड; बिहार; उड़ीसा

²⁵ मध्य प्रदेश व राजस्थान

उपरोक्त उदाहरणों से निर्दिष्ट होता है कि विभाग ने भूमि के प्लॉट प्राप्त करने/क्रय करने से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। यद्यपि ये प्लॉट डाकघर तथा स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिये प्राप्त/क्रय किये गये थे, ये काफी समय तक खाली पड़े रहे। यहां तक कि जो प्लॉट पट्टे पर लिये गये, वे भी खाली पड़े थे तथा इन प्लॉट के लिये पट्टा किराये का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकारते हुये बताया (जुलाई 2016) कि विभाग की भविष्य की जरूरत के अग्रिम आकलन में भूमि प्राप्त/क्रय या लीज़ पर ली गई है। क्योंकि बाद में भूमि लीज़ पर भी उपलब्ध नहीं होगी। आगे यह भी बताया कि योजना मद के अर्न्तगत निधि के सीमित आवंटन के कारण प्लॉटों की उपलब्धता की अपेक्षा निर्माण गतिविधियां कम है। आगे, मंत्रालय ने बताया कि तेरह वर्षीय भावी योजना के अर्न्तगत नीति आयोग को पर्याप्त निधि हेतु प्रक्षेपण किया है जिससे योजना अवधि के दौरान उपलब्ध खाली प्लॉटों में ज्यादा निर्माण कार्य किये जा सकें।

जनसंख्या व तेजी से शहरीकरण में वृद्धि होने से, इन प्लॉटों का मूल्य अधिग्रहण लागत की तुलना में कई गुना बढ़ गया था। इसलिये यह अत्यावश्यक था कि विभाग को पर्याप्त उपाय करने चाहिये ताकि शरारती तत्वों द्वारा अतिक्रमण से इन प्लॉटों की रक्षा की जा सके। तथापि, पर्याप्त एहतियाती उपाय करने में विभाग की विफलता से न केवल शरारती तत्वों ने इन खाली प्लॉटों पर अतिक्रमण किया अपितु अनावश्यक मुकद्दमेबाजी के प्रकरण भी हुये जिनसे बचा जा सकता था। विभाग को भूमि के खाली प्लॉटों को जो इनके उत्पादित उपयोग में आने लायक नहीं हैं उन्हें अन्य विभागों में हस्तांतरण अथवा अन्य को देने की संभावना तलाशना चाहिये।

3.3 fcy esy l ok ds fu; eka ds xj-vuij kyu ds dkj .k jktLo dh de ol yjh

vik= mi HkkDrkvka ds fy; s fj; k; rh njka ij fcy esy l ok inku dh x; h t's fd jktLo dh ₹ 2.74 djkm+ dh de ol yjh ea Qfyr gpa

15 सितम्बर 2003 को डाक विभाग (डा वि) द्वारा बिल मेल सेवा (बि एम एस), आवधिक संचार जैसे कि वित्तीय विवरण, बिल, मासिक खाते के बिल तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं के प्रेषण में लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस सेवा के अंतर्गत, सेवा प्रदाता द्वारा 90 दिनों में कम से कम एक बार इच्छित उपभोक्ता को मेल पोस्ट की जा सकती है। अगस्त 2007 से लागू हुई इस सेवा में, पहले 50 ग्राम भार पर बिल मेल सेवा का चार्ज ₹ 3 है और फिर प्रत्येक 50 ग्राम या उसके भाग पर ₹ 2 का चार्ज है। इस सेवा के अंतर्गत रियायती दरों का लाभ उठाने के लिये, बिल मेल की पोस्टिंग संख्या एक समय में 5000 नग से कम नहीं होनी चाहिये।

नौ²⁶ डाक परिमंडलों के अंतर्गत 43 मुख्य डाकघरों/व्यवयाय डाक केन्द्रों के रिकॉर्ड की संवीक्षा (सितम्बर 2014 से मार्च 2016) से यह सामने आया कि जुलाई 2007 से मार्च 2016 के दौरान बिल मेल सेवा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को रियायती दरों का लाभ उनकी डाक एक समय में 5000 से कम होने पर भी दिया जा रहा था। इस प्रकार उन उपभोक्ताओं को अनियमित तौर पर बिल मेल सेवा की

²⁶ कर्नाटक, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल

रियायती दरों का फायदा मिल रहा था जबकि उनसे सामान्य पत्र की दर के हिसाब से ₹ 5 का प्रभार लिया जाना था। यह, नौ डाक परिमंडलों के अंतर्गत 43 मुख्य डाकघरों/व्यवसाय डाक केन्द्रों से राजस्व की ₹ 2.74 करोड़ की कम वसूली में फलित हुआ, जैसा कि (vuyxud-VI) में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इन बिन्दुओं को इंगित किए जाने पर, कर्नाटक परिमंडल के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2016) कि:

- होसपेट और नंजन्गुड़ के मुख्य डाकघरों में, एल आई सी ने बिल मेल सेवा का इस्तेमाल नहीं किया तथा वस्तुएं अंतर्देशीय पत्र कार्ड्स के रूप में भेजी थी जिस पर ₹ 2.50 के हिसाब से चार्ज किया गया। इसके अलावा, ₹ 0.50 प्रति वस्तु बतौर उठाई-धराई खर्च लिया गया था, जिसे गलती से ₹ 3 प्रति वस्तु प्रभारमुक्त मूल्य में शामिल किया गया, जिससे यह प्रतीत होता था कि वस्तुएं बिल मेल सेवा के अंतर्गत डाक से भेजी गयीं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि इसे उठाई-धराई खर्च के अंतर्गत अलग से वर्गीकृत और लेखाबद्ध किया जाना चाहिये था।
- मंत्रालय ने कहा कि मैंगलोर, हुबली, गुलबर्गा, बेलगांम और पुट्टर के मुख्य डाकघरों में उपभोक्ताओं ने एक समय में 5000 से ज्यादा वस्तुएँ डाक द्वारा भेजी थीं परन्तु मशीनों की खराबी, बिजली की कटौती, मानव संसाधनों की कमी के कारण मशीन पर बिल मेल सेवा के अंतर्गत 5000 से कम वस्तुयें प्रभारमुक्त रजिस्टर में दर्ज की गईं। इस प्रकार की प्रभारमुक्त वस्तुएँ केवल प्रभारमुक्त रजिस्टर में लेखाबद्ध तथा पोस्ट की गईं। यह भी कहा गया कि काउंटर पर एक समय में बिल मेल सेवा के अंतर्गत वस्तुओं की प्राप्ति/प्रेषण को दर्ज करने के लिये रजिस्टर निर्धारित नहीं किये गये हैं। आगे यह भी कहा गया कि परिमंडलों में रजिस्टर बनाने की शुरुआत के अनुदेश दिये गये हैं ताकि बिल मेल सेवा के अंतर्गत वस्तुओं को दर्ज करने हेतु एक समुचित निगरानी तंत्र लाया जा सके।
- आठ अन्य परिमंडलों के पोस्ट मास्टरों/प्रधानों/व्यवसायिक डाक केन्द्रों ने लेखापरीक्षा के बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए कहा कि बिल मेल सेवा मानकों का पालन करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

कर्नाटक परिमंडल के डाकघरों के लिये मंत्रालय द्वारा दिये गये जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि:

- होसपेट और नंजन्गुड़ के मुख्य डाकघरों में, एल आई सी और बी एस एन एल अपने प्रीमियम बिल और टेलीफोन बिल पूर्व प्रिन्टेड अंतर्देशीय पत्र/बिलों द्वारा उपभोक्ताओं को भेज रहे थे न कि अंतर्देशीय पत्र पोस्ट कार्डों द्वारा जैसा कि जवाब में कहा गया है। इसलिये, इन अंतर्देशीय पत्रों पर साधारण दर से ₹ 5 का चार्ज लिया जाना था, न कि बिल मेल सेवा के ₹ 3 की रियायती दर का। पोस्टमास्टरों ने यह भी कहा है कि बिल मेल सेवा से संबंधित सही नियमों तथा प्रक्रियाओं का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, मैंगलौर, पुट्टूर, बेलगांव और गुलबर्ग के मुख्य डाकघरों एवं आर एम एस हुबली के संबंध में दिये गये जवाब स्वीकार्य नहीं हैं, जैसा कि विभाग ने कहा कि वस्तुओं की सख्या की निगरानी के लिये कोई रजिस्टर रखने के निर्देश नहीं थे और अब परिमंडलों को बिल मेल सेवा के अंतर्गत वस्तुओं की सख्या की निगरानी के लिये रजिस्टर रखने के निर्देश दिये गये हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यदि बिल मेल सेवा के अंतर्गत भेजी जाने वाली वस्तुओं की गिनती के लिये कोई निगरानी तंत्र नहीं था तो यह कैसे कहा जा सकता है कि मैंगलौर, पुट्टूर, हुबली, गुलबर्ग और बेलगॉम में एक समय पर 5000 से ज्यादा वस्तुएं प्रेषित की गईं।

इस प्रकार, बिल मेल सेवा से संबंधित नियमों का गैर-अनुपालन ₹ 2.74 करोड़ के राजस्व की कम वसूली में फलित हुआ।

3.4 vLohd'r pdkka (fMI vkuMZ pfd) dh jkf'k dh xj-ol wjh

vkakz i ns k, fcgkj rFkk >kj [k.M Mkd ifje.Myka ea ed; Mkd?kjka , oa e.Myh; dk; kzy; ka ea iHkkoh dk; bkgb ds vHkko ea egkRek xka'kh jk"Vh; xkeh.k jkstxkj xkj.Vh ; kstuk (, e th , u vkj bl th , l) ds vUrxr oru ds Hkqrku ds fy, jkT; ljdkjka l s iklr ₹ 11.62 djkm+ ds 1,364 vLohNr pdkka dh xj & ol wjh ea i fj.kkfer gpA

मार्च 2006, अगस्त 2009 और जनवरी 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) के अंतर्गत डाक घर बचत बैंक खाता द्वारा मजदूरी भुगतान के लिये आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड के डाक परिमंडलों ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, जिले का जिला कार्यक्रम समन्वयक, (डी पी सी) जो नरेगा योजना को लागू करने के लिये निर्धारित किया गया था, वह सम्भावित मजदूरी की राशि का भुगतान तथा एक महीने में जिले के डाकघरों में खोले जाने वाले खातों की संख्या का आंकलन करेगा तथा जिला मुख्यालय में स्थित मुख्य डाकघरों में भी समान राशि जमा के रूप में रखेगा। डाक विभाग द्वारा राशि की वसूली के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गयी:

- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मुख्य डाकघरों में प्रस्तुत किये गये चैकों को लेखा में लिया जायेगा तथा बिना किसी देरी के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जायेगा। मुख्य डाक पाल द्वारा चैक प्राप्ति तथा प्रेषण के रजिस्टर के माध्यम से चैक के निपटान की दिनांक का ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- चैक के अस्वीकृत होने की दुर्लभ स्थिति में मामला संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वय को बिना किसी देरी के राशि का भुगतान करने की मांग के साथ भेजा जाना था। साथ ही, यह मामला मंडलीय प्रधान अर्थात् अधीक्षक, डाकघर को भी तुरंत यथोचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट किया जाना था।

“अस्वीकृत नरेगा चैक” से संबंधित एक टिप्पणी अनुच्छेद सं. 2.2.6.3 (अनुलग्नक-IV), लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2012-13 में की गई थी। मंत्रालय ने अपने “की गई कार्यवाही टिप्पणी” (जुलाई 2013) में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा बताया कि परिमंडल प्रमुखों को निर्देश

दिया गया है कि वे उपलब्ध नियमों और प्रावधानों में बताये गये निदेशों का पालन करें। मंत्रालय ने परिमण्डलों को सितम्बर 2012 में आवश्यक सुधारक कार्यवाही करने व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं न होना सुनिश्चित करने हेतु भी सलाह दी थी।

हालांकि, अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के नमूना परीक्षण रिकॉर्ड से यह पाया गया कि आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड परिमंडलों के 13 मुख्य डाकघरों में मुख्य डाकघर व उप डाकघरों के स्तर पर सतर्कता न बरतने के कारण, नरेगा के भुगतान के लिये अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2013 तक राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 11.62 करोड़ की राशि के चैक अस्वीकृत हो गए और अस्वीकृत चैकों की राशि की अभी तक वसूली नहीं की गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1 में दिखाया गया है:

rkfydk-1

(₹ djkm+e)

Øe l a; k	ifjeMy dk uke	vof/k	ed; Mkd?kj ka dh dy l a; k	vLohd'r p'd dh l a; k	vLohd'r p'dka dh jkf'k
1	आन्ध्र प्रदेश	अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2012	5	513	5.95
2	बिहार	जून 2009 से अप्रैल 2013	7	787	5.23
3	झारखंड	दिसम्बर 2009 से सितम्बर 2010	1	64	0.44
	dy		13	1,364	11.62

लेखापरीक्षा द्वारा (अक्टूबर 2015 और मार्च 2016), यह इंगित करने पर, सहायक निदेशक (बी एफ), कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल (सी पी एम जी), आंध्र प्रदेश डाक परिमंडल, हैदराबाद ने तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते हुये (मार्च 2016) कहा कि दूसरे जिलों में डाक विभाग के पास पड़े एक-मुश्त जमा से अस्वीकृत चैकों की राशि की वसूली को प्रस्तावित किया गया है। यह भी कहा कि जिला मुख्यालयों में उपलब्ध रोलिंग फंड से अस्वीकृत चैकों की राशि काटने की संभावना की भी तलाश की जा रही है। बिहार व झारखंड परिमंडल के डाकपालों ने तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते हुये कहा कि अस्वीकृत चैकों की राशि की वसूली करने का प्रयास किया जायेगा।

उपरोक्त उदाहरण विभाग में प्रभावी कार्यवाही की कमी को दर्शाता है, परिणामस्वरूप 1,364 चैक अस्वीकृत होने से ₹ 11.62 करोड़ राशि की वसूली नहीं हो सकी बावजूद इसके कि सभी परिमंडलों को सितम्बर 2012 में यथोचित सुधारक कार्यवाही करने की सलाह दी गई थी ताकि ऐसी अनियमितता बार-बार सामने न आये।

डाक विभाग को ऐसे प्रभावी तंत्र की जरूरत है जिससे अस्वीकृत चैकों की वसूली के लिये तुरंत कार्यवाही हो सके एवं कमी होने पर संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित हो सके।

मामले को मार्च 2016 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2016)।

3.5 l fo7 pktl dh xj-ol yh

if'pe cæky vkj fnYyh Mkd ifjeMyka ds vrxr X; kjg eq; Mkd?kj, de7pkjh Hkfo"; fuf/k l æBu dh vkj l s i dku ds l forj.k grq pktl ds nkos ds fy, if0;k cjrus ea vl Qy jgs tks ₹ 0.83 djkm+ dh xj-ol yh ea Hkh ifrQfyr gqkA

जुलाई 2001 में डाक विभाग (डा वि) तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) ने सहमति से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनभोगी के पेंशन के संवितरण की योजना विभाग को सौंपी जिसका नाम था कर्मचारी पेंशन योजना-1995। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मुख्य डाकघरों में सभी वर्तमान पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान का मासिक विवरण (एम एस पी पी), मासिक पेंशन की कुल राशि के लिए एक एकाउंट पेयी चेक के साथ भेजा जाना था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशन की संचित राशि का, दो प्रतियों में एक संक्षिप्त विवरण मुख्य डाकघरों को, उप डाकघरों और मुख्य डाकघरों के माध्यम से संवितरण किये जाने के लिए, भेजनी थी। पेंशनभोगी के निजी खाते में पेंशन क्रेडिट करने के बाद हर महीने की 10 तारीख तक, मुख्य डाकघरों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशन की अवितरित राशि के चेक के साथ एम एस पी पी एवं एक संक्षिप्त विवरणी भेजना था जो क्रेडिट की तिथि को प्रमाणित कर सके (जिसमें अधीनस्थ डाकघरों की जानकारी शामिल हो)। मुख्य डाकघरों को संक्षिप्त विवरण में प्रमाणित पेंशन की संवितरण राशि का 2.5 प्रतिशत के दर से सर्विस चार्ज का दावा भी करना था।

पश्चिम बंगाल और दिल्ली डाक परिमंडलों के अंतर्गत 11 मुख्य डाकघरों के अभिलेखों (अगस्त 2014, अद्यतन मार्च 2016) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि इन मुख्य डाकघरों ने मार्च 2012 से फरवरी 2016 के दौरान ₹ 33.45 करोड़ की पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनभोगियों में वितरित किया। हालांकि, पेंशन भुगतान के मासिक विवरण (एम एस पी पी) के रसीद की दूसरी प्रतिलिपि एवं मुख्य डाकघरों द्वारा क्रेडिट की तिथि को प्रमाणित करने के संक्षिप्त विवरण (समरी शीट) प्राप्ति के बाद भी मुख्य डाकघरों द्वारा 2.5 प्रतिशत की दर से सर्विस चार्ज का दावा नहीं किया गया। मुख्य डाकघरों की ओर से इस कमी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ₹ 0.83 करोड़ की राशि के सर्विस चार्ज की गैर-वसूली देखी गई जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1 में दर्शाया गया है:

rkfydk&1

(₹ djkm+e9)

Øe l a; k	ifjeMy dke	i7kku Mkd?kjka dh l a; k	i dku forj.k dh vof/k	i dku forj.k dh jkf'k	l fo7 pktl dh jkf'k
1	पश्चिम बंगाल	2 ²⁷	मार्च 2012 से फरवरी 2015	31.35	0.78
2	दिल्ली	9 ²⁸	मार्च 2012 से फरवरी 2016	2.10	0.05
dy				33.45	0.83

²⁷ माल, कृच बिहार

²⁸ अशोक विहार, दिल्ली जी पी ओ, इन्द्रप्रस्थ, झिलमिल, कृष्णा नगर, लोधी रोड, नारायणा, सरोजनी नगर, रमेश नगर

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, मुख्य डाकघर माल के पोस्टमास्टर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2016) कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से सर्विस चार्ज की वसूली के लिए यथोचित कार्यवाही की जायेगी। कूच बिहार के पोस्टमास्टर ने कहा (मई 2015) कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्राधिकरण से अप्रैल 2004 से फरवरी 2015 तक के लिए सर्विस चार्ज का दावा किया गया था। दिल्ली परिमंडल के नौ मुख्य डाकघरों के पोस्टमास्टरों ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि सर्विस चार्ज की वसूली के लिए उन्हें आदेश प्राप्त नहीं हुये थे।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2016) कि, सर्विस चार्ज की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

इस प्रकार, सम्बंधित मुख्य डाकघरों द्वारा डाक विभाग के निर्देशों के पालन में असफलता, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ₹ 0.83 करोड़ के सर्विस चार्ज की गैर-वसूली में ही प्रतिफलित नहीं हुई बल्कि यह विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी का भी सूचक है।

v/; k; - IV

byDVkffudh rFkk l wpuk i kS| kfxdh foHkkx

4.1 LVSMjMkbt's ku VflVx , D DokfyVh l fvIQdsV MkbjDVj'sV (, l Vh D; w l h) kjk Hkou fuekZk ifj; kstuk ds fy, vuq; ; r , t h dk p; u

, l Vh D; w l h us mudh VDUks dkef' k; y l {kerk dks ij [ks fcuk Hkou fuekZk dk dk; Z l kQVos j VDUksykth ikdZ vkQ bf.M; k (, l Vh ih vkb) dks nus dk fu. k; fy; kA , l Vh ih vkbZ ds ikl dkbZ fl foy bathfu; fjx foax ugha Fkh vkSj vi us Bcdnkj , oa okLrdkj dks Bhd l s l EHkky u l ds vkSj dk; Z dks ij k fd; s fcuk gh NkM fn; kA bl l s t w 2016 dh lLFkr ds vuq kj , l Vh D; w l h dks Hkfe vko'u ds 14 o"KZ ds mijkUr Hkh fuekZk dk dk; Z ij k ugha gq/kA bl dk ; g Hkh ifj.kke gq/k fd ifj; kstuk ij ₹ 9.33 djkm+ dk fu"Qy 0; ; gq/k , oa , l Vh ih vkbZ ds ikl ₹ 3.47 djkm+ dk vojks'ku gq/kA

जैसा कि जी एफ आर का नियम 126 (2)¹ परिभाषित है, जी एफ आर के नियम 126 (4) के अनुसार ₹10 लाख से ऊपर अनुमानित मूल्य के सभी मूल कार्य शहरी विकास मंत्रालय से सलाह के उपरान्त लोक निर्माण संगठन के द्वारा करवाये जाने चाहिए।

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) जो कि इलैक्ट्रानिक एवम् सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) से संलग्न विभाग है, को वर्ष 2002 में नोयडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-62 नोयडा में सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक टेस्ट इंजीनियरिंग (सी ई टी ई) जो कि दक्षता आधारित प्रशिक्षण हेतु एस टी क्यू सी का विशेष संस्थान है, के स्थायी भवन निर्माण हेतु 5,350 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन निशुल्क किया गया था।

एस टी क्यू सी के लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित घटना-क्रम देखा गया:

- नवम्बर 2003 में एस टी क्यू सी ने सी पी डब्ल्यू डी को भवन निर्माण परियोजना एवम् भवन रूपरेखा के आरम्भ करने हेतु नियुक्त किया। आगे यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को सी पी डब्ल्यू डी से नहीं कराया जायेगा क्योंकि सी पी डब्ल्यू डी की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी।
- इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण परियोजना को तीन प्रतिशत विभागीय शुल्क सहित कुल ₹ 3.47 करोड़ की लागत के साथ बी एस एन एल (फरवरी 2005) को दे दिया जाये।
- मार्च 2005 में, एस टी क्यू सी ने एक अतिरिक्त क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया जिसके लिए डिजाइन और निर्माण प्रस्ताव को दुबारा तैयार किया जाना था। इस स्तर पर यह निश्चय किया गया कि यह कार्य साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्कस् आफ इण्डिया (एस टी पी आई) जो डी ई आई टी वाई की स्वायत्त संस्था है, इस तर्क के आधार पर कि एस टी पी आई के पास आई टी सम्बन्धी गतिविधियों के आधारभूत ढांचा विकास का विस्तृत अनुभव था,

¹ जी एफ आर के नियम 126 (2) यह वर्णन करता है "एक लोकनिर्माण संगठन में राज्य लोक निर्माण प्रभाग, अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन शामिल हैं जो सिविल या इलेक्ट्रीकल कार्यों को करने के लिए अधिकृत हैं जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम ई एस), सीमा सड़क संगठन आदि या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित सिविल या इलेक्ट्रीकल कार्य को सम्पन्न करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

को सौंपा जाये। अभिलेख में किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं था कि बी एस एन एल के स्थान पर एस टी पी आई को क्यों चुना गया। 15 अप्रैल 2005 को निर्माण कार्य एस टी पी आई को सौंपा गया।

- पुनः अगस्त 2005 में एस टी क्यू सी ने प्रस्तावित भवन में अतिरिक्त गतिविधियों को जगह देने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता महसूस की। ₹ 14.97 करोड़ की अनुमानित लागत पर निर्मित क्षेत्र 10,310 वर्गमीटर पुनरीक्षित किया गया जिसमें परियोजना लागत का एक प्रतिशत एस टी पी आई को सर्विस चार्ज के साथ दो वर्षों में पूर्ण करने की अवधि निर्धारित थी। दिसम्बर 2005 में एस टी क्यू सी ने एस टी पी आई को एस टी क्यू सी भवन निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से सौंप दिया।
- भवन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एस टी पी आई ने अगस्त 2005 में मानचित्र तैयार करने के लिए एक वास्तुकार (मैसर्स डी के एसोसियेट्स) को किराये पर लिया। उक्त परियोजना हेतु फरवरी 2006 में ठेकेदार के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी और जून 2006 में परियोजना हेतु ठेकेदार (मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स इंडिया) को 12 महीने की अवधि में परियोजना पूर्ण करने के लिए अनुबन्धित किया गया। यह देखा गया कि निर्धारित अवधि अर्थात् जुलाई 2007 तक परियोजना पूर्ण न हो सकी। अगस्त 2009 तक और फिर दिसम्बर 2009 तक अवधि पुनः बढ़ायी गयी।
- इसी मध्य, एस टी पी आई के साथ भुगतान सम्बन्धी कारणों से ठेकेदार द्वारा साईट पर कार्य बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात् दिसम्बर 2009 में एस टी पी आई ने कार्य जारी रखने में अपनी असमर्थता दिखाई। ठेका एवम् कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में एस टी पी आई, ठेकेदार एवम् वास्तुकार के मध्य मतभेद थे। नवम्बर 2010 में एस टी पी आई ने कई बार समयावधि बढ़ाने के बावजूद कार्य न करने से ठेकेदार द्वारा किये गये निम्न स्तर के कार्य निष्पादन को देखते हुए परफार्मेंस बैंक गारन्टी को भुना लिया। ठेकेदार ने विवाचना (आर्बिट्रेशन) के प्रावधान के लिए आवाहन किया और डी ई आई टी वाई के सचिव को विवाचक के नामांकन हेतु अनुरोध किया। जनवरी 2012 में विवाचक की नियुक्ति हुयी और विवाचना प्रक्रिया अभी भी जारी है। वास्तुकार सम्बन्धी विवाद के विषय में एस टी पी आई ने वास्तुकार काउंसिल के समक्ष मुद्दा उठाया।
- मुद्दे के निपटान के लिए डी ई आई टी वाई सचिव ने 13 अप्रैल 2012 को अर्थात् परफार्मेंस बैंक गारन्टी भुनाने के एक वर्ष चार माह देरी के पश्चात् एक बैठक बुलायी। एस टी पी आई ने 19 मार्च 2014 को एस टी क्यू सी को “जहां है जैसा है” आधार पर भवन का भौतिक स्वामित्व सौंपा। ₹ 14.97 करोड़ की स्वीकृत राशि में से ₹ 13.80 करोड़ की राशि परियोजना हेतु एस टी पी आई को हस्तान्तरित की गयी जिसमें से ₹ 9.33 करोड़ खर्च किये जा चुके थे।

एस टी पी आई से भवन का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने के पश्चात्, एस टी क्यू सी ने वर्ष 2014 में भवन निर्माण कार्य लेने एवम् शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित लागत आकलन हेतु सी पी डब्लू डी से सम्पर्क किया। हालांकि, सी पी डब्लू डी ने एक स्वायत्त संगठन द्वारा संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु जोर दिया, जिसके बगैर वे भवन निर्माण परियोजना हाथ में लेने में झिझक रहे थे, क्योंकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सी पी डी की कुछ टिप्पणी थी। अगस्त 2015 में संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र परीक्षण पूर्ण हो गया।

उपरोक्त पर लेखापरीक्षा ने पाया कि एस टी पी आई के पास सिविल इंजीनियरिंग विंग न होने के बावजूद, मंत्रालय के साथ साथ एस टी क्यू सी ने एस टी पी आई को उनके प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन किये बगैर भवन निर्माण कार्य सौंपने का निर्णय लिया। यह जी एफ आर के नियम 126 (4) के प्रावधानों का उल्लंघन था। यहां तक कि, एस टी पी आई को कार्य सौंपे जाने से पूर्व एस टी क्यू सी एवम् एस टी पी आई के मध्य कोई समझौता ज्ञापन या संधि हस्ताक्षर नहीं की गयी। सात वर्षों के विलम्ब के बावजूद एस टी क्यू सी भवन परियोजना लम्बित (नवम्बर 2015) थी।

मुद्दा उठाये जाने पर महानिदेशक, एस टी क्यू सी ने टिप्पणी स्वीकार करते हुये उल्लेख किया (जून 2016) कि एस टी पी आई के पास आई टी सम्बन्धी गतिविधियों का आधारभूत ढांचा विकास का बृहद अनुभव होने के कारण स्थायी वित्त समिति के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का उचित अनुसरण एवम् 2005 में माननीय मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अनुमोदन के उपरान्त परियोजना एस टी पी आई को सौंपी गयी। यह भी उल्लेख किया गया कि पर्याप्त परियोजना क्रिया प्रणाली को लागू किया गया और भवन के निर्माण में विलम्ब एस टी क्यू सी के कार्यक्षेत्र के बाहर था।

मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी भी सिविल इंजीनियरिंग विंग/इकाई की अनुपस्थिति में एस टी पी आई के पास निर्माण परियोजना हाथ में लेने के लिए न ही कोई विशेषज्ञता थी, न ही अधिदेश। अपने एवम् ठेकेदार के मध्य मुद्दों को सुलझाने में असफल रहने के बाद एस टी पी आई ने दिसम्बर 2009 में कार्य जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की जो कि कार्य के प्रति दायित्व का निर्वहन न करने के समान था एवम् व्यावसायिक रूझान में उनकी कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार एस टी क्यू सी भवन निर्माण कार्य के लिए अनुपयुक्त एजेन्सी (एस टी पी आई) का चयन से, जो न ही अपने ठेकेदार और न ही वास्तुकार को उचित तरीके से संभाल पायी और कार्य परित्यक्त कर दिया, एस टी क्यू सी भवन निर्माण परियोजना में अत्यधिक विलम्ब हुआ जिसके कारण ₹ 9.33 करोड़ का निष्फल व्यय एवम् ₹ 3.47 करोड़ अवरूद्ध हुआ क्योंकि एस टी क्यू सी को 2002 में आवंटित भूमि के 14 वर्ष पश्चात भी परियोजना अभी अधूरी है।

4.2 us kuy b1VhV; W vkQ LekVl xoueb1V, ghjkckn l s b&Hkkjr i kstDV ds fy, viz; Pr vupku vkj ml ij C; kt dh xj&ol yh

Mh b1 vkb1 Vh okb1 us us kyu b1VhV; W vkQ LekVl xoueb1V (, u vkb1 , l th) dks b&Hkkjr ij; kstuk r\$ kjh l fo/kk ds f0; k0o; u ds fy, ₹ 10.50 djkm+ dk vfxe fn; kA , u vkb1 , l th ds ifj; kstuk dks f0; kflor djus ea vl Qy jgus ij Mh b1 vkb1 Vh okb1 us fo'o cfd l s l kg; rk iklr , d vl; ifj; kstuk "bf.M; k b&fMyhojh vkQ ifcyd l fo1 d" tks fd iu% , u vkb1 , l th }kjk f0; kflor dh tkuh Fkh, ds fy, ₹ 3.36 djkm+ dh jkf'k foiffkr dh vkj viz; Pr vupku dh ₹ 0.78 djkm+ dh jkf'k , u vkb1 , l th ds ikl NkMrs gq ₹ 6.36 djkm+ , u vkb1 , l th }kjk Mh b1 vkb1 Vh okb1 dks oki l fd; s x; A Mh b1 vkb1 Vh }kjk viz; Pr vupku ij fnukad 31 tuojh 2016 rd ₹ 7.77 djkm+ C; kt dh jkf'k Hkh , u vkb1 , l th l s ol y ugha dh x; hA

भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम (एन ई जी पी) को देश भर में तेजी से लागू करने के लिये, सितम्बर 2008 में इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) जो पहले सूचना प्रौद्योगिकी (डी आई टी) विभाग था, ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एन आई एस जी), हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, "ई-भारत परियोजना तैयारी सुविधा" परियोजना के निष्पादन के लिये ₹ 10.50 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन

अक्तूबर 2008 में दिया गया तथा डी ई आई टी वाई द्वारा एन आई एस जी हैदराबाद को बाह्य सहायतायुक्त परियोजनाओं के अधीन ई-गवर्नेन्स मद से सहायता अनुदान के रूप में सारी राशि देने हेतु संस्वीकृति दिसम्बर 2008 में जारी की गई थी। परियोजना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी थी तथा पक्षकारों द्वारा जैसा आपसी सहमति हो, उस अवधि के लिये विस्तार भी दिया जा सकता था।

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 के अनुसार शुरु होने वाली परियोजना के प्रत्येक अवसर पर एन आई एस जी को वार्षिक कार्य योजना व कार्य क्षेत्र तैयार करना था व डी ई आई टी वाई से अनुमोदन प्राप्त करना था जबकि समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार एन आई एस जी द्वारा प्रस्तुत संशोधित व अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (आगे के अवसर के लिये) का मुल्यांकन व पहल की प्रगति की निगरानी, समझौता ज्ञापन के अनुसार डी ई आई टी वाई को करनी थी। अनुदान की संस्वीकृति के लिये निबन्धन एवं शर्तों में दिया गया कि अनुदान का कोई भी अप्रयुक्त भाग अनुदाता को अभ्यर्पित करना होगा।

जी एफ आर के नियम 209 (6) (ix) के प्रावधान के अनुपालन में, एन आई एस जी ने एक बॉन्ड दिसम्बर 2008 में निष्पादित किया था जिसके द्वारा एन आई एस जी अनुदान की संस्वीकृति के पत्र में उल्लिखित निबन्धनों एवं शर्तों को पूरा करने व अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में सरकार को सारी राशि का भुगतान करने के लिये सहमत था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एन आई एस जी ने कथित परियोजना पर न तो कोई काम शुरु किया था और न ही जैसा कि समझौता ज्ञापन में वर्णित था, कोई कार्य योजना/कार्य-क्षेत्र तैयार किया। इस प्रकार अनुदान की सारी राशि अप्रयुक्त रही। डी ई आई टी वाई ने इस अनिवार्य खंड पर कोई जोर नहीं दिया और निधि दिये जाने के बाद परियोजना शुरु होने पर निगरानी करने में विफल रहा।

एन आई एस जी को अग्रिम में दिये गये ₹ 10.50 करोड़ में से डी ई आई टी वाई ने (सितम्बर 2012) अन्य विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना “भारत ई-डिलीवरी जन सेवा”² के लिये ₹ 3.36 करोड़ का विपथन किया जिसे फिर से एन आई एस जी द्वारा निष्पादन किया जाना था तथा ₹ 6.36 करोड़ एन आई एस जी ने मार्च 2014 में अनुदान जारी होने की तिथि से पांच वर्षों से ज्यादा समय के बाद डी ई आई टी वाई को वापस कर दिया था बाकी अप्रयुक्त राशि ₹ 0.78 करोड़ एन आई एस जी के पास रही। डी ई आई टी वाई ने एन आई एस जी से अप्रयुक्त अनुदान पर 31 जनवरी 2016 (वुयखुद-VII) तक ब्याज की राशि ₹ 7.77 करोड़ वसूल नहीं की थी।

डी ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि अव्ययित शेष व उस पर ब्याज की वापसी का मामला एन आई एस जी के साथ उठाया गया था। यह भी बताया गया था कि ब्याज-राशि की वसूली के लिये सुसंगत प्रयास/अनुवर्तन किया जा रहा था।

इस प्रकार मंत्रालय, परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहा और पूर्व अनुदान की राशि की वापसी के लिए जोर दिये बगैर अप्रयुक्त अनुदान का अंश, अनियमित रूप से दूसरी परियोजना के लिए विपथित कर दिया और अनुदान की मंजूरी के लिए निबन्धन एवं शर्तों को लागू नहीं

² यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि अप्रयुक्त भाग का अंश “भारत ई-डिलीवरी जन सेवा” परियोजना के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन यूनिट की स्थापना के उद्देश्य से, दूसरे कार्य में लगा दिया जो सितम्बर 2014 तक पूर्ण की जानी थी परन्तु मार्च 2016 तक अधूरी रही।

किया। चूंकि परियोजना शुरू नहीं की गयी, इससे न केवल निधि का परिहार्य अवरोधन हुआ बल्कि परियोजना का अभिप्रेत प्रयोजन भी पूरा नहीं हुआ। आगे, मंत्रालय द्वारा एन आई एस जी से अप्रयुक्त अनुदान और उस पर ब्याज की वापसी के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2016 तक ₹ 8.55 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

मामला मार्च 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था जिस पर मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2016)।

4.3 i kLV xstq V bLVhV; W vkQ efMdy , tpsku , oa fj l pl (ih th vkbz , e bl vkj) p.Mhx<+ ds dEl; W/jhdj.k ds fy, vfoordh cksyh vkj l fonk

I h-M&d uk\$ Mk ds vfoordh cksyh vkj l fonk ds dkj.k “ih th vkbz , e bl vkj p.Mhx<+ ds dEl; W/jhdj.k” ifj; kstuk ds foHkUu Lrjka ij fØ; kUo; u ea njh gpbz ftl ds fy, ih th vkbz , e bl vkj us ₹ 4.28 djKM+ dk Hkqrku jksdkA bl ds vykok I h&M&d uk\$ Mk us dk; l dh ek=k ds l efpr vkadyu ds fcuk byfDV'd dcfyæ dk; l grq cksyh ea ₹ 24.20 yk[k dh , d eqr jkf'k mn?kr dhA bl ds ifj.kkeLo: lk ₹ 3.18 djKM+ ds dy fd; s x; s dk; l ds fo: } ih th vkbz , e bl vkj us ₹ 24.20 yk[k ds nkos Lohdkj fd; s ftl l s ₹ 2.94 djKM+ dh fuf/k dk vojksku gqkA

सेन्टर फार एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक वैज्ञानिक सोसाइटी ने टर्नकी आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (पी जी आई एम ई आर), चण्डीगढ़ (मार्च 2007) के साथ “पी जी आई एम ई आर के कम्प्यूटरीकरण” की ₹ 21.70 करोड़ मूल्य की परियोजना पर सर्विस लेवल करार (एस एल ए) किया जिसे समझौते के हस्ताक्षर की तारीख से 24 माहों के अन्दर तीन चरणों में निष्पादित करना था। परियोजना माह अप्रैल 2007 में प्रारम्भ की गयी तथा प्राथमिक रूप में इसमें पी जी आई एम ई आर में हास्पिटल इन्फोरमेशन सिस्टम (एच आई एस) के क्रियान्वयन को सम्मिलित किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(I) फेज I के सभी 19 कार्य, 6 दिन से 89 माह के विलम्ब से पूरे किये गये थे। दूसरे एवं तीसरे चरण में, प्रत्येक चरण में चार में से केवल दो कार्य पूर्ण किये गये थे और वह भी 19 से 35 माह के विलम्ब से। आगे यह भी देखा गया कि परियोजना के विभिन्न कार्यों के पूर्ण होने/पूर्ण न होने में विलम्ब मुख्यतौर पर सी-डैक एवं पी जी आई एम ई आर के मध्य समन्वय की कमी के कारण था, जिसका निम्नलिखित परिणाम हुआ:

- (अ) कार्यान्वयन से पूर्व साइट/डिजाइन/लेआउट को अन्तिम रूप न दिये जाने और विभिन्न उपकरणों के स्थान एवं लेआउट में बारम्बार परिवर्तन के कारण साइट की तैयारी में विलम्ब हुआ और उसी क्रम में सिविल, इलेक्ट्रिक कार्य आदि में भी विलम्ब हुआ।
- (ब) प्रणाली के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर घटकों पर समय पर सहमति नहीं होने की परिणति उनके देरी से आपूर्ति एवं स्थापना के रूप में हुई।
- (स) हास्पिटल इन्फोरमेशन सिस्टम के विभिन्न माड्यूल्स के परीक्षण संचालन के दौरान अन्तिम उपयोगकर्ता के प्रशिक्षण और पर्यावरण आदि से सम्बन्धित प्रचालन के मुद्दे सुलझाये नहीं जा सके।

अप्रैल 2008 और अगस्त 2015 की अवधि के मध्य, सी-डैक ने ₹ 12.16 करोड़ के 54 बिल जारी किये किन्तु विभिन्न कार्यों के पूरा न होने/विलम्ब से होने के कारण, पी जी आई एम ई आर ने ₹ 4.28 करोड़ रोकते हुए केवल ₹ 7.88 करोड़ का भुगतान किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2016) में बताया कि निम्नलिखित के कारण कार्य, माड्यूल और अंततः परियोजना के सारे चरणों में बदलाव हुआ:

- (i) सी-डैक ने परियोजना में विलम्ब नहीं किया। जो कुछ विलम्ब हुआ वह पी जी आई एम ई आर के कारण हुआ।
- (ii) पी जी आई एम ई आर ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकारों के पक्ष में साख पत्र खोलने में अनुचित विलम्ब किया जिससे परियोजना का क्रियान्वयन लगभग डेढ़ वर्ष के लिए बढ़ गया। इसके बावजूद सी-डैक ने प्रथम चरण में वर्ष 2009-10 तक सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीदकर उन्हें प्रतिष्ठापित कर लिया था और प्रणाली तभी से प्रचालन में थी। अन्तिम उपयोगकर्ता को इस प्रबन्धन प्रक्रिया परिवर्तन में कुछ समस्या थी और उनके अधिकांश उपयोगकर्ता विभिन्न विरासतीय कारणों से कम्प्यूटरीकृत प्रचालन में जाने के इच्छुक नहीं थे।
- (iii) सी-डैक और पी जी आई एम ई आर के मध्य हस्ताक्षरित सर्विस लेवल करार एक पक्षीय था। जबकि यह सी-डैक के कार्य पूर्ण करने के लिए एक निश्चित समय सारणी निर्दिष्ट करता है, इसमें परियोजना समय पर पूर्ण हो यह सुनिश्चित करने के लिए पी जी आई एम ई आर, सी-डैक को सहयोग करे, ऐसी कोई बाध्यता शामिल नहीं थी।

पूर्व में सी-डैक नोयडा ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में परियोजना के पूरा होने में देरी के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कारणों को जिम्मेदार बताया:

- (अ) पी जी आई एम ई आर द्वारा साइट को समय पर खाली नहीं कराया गया तथा सिविल और इलेक्ट्रिक डिजाइन के अनुमोदन में इसका अपना समय लग गया।
- (ब) निविदा वर्ष 2006 में प्रकाशित की गयी और वर्ष 2007 में पूरी हुई। इस समय अन्तराल के परिणामस्वरूप तकनीकी परिवर्तन हुए तथा इसके फलस्वरूप हार्डवेयर की विशिष्टियों एवं माड्यूल्स में परिवर्तन हुए। संशोधित तकनीकी विशिष्टियों के अनुमोदन में भी पी जी आई एम ई आर द्वारा विलम्ब किया गया।
- (स) सभी प्रशिक्षण एवं प्राथमिक परीक्षण होते हुए भी अन्तिम उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन के लिए कहा गया।

निम्नलिखित कारणों से सी-डैक/मंत्रालय द्वारा दिये गये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं:

- समझौते की शर्तों का पालन करना और परियोजना को निर्धारित समय अवधि में सुपुर्द करना सी-डैक का प्राथमिक उत्तरदायित्व था। निविदा प्रपत्रों के क्लॉज 7.13.15 (सेक्शन III: अनुबन्ध की सामान्य शर्तों) के अनुसार सी-डैक को साइट एवं इसके आस-पास का ज्ञान होना चाहिए था तथा भौतिक एवं जलवायु स्थितियों, कार्य की मात्रा एवं प्रकृति, खतरे, करार के तहत बाध्यताएं एवं दायित्वों को प्रभावित करने वाली आकस्मिकताएं एवं परिस्थितियां तथा इसके निष्पादन करने की इसकी क्षमता के बारे में स्वयं सन्तुष्ट होना चाहिए था। यह भी आवश्यक था कि भौतिक स्थिति और/या कार्य को प्रभावित करने वाली बाधाएं जो स्थापना पूर्व सर्वे/सुपुर्दगी अथवा स्थापना के समय पता चली, पर नियंत्रण करने के सारे उपाय किये जाते।

- निविदा प्रपत्रों (सेक्शन II: मुख्य बोलीदाता के लिए निर्देश) के क्लोज 26 में विशेष रूप से प्रावधान है कि क्रेता द्वारा मात्राएं, विशिष्टियाँ, सेवा या निविदा के क्षेत्र के अन्तर्गत परिवर्तन किये जाने के कारण लागत या कार्य के किसी भाग के लिए मुख्य बोलीदाता की परफारमेंस के लिए अपेक्षित समय में वृद्धि अथवा कमी की परिस्थिति में दोनों दलों द्वारा आपसी सहमति से निविदा के मूल्य या डिलीवरी शैड्यूल या दोनों में न्यायसंगत व्यवस्था बनायी जायेगी। तथापि, मुख्य बोलीदाता द्वारा समायोजन के लिए कोई दावा इस क्लोज के अधीन क्रेता के परिवर्तन संबंधी आदेश की तिथि के 30 दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, जब पी जी आई एम ई आर ने उपर्युक्त बताये गये आधार पर परियोजना के निष्पादन में विलम्ब किया तो सी-डैक द्वारा परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने हेतु समय में विस्तार के लिए अनुरोध नहीं किया।
- परियोजना की बाद की अवस्थाओं में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सी-डैक को सर्विस लेविल करार करने से पूर्व निविदा प्रपत्रों के नियम एवं शर्तों की जांच करनी चाहिए थी।

किसी भी स्थिति में 89 महीनों का विलम्ब न्यायसंगत नहीं है और कार्य प्रारम्भ करने से आठ वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी परियोजना अधूरी है जो कि परियोजना की अकुशल एवं गैर-समुचित प्रबन्धन को दर्शाता है जिसके लिए पी जी आई एम ई आर, चण्डीगढ़ ने किये गये कार्य के ₹ 4.28 करोड़ के भुगतान को रोक लिया।

(II) निविदा प्रपत्रों (सेक्शन II: मुख्य बोलीदाता के लिए निर्देश) के क्लोज 8 एवं 9 में स्पष्ट रूप में निर्धारित है कि उदघृत कीमतें निश्चित एवं अंतिम होनी चाहिए और निविदा की सम्पूर्ण अवधि में स्थिर हों तथा जो भी हो ऊपर की ओर कोई संशोधित नहीं होंगी। यूनिट दरें दर्शायी जानी अपेक्षित थी एवं उदघृत कीमतों में सभी सम्मिलित रहेगा। निविदा प्रपत्रों के सेक्शन डी के तहत, इलेक्ट्रिक प्वाइंट्स की विशिष्टियों का उल्लेख था और यह बताया गया था कि “कापर वायर एवं पी वी सी बेटन की यूनिट दर उदघृत होगी”।

सी-डैक नोयडा, फेस I के टास्क 5 (केन्द्रीकृत निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यू पी एस) स्वदेशी घटक-इलेक्ट्रिक केबिलिंग की स्थापना) के विरुद्ध दर उदघृत करते समय बिना समुचित रूप से निष्पादित किये जाने वाली मात्रा का मूल्यांकन किये, उपयोग की जाने वाली वास्तविक मात्रा की यूनिट वाइज दर के बजाय एकमुश्त मात्रा के लिए ₹ 24.20 लाख (₹ 22 लाख और ₹ 2.20 लाख कर के मद में) उदघृत कर दिये। यहां तक कि सर्विस लेविल करार के समय भी सी-डैक इलेक्ट्रिक केबिलिंग के लिए एकमुश्त राशि के लिए तैयार हो गया। सी-डैक ने एक मुश्त दरें उदघृत करते समय 10,000 मीटर केबिलिंग को ध्यान में रखा। कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान 1.29 लाख मीटर केबिल उपयोग में लायी गयी जिसके लिए सी-डैक ने कार्य के लिए ₹ 3.18 करोड़ का बिल प्रस्तुत किया। तथापि, पी जी आई एम ई आर ने इस कार्य के विरुद्ध केवल ₹ 24.20 लाख का दावा स्वीकार किया और बाकी ₹ 2.94 करोड़ को अस्वीकृत कर दिया।

यह इंगित करने पर (मार्च 2016), मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2016) में कहा कि पी जी आई एम ई आर द्वारा उदघृत दरों के लिए विशिष्ट फार्मेट दिया था और यू पी एस केबिलिंग की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सी-डैक ने 10,000 मीटर की यू पी एस केबिलिंग के लिए एकमुश्त दरें उदघृत की। यह एक स्पष्ट समझौता था कि निविदा प्रपत्रों में उदघृत केबिल की मात्रा और दरें आवश्यकतानुसार थी

क्योंकि पी जी आई एम ई आर वास्तविक आधार पर कार्य आदेश देगा। यह बिल्कुल आशंका नहीं थी कि पी जी आई एम ई आर ऐसे छोटे मामलों पर अड़ेगा। तथापि, जैसे ही इसका अहसास हुआ, मामला पी जी आई एम ई आर के साथ उठाया गया (सितम्बर 2009) और यू पी एस केबिलिंग के लिए यूनिट दरें सूचित की गयीं। अब पी जी आई एम ई आर ने वास्तविक आधार पर भुगतान पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

उत्तर, यू पी एस केबिलिंग के लिए एकमुश्त दर उदघृत करते समय वास्तविक मात्रा के मूल्यांकन, कार्य की लागत एवं प्रचालनात्मक कठिनाइयों के निर्धारण में सी-डैक की विफलता को उचित नहीं ठहराता है। इसके परिणामस्वरूप पी जी आई एम ई आर ने यू पी एस केबिलिंग कार्य के सम्बन्ध में ₹ 2.94 करोड़ अस्वीकृत कर दिये।

इस प्रकार, सी-डैक नोयडा के अविवेकी बोली एवं संविदा और यूपीएस केबिलिंग कार्य के लिए एकमुश्त बोली के अविवेकपूर्ण प्रस्ताव के कारण ₹ 7.22 करोड़ (₹ 4.28 करोड़ कार्यों के क्रियान्वयन के लिए एवं ₹ 2.94 करोड़ यू पी एस केबिलिंग पर) के धन का अवरोधन हुआ।

4.4 ehfM; k y& , f'k; k dks ctVh; l gk; rk dh vfu; fer fujlrjrk

foYk ea=ky; ds LkkFk-LkkFk ; tuk ea=ky; dh foijhr fvli .kh ds ckotw, fMi kVew vkQ byDVkkuDI , .M buQkjes ku VDUkykth (Mh bl vkbZ Vh okb) us ehfM; k y& , f'k; k (, e , y ,) ds viSy 2012 ea l eklr gkus okys ukS o"kh; fctud lyku ds fy, drcu/ ds vupeknu dh vof/k dh l ekfir ds mi jklr o"kl 2013-14 ds nkjku , e , y , dks ₹ 15.74 djkm+ dh l gk; rk vupku tkjh dhA

मीडिया लैब एशिया (एम एल ए), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अलाभकारी कंपनी के तौर पर दिनांक 20 सितंबर 2001 को निगमित हुई थी। मीडिया लैब एशिया भारत सरकार और मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (एम आई टी), यू एस ए के मध्य एक सहयोग था। इस सहयोग का लक्ष्य सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोगी सूचना एवं संचार तकनीक (आई सी टी) अनुसंधान का संचालन, ग्रामों में अनुसंधान परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा गरीबों की सेवा में उभरती तकनीक लाने में भारत को प्रधान प्रवर्तक बनाना था।

मीडिया लैब एशिया को दो चरणों में विस्तार करने की कल्पना की गयी थी: आरम्भिक चरण के लिए एक वर्ष तथा उसके उपरान्त नौ वर्ष के लिए पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यक्रम। वर्ष 2001-02 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान मीडिया लैब एशिया ने सहायता अनुदान के रूप में ₹ 124.29 करोड़³ की धनराशि प्राप्त की थी। मीडिया लैब एशिया और एम आई टी ने दिनांक 21 सितंबर 2001 को अनुसंधान एवं सहयोग अनुबंध (आर सी ए) पर हस्ताक्षर किए। यह सहमति बनी कि मीडिया लैब एशिया एक वर्ष के अन्वेषी चरण के दौरान एम आई टी द्वारा भारत के बाहर किए गए व्यय के लिए यू एस \$ 1.7 मिलियन (शुद्ध करों रहित) का भुगतान करेगी। आर सी ए की अवधि मार्च 2003 में समाप्त हो गई।

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी विभाग (डी ई आई टी वाई) ने मीडिया लैब एशिया की नई संरचना एवं व्यापार योजना के अनुमोदन, ₹ 262 करोड़ की दसवीं योजना परिव्यय (जिसमें से सरकार का

³ इसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी विभाग (डी ई आई टी वाई) द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान वाराणसी सूचना एवं संचार तकनीक (आई सी टी) आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (₹ 0.39 करोड़) तथा मानको के बारे में जागरूकता एवं संचार अभियान (₹ 0.08 करोड़) के लिए जारी ₹ 0.47 करोड़ शामिल नहीं हैं।

योगदान ₹ 227 करोड़ था) के साथ दिनांक 1 मई 2003 से नौ वर्षों की अवधि के लिए पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ तथा सरकार और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से प्राप्त धनराशि के अनुरूप मीडिया लैब एशिया के संगठनात्मक ढांचे को निर्धारित करने के लिए संचालन समिति के गठन हेतु, कैबिनेट टिप्पणी प्रस्तुत की। प्रस्तुत संशोधित कैबिनेट टिप्पणी पर कैबिनेट ने अपना अनुमोदन (जुलाई 2003) प्रदान किया। मीडिया लैब एशिया की नई संरचना एवं व्यापार योजना में परिकल्पित किया गया

- आई पी आर उत्पादन तथा परिणामी वैयक्तिक समर्थन संबंध पर आधारित परियोजना पर केंद्रित अभिविन्यास कार्यक्रम;
- सभी सामयिक इन-हाउस परियोजनाओं को इन पर कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं सहित उचित आई आई टी को स्थानान्तरित किया जाना है तथा कंपनी द्वारा निधि प्रदान करना जारी रहना;
- व्यापार योजना अधिकांश लोगों के लिए लाभदायक “अर्ली हारवेस्ट” परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी तथा एम एल ए नवीन उभरते अन्तर-अनुशासनिक क्षेत्रों जैसे बायोटेक्नोलॉजी एवं बायो-इनफॉर्मैटिक्स के साथ-साथ नैनो-टेक्नोलॉजी एवं नैनो-इनफॉर्मैटिक्स में अनुसंधान में सक्रिय योगदान देगी।

तथापि, दो विशिष्ट स्वतंत्र परियोजनाएं जैसे नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एन ई जी डी) और आई टी रिसर्च एकेडमी (आई टी आर ए) क्रमशः दिसंबर 2009 एवं नवंबर 2010 में मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) मंत्रालय के अनुमोदन पर एम एल ए को सौंपा गया।

केंद्रीय मंत्रीमण्डल (कैबिनेट) ने ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को अनुमोदित (मई 2006) किया। एक प्राथमिक दर्शन के साथ “सरल, नैतिक, उत्तरदायी, जवाबदेय एवं पारदर्शी” (स्मार्ट) शासन लाने के लिए सामान्य सेवा वितरक निर्गम के माध्यम से आम आदमी को उसके निकटतम क्षेत्र में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वहनीय कीमत पर इन सेवाओं की कुशलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एम एल ए के अन्तर्गत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एन ई जी डी) की स्थापना डी ई आई टी वाई को प्रदत्त नेशनल ई-गवर्नेंस कार्यक्रम (एन ई जी पी) से संबंधित मुख्य भूमिकाओं/कार्यों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। परियोजना पर कुल परिव्यय ₹ 41.49 करोड़ था एवं प्रथम अवमुक्ति (2009-10) की तिथि से तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाना था। एम एल ए के वार्षिक लेखों में देखा गया कि इस परियोजना के लिए 2014-15 तक एम एल ए को ₹ 290.67 करोड़ की धनराशि जारी की गयी थी।

आई टी रिसर्च एकेडमी (आई टी आर ए) इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी विभाग (डी ई आई टी वाई) द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सूचना तकनीक आधारित समस्या समाधान एवं उच्चवर्गीय विकास की शैक्षणिक संस्कृति को मजबूत करते हुए सूचना एवं संचार तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (आई टी) एवं तेजी से बढ़ती संख्या में शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्रोत का निर्माण करना है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 148.83 करोड़ थी एवं प्रथम अवमुक्ति (2010-11) की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित/लागू की जानी थी। इस परियोजना के लिए ₹ 38.60 करोड़ की धनराशि एम एल ए को 2014-15 तक अवमुक्त की गई।

इस संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है:

- चूँकि उपरोक्त परियोजनाएं, उन उद्देश्यों जिसके लिए एम एल ए गठित किया गया था, के लिये अनुरूप नहीं थी, इन परियोजनाओं को एम एल ए को सौंपे जाने के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियमित निधि प्रवाह को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त गतिविधियां अलग-अलग दिशाओं में हो गयी;
- यद्यपि व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) ने नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एन ई जी डी) की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस (एन आई एस जी) को सौंपने की अनुशंसा की थी, फिर भी इसकी जिम्मेदारी एम एल ए को दे दी गई।
- आई टी रिसर्च एकेडमी (आई टी आर ए) का उत्तरदायित्व एम एल ए को देने से पूर्व विकल्पो पर विचार नहीं किया गया।
- आई टी आर ए को एम एल ए को सौंपे जाने के डी ई आई टी वाई के प्रस्ताव पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने कहा था (मई 2010) कि परियोजना का क्रियान्वयन एम एल ए हेतु अंब्रेला स्कीम के लिए योजना के अंतर्गत किया जाएगा तथा इस नई पहल के लिए अतिरिक्त निधि का आवंटन सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके बावजूद, डी ई आई टी वाई ने 2014-15 तक एम एल ए को ₹ 38.60 करोड़ की धनराशि जारी की थी।
- 31 मार्च 2015 को ₹ 196.42 करोड़ की अनुदान राशि कम्पनी के पास अनुपयोगी पड़ी थी जिसमें से ₹ 172.64 करोड़ को तीन माह से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए जमा में रखा गया। यह दर्शाता है कि अनुदान का जारी होना उसके उपयोग से सम्बन्धित नहीं था किन्तु अनुदानों का संवितरण सामान्य रूप से किया गया जिसके परिणामस्वरूप, अनुदान की बड़ी धनराशि कंपनी के पास अवरुद्ध रही।
- नौ वर्ष की अवधि जिसके लिए कैबिनेट ने एम एल ए के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की थी, वह दिनांक 30 अप्रैल 2012 को समाप्त हो गई। दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक और 10 वर्षों के लिए एम एल ए को सरकारी बजटीय सहायता को जारी रखने के लिए प्रारूप कैबिनेट टिप्पणी, योजना आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को परिचालित की गई।

वित्त मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी में अवलोकित किया (दिसंबर 2012) कि

- एम एल ए द्वारा ली गई परियोजनाओं के परिणाम मूल्यांकन ने दर्शाया कि या तो परियोजनाओं का क्षेत्र अधिकतर स्थानीय है या उनका सीमित प्रभाव होगा;
- एम एल ए को सलाहकार अथवा प्रबंधक की भूमिका निभानी चाहिए तथा उत्पादों के विकास में शामिल नहीं होना चाहिए;
- आई टी आर ए एवं एन ई जी डी जिसकी स्थापना ग्यारहवीं योजना के अन्त में हुई, एम एल ए को सौंपने से एम एल ए जिसका निर्माण दस वर्षों के लिये था, का जीवन कृत्रिम रूप से बढ़ गया। इसके अलावा अनुशंसा की गई कि यह व्यवस्था अधिक समय के लिए नहीं होना

चाहिए तथा आई टी आर ए और एन ई जी डी को तुरन्त एम एल ए के अधिकार क्षेत्र से बाहर लाना चाहिए।

- एक दशक से अस्तित्व में होने के बावजूद एम एल ए ने अति सीमित परिणाम प्राप्त किए। यह समय के साथ सूचना तकनीकी विभाग (डी आई टी) के संबद्ध कार्यालय के रूप में मंत्रालय के कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान करने वाली तथा परामर्शदाता एवं सलाहकार का स्रोत बन चुकी है। कुछ अल्प प्रतिशत के अतिरिक्त यह आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय स्रोत (आई ई बी आर) उत्पन्न करने में लगातार असफल रही है एवं इस अध्याय को समाप्त करने के लिए विकल्पों को ढूंढा जा सकता है।

योजना आयोग ने अपने टिप्पणी में कहा कि एम एल ए द्वारा चिन्हित की गई एप्लिकेशन पहले से ही सी-डैक⁴, टी डी आई एल⁵ तथा डी ई आई टी वाई के अर्न्तगत अन्य प्रभागों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी और इसलिए एम एल ए द्वारा लिए जाने वाले विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों को चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है। यह भी संज्ञान में लिया गया कि नौ सालों से अस्तित्व में होने के बाद भी डी ई आई टी वाई, एम एल ए द्वारा आई ई बी आर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत निराशावादी दृष्टिकोण अपनाये हुए था, क्योंकि कंपनी अगले दो वर्षों में समेकन चरण में रहेगी। इसने, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल के अन्त तक लक्ष्यों की तुलना में एम एल ए के निष्पादन की समीक्षा तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उपर्युक्त प्रेक्षणों के बावजूद भी वर्ष 2013-14 के दौरान डी ई आई टी वाई ने एम एल ए को ₹ 15.74 करोड़ की सहायता अनुदान प्रदान की।

एम एल ए ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि 30 अप्रैल 2012 के बाद की अवधि के लिए वित्तीय सहायता को विस्तार देने का निर्णय व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) के अनुमोदन के आधार पर लिया गया ताकि चल रही परियोजना की गतिविधियों में व्यवधान नहीं आये एवं गतिविधियां रुके नहीं तथा विकट वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।

निम्नलिखित कारणों से उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- चूंकि कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2012 तक एम एल ए को पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यक्रम अनुमोदित किया था इस अवधि से परे एम एल ए को बजटीय सहायता का प्रस्ताव केवल केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए था।
- वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग ने एम एल ए को अनुमोदित अवधि के बाद बजटीय सहायता जारी रखने हेतु व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) के ज्ञापन पर अपनी अभ्युक्ति में एम एल ए योजना पर पुनः दृष्टिपात करने की सलाह दी थी।

मामला अप्रैल 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था जिसका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2016)।

⁴ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग

⁵ टेक्नोलाजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेज

4.5 I kbcj vihyh; U; k; kf/kdj.k }kjk ixdj.kka dh I ukokbz , oa fuLrkj.k ds i kFkfed dk; I dks u djuk

tqykbz 2011 I s I kbcj vihyh; U; k; kf/kdj.k ds v/; {k dh fu; fDr u gkuk I kFk gh U; k; kf/kdj.k ds I nL; ka dks cp ds xBu vkj vihyka ds fuLrkj.k grq 'kFDr i nku djus ds i ko/kkuka dh deh ds dkj.k bl ds xBu dk eny mnns; ; vi Qy gqvk ftl ds ifj.kkeLo: lk vi sy 2011 I s ekpl 2016 dh vof/k ds fy, ftl ea ekpl 2016 rd dhs vihy ds 66 ekeys yfEcr gkus ds ckotwn , d Hkh ixdj.k dh I ukokbz ; k fuLrkj.k ughs gqvk, oru , oa vU; LFkki uk ij ₹ 27.64 djkm+dk fu"Qy 0; ; gqvkA

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी वाई ए टी) एक सांविधिक संगठन है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (अधिनियम) के खण्ड 48 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गठित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत यह नियंत्रक के आदेश या न्याय निर्णायक अधिकारी⁶ के विरुद्ध एक अपीलीय प्राधिकरण है। 2006 में जब अधिकरण की स्थापना हुई थी तब इसे साइबर धोखेबाजी के निवारण हेतु एक विनिदिष्ट फोरम माना गया था। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यक्रम के निर्वाहन के लिये उतनी ही शक्तियां हैं जितनी सिविल प्रक्रिया कोड 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट के पास है। न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और उतने ही अन्य सदस्य शामिल हैं जितने कि केन्द्र सरकार कार्यालयीन गजट की अधिसूचना के तहत नियुक्त करे। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का चुनाव केन्द्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 जून 2011 को पिछले अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति के पश्चात जून 2016 तक कोई भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ और इसी कारण इस अवधि में कोई भी विधिक आदेश उच्चारित नहीं किया गया। तथापि, सदस्य⁷ एवं अन्य स्टाफ तब से साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपनी सेवाएं जारी रखे हैं और अपीलों की सुनवाई और निस्तारण के इसके प्राथमिक कार्य को किये बिना 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए इसके स्थापना पर ₹ 27.64 करोड़ का व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया सक्रिय विचार में है। आगे, मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए, यह हो सकता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यायाधिकरण के सदस्यों को बेंच के गठन एवं अपील के निपटान के लिए शक्तियाँ दे दी जाएँगी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह तथ्य फिर भी बना है कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण पिछले पांच वर्षों से निष्क्रिय है और बेंच के गठन और निर्णय प्रदान करने के लिए अपीलों/केस की लिस्टिंग के अपने मुख्य कार्य को नहीं कर रहा है। मार्च 2016 तक, अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के

⁶ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 केन्द्र सरकार को निदेशक, भारत सरकार या राज्य सरकार के समकक्ष अधिकारी के स्तर से निम्न न हो ऐसे किसी अधिकारी को, इसकी जाँच करने के लिए कि कहीं किसी व्यक्ति ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए किसी भी नियम, कानून, दिशा-निर्देशों या आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया जिसके लिए वह मुआवजा देने या दंड का भागी हो, बतौर न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है।

⁷ 1. न्यायमूर्ति एस के कृष्णनन, न्यायिक सदस्य : 21 दिसम्बर 2011 से 8 नवम्बर 2012
 2. डा एस एस चाहर, न्यायिक सदस्य : 1 अप्रैल 2015 से आगे
 3. डा आर एन सिंह, तकनीकी सदस्य : 2 नवम्बर 2012 से आगे

कारण अपील के 66 केस अभी तक लंबित थे। इस प्रकार, नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के कारण व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों का कोई निवारण नहीं था।

इस प्रकार, मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण मूल उद्देश्य जिस हेतु साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन हुआ, असफल रहा और 2011-12 से 2015-16 की अवधि में इसके स्थापना पर ₹ 27.64 करोड़ के व्यय में भी फलित हुआ। इसके अतिरिक्त, देश में साइबर धोखेबाजी से पीड़ित लोगों के पास अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिये उच्च न्यायालयों, जो कि पहले से ही लंबित मुकदमों की वृहद् संख्या के बोझ से दबे हैं, में जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा।

4.6 I k[Vos j VDUkykth ikdZ vkQ bf.M;k (,l Vh ih vkb) }kjk bUVjikt fj l kl Z lykfuax (bz vkj ih) ifj; kstuk ij fu"Qy 0; ;

th ,Q vkj ds vfuok; Z iko/kkuka dk mYyZku djrs gq ,l Vh ih vkbZ us Bcdnkjka dh vkj l s gpl xyfr; ka ds fy, ifjfu/kkZjr {kfriwrZ ds vkjka .k l s NW nh ft l l s mlgs ifj; kstuk dks l e; l s ijk djus dh mudh ck/; rk dks de dj fn; kA ifj; kstuk ds ijk u gkus ds dkj .k ₹ 1.80 dj kM+ dk ijk [kpZ 0; FkZ jgkA

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क आफ इण्डिया (एस टी पी आई) ने एस टी पी आई में आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरापृष्ठ के लिए ई-गवर्नेन्स प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए उद्यम संसाधन योजना (ई आर पी) लागू करने का कार्य अगस्त 2005 में मैसर्स ओरेकल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (ओ आई पी एल) को सौंपा। ओ आई पी एल ने मैसर्स प्राइसवाटरहाऊस कूपर प्राइवेट लिमिटेड (पी डब्ल्यू सी) को अपने एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य के निष्पादन के लिए नामित किया तथा पी डब्ल्यू सी के माध्यम से ओरेकल लाइसेंस एवं सेवाओं के लिए क्रय आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, 17 अगस्त 2005 को एस टी पी आई ने ओरेकल एप्लीकेशनस 11i/टेक्नोलॉजी लाइसेंस डिलीवरी एवं कार्यान्वयन के लिए पी डब्ल्यू सी को ₹ 2.85 करोड़ का क्रय आदेश निर्गत किया जिसमें पी डब्ल्यू सी द्वारा कार्यान्वयन पश्चात् तीन वर्ष की सहायता सहित लाइसेंस के लिए ₹ 1.15 करोड़ एवं कार्यान्वयन की लागत के लिए ₹ 1.70 करोड़ शामिल था।

बाद में, एस टी पी आई और ओ आई पी एल के बीच (1 सितम्बर 2005) एवं एस टी पी आई और पी डब्ल्यू सी के बीच (19 सितम्बर 2005) एक समझौता किया गया जिसमें समझौते के तीन माह के भीतर ही कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि बतायी गयी।

फिर भी, चार वर्ष से ज्यादा के अन्तराल के बाद भी मुख्य आठ माड्यूल में से केवल दो ही माड्यूल पी डब्ल्यू सी द्वारा आंशिक रूप से पूर्ण किये गये। यहाँ तक कि, पी डब्ल्यू सी द्वारा समरूपित माड्यूल एस टी पी आई की जरूरत के अनुरूप कार्य नहीं कर पाये। इस बीच मार्च 2009 के अन्त तक परियोजना पर ₹ 1.80 करोड़ का खर्च किया गया जिसमें पी डब्ल्यू सी को ₹ 1.34 करोड़ के भुगतान एवं हार्डवेयर की खरीद पर ₹ 0.46 करोड़ का खर्च भी शामिल था।

चूंकि परियोजना को कार्यान्वित करने में कोई आगामी प्रगति नहीं देखी गयी अगस्त 2010 में परियोजना को खत्म करने तथा एस टी पी आई द्वारा परियोजना में उठायी गयी हानि/नुकसान की वसूली का निर्णय लिया गया। अप्रैल 2012 में पी डब्ल्यू सी के विरुद्ध विवाचन कार्यवाही शुरू की गयी

जो कि (जनवरी 2016) तक प्रगति पर थी। आगे, विधि परामर्शदाता की सलाह पर एस टी पी आई ने ओ आई पी एल के खिलाफ सितम्बर/अक्टूबर 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि संविदा के सामान्य सिद्धान्त जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 204 (xvi) में प्रावधानित है, के अनुसार सभी संविदाओं में ठेकेदारों द्वारा किये गये चूक के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए प्रावधान होना चाहिए। तथापि, उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत ओ आई पी एल एवं पी डब्ल्यू सी के साथ हुए करार में विशेष रूप से परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के आरोपण से छूट की उपवाक्य (क्लाजेज) रखी गयी जिससे उन्हें, संविदा को समय से पूर्ण करने तथा संविदा की शर्तों को लागू करने के दायित्व से राहत मिली।

इनको इंगित करने पर (दिसम्बर 2015/अप्रैल 2016), एस टी पी आई/मंत्रालय ने जवाब दिया (जनवरी 2016/जून 2016) कि

- चूंकि यह योजना भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना थी, यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना की समाप्ति की देरी पर किसी भी दण्ड क्लोज को शामिल नहीं किया जाएगा। संविदा तथा समझौता इस प्रकार तैयार किये गये थे कि बिना किसी डर के कार्य को पूर्ण करने में सहूलियत हो। विश्वभर में ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वित सफलता दर की कमी को देखते हुए भारत में ऐसी परियोजनाओं को सफल रूप से कार्यान्वित करने का पूर्वानुमान उस समय नहीं लगाया जा सकता था।
- परियोजना को शुरू करने के लिए प्रारम्भिक स्तर पर खर्च की कुछ राशि आधारिक संरचना के लिए जरूरी थी।
- कथित पार्टियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, नुकसान/क्षतियों के दावे करते हुए पक्षकारों को वैधानिक चेतावनी भी दी गयी। एस टी पी आई ने पी डब्ल्यू सी के खिलाफ विवाचन कार्यवाही शुरू की जिसमें ₹ 30 करोड़ का दावा किया गया। विवाचन क्लोज के अभाव में एस टी पी आई ने दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट में ओ आई पी एल के खिलाफ रिट याचिका भी दायर की, हालांकि मुआवजे की मात्रा न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना ने साफतौर पर कार्य पूर्ति को परिभाषित किया था और ठेकेदारों द्वारा हुई गलतियों के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के आरोपण से छूट, जी एफ आर के अन्तर्गत दिये गये संविदा के सामान्य सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन था। इस छूट से ठेकेदार अपने सांविधिक दायित्वों से भी मुक्त हो गया।

अतः, जी एफ आर के अनिवार्य प्रावधानों के घोर उल्लंघन में एस टी पी आई ने ठेकेदारों द्वारा किये गये चूक के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के आरोपण से छूट दी जिससे उन्हें परियोजना को समय से पूरा करने की उनकी बाध्यता को कम कर दिया। परिणामस्वरूप, एस टी पी आई ठेकेदारों पर कोई भी दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने में असफल रही जिस कारण परियोजना पर ₹ 1.80 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

v/; k; - v

ea=ky; ds vlrkr l koftud {ks= ds mi Øe

5.1 Hkkjr l pkj fuxe fyfeVM (ch , l , u , y) }jkj usVodZ mi dj.kka dh vfoodi wZ [kjh

fMftVy Økl duDV fl LVe mi dj.kka dh [kjh ea ch , l , u , y dh vfoodi wZ dk; bkgH ds QyLo: lk b&jQd dkmZ fuf"Ø; gq vkj nks ifj; kst uk ifje.Myka ea ₹ 22.80 djkm+ dh iwth vo: } gpa

इंटरनेट प्रोटोकाल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज (आई पी टैक्स) एक पैकेट आधारित नेटवर्क है जो दूरसंचार सेवाओं की सुविधायें प्रदान करता है और विविध ब्राडबैंड सेवाओं, क्यू ओ एस समर्थित ट्रान्सपोर्ट तकनीकियों का इस्तेमाल करने में सक्षम एवम् जिसमें सेवाओं से सम्बन्धित कार्य, मूलभूत ट्रान्सपोर्ट तकनीकियों से स्वतन्त्र है। यह विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को अप्रतिबंधित सेवा की पहुंच प्रदान करता है। यह सामान्य परिचालन का समर्थन करता है जो उपभोक्ताओं को सेवाओं का एकरूप एवम् सर्वव्यापक प्रावधान, प्रदान करेगा।

मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) ने आई पी टैक्स परियोजना के लिए निविदा आमन्त्रित (सितम्बर 2007) किया जिससे पब्लिक लैंड मोबाईल नेटवर्क (पी एल एम एन) से आने वाले टाईम-डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग¹ (टी डी एम) के 4,868 किलो सर्किट का समर्थन प्राप्त मीडिया गेट ट्रंक मीडिया गेटवे (टी एम जी) के विविध साफ्ट स्वीच डोमेन की स्थापना पर विचार किया गया था। आई पी टैक्स वर्तमान पीढ़ी नेटवर्क से आने वाली पीढ़ी नेटवर्क के विकास की ओर पहला कदम था अर्थात् आई पी टैक्स वर्तमान लेवल-I टैक्स एक्सचेंज से आई पी आधारित नेटवर्क का प्रतिस्थापन था। आई पी टैक्स परियोजना के लिए क्रय आदेश (जनवरी 2009) जारी किया गया और क्रय आदेश दिये जाने के 12 सप्ताह के अन्दर उपकरणों की आपूर्ति एवम् स्थापना की जानी थी।

बी एस एन एल ने मैसर्स पृथ्वी इन्फार्मेशन सोल्यूशन लिमिटेड, हैदराबाद को ₹ 228.94 करोड़ की कुल लागत का ओ ई ओ आधारित डिजिटल क्रॉस कनेक्ट सिस्टम (डी एक्स सी) उपकरण की खरीद एवम् आपूर्ति का क्रय आदेश (पी ओ) दिया (जून 2009)। डी एक्स सी, बी एस एन एल की विभिन्न सेवाओं जैसे कि मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्वीचिंग (एम पी एल एस) नेटवर्क, ब्राड बैंड (बी बी) सेवायें, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, मोबाईल सेवायें इत्यादि के मुख्य आधार कड़ी की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। डी एक्स सी एक ऐसा सर्किट स्विच नेटवर्क उपकरण है जो दूरसंचार नेटवर्क के काम आता है तथा लगाये हुये संचार उपकरणों और नेटवर्कों में बेहतर प्रबन्धशीलता, विश्वसनीयता एवम् चलाये रखने योग्य बनाता है।

डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश में सम्मिलित ₹ 31.86 करोड़ के 59,504 इंटरफेस कार्ड को बी एस एन एल दक्षिणी संचार परियोजना (एस टी पी) और पश्चिमी संचार परियोजना (डब्ल्यू टी पी) को आपूर्ति किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डी एक्स सी उपकरणों के

¹ टाईम-डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (टी डी एम) प्रसारण के स्वतन्त्र सिग्नल के प्रेषण और प्राप्ति की ऐसी प्रणाली है जिससे एक सामान्य सिग्नल के रास्ते से प्रसारण के प्रत्येक छोर पर सिन्क्रोनाइज्ड स्विचेज के द्वारा स्वतन्त्र सिग्नल के प्रेषण एवम् प्राप्ति हो ताकि प्रत्येक सिग्नल समय के सूक्ष्म अवधि में एकान्तर तरीके के रूप में दिखाई दे।

साथ एस टी पी को आपूर्ति किये गये ₹ 11.52 करोड़ के 28,044 इन्टरफेस कार्ड में से 24,590 कार्ड एवम् डब्ल्यू टी पी को आपूर्ति किये गये ₹ 11.28 करोड़ के 31,424 इन्टरफेस कार्ड में से 25,525 कार्ड मार्च 2015 तक अनुपयोगी ही रहे।

जैसा कि बी एस एन एल ने पहले ही जनवरी 2009 में आई पी टैक्स उपकरणों के क्रय आदेश दिये थे, जून 2009² में डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश जारी करने से पूर्व आई पी टैक्स के परियोजना कार्यालयों के सन्दर्भ में आपूर्ति एवम् कार्यान्वित करने के लिए डी एक्स सी उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन करना चाहिये था। आवश्यकता का आंकलन न करने एवम् डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश सामान्य रूप से देने के कारण दो परियोजना परिमण्डलों में इन्टरफेस कार्डों की आपूर्ति अधिक होने के कारण ₹ 22.80 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हो गयी।

एस टी पी ने उत्तर (फरवरी 2015) दिया कि बी एस एन एल कारपोरेट कार्यालय (सी ओ) ने डी एक्स सी उपकरणों की खरीद के लिए 2006 से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी और जून 2009 में क्रय आदेश जारी किया गया था। विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक के महत्व एवम् विश्वसनीयता स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सिन्क्रोनस ट्रांसपोर्ट माड्यूल लेवल-1 (एस टी एम-1) इन्टरफेस निर्धारित किया गया। किन्तु तकनीक के परिवर्तन के कारण एस टी एम-1 पोर्ट में भरण की बढोत्तरी नहीं हो पायी। टी डी एम से आई पी में परिवर्तन से बी एस एन एल अवगत था और इसीलिये गीगाबाइट इथरनेट (जी ई) लेबल पर पर्याप्त पोर्ट उपलब्ध करवाये गये। पुराने ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज (टैक्स) दूरभाष केन्द्रों से नये आई पी एक्सचेंज में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप जी ई इन्टरफेस का उपयोग बढा एवम् एस टी एम-1 इन्टरफेस का भरण कम हुआ।

डब्ल्यू टी पी ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि विभिन्न प्रकार के इन्टरफेस कार्डों की प्राप्ति की मात्रा की योजना एवम् प्राप्ति, कारपोरेट कार्यालय द्वारा की गयी और डब्ल्यू टी पी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। पुनः यह भी कहा गया कि तकनीक में शीघ्र परिवर्तन के कारण इन्टरफेस पोर्ट की आवश्यकतायें भी परिवर्तित हो रही थी और डेन्स वेवलेन्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डी डब्ल्यू डी एम) के कोर नेटवर्क में उच्च क्षमता को देखते हुए डी एक्स सी में एस टी एम-1 पोर्ट की आवश्यकता बहुत कम थी।

परियोजना परिमण्डल के उत्तर से स्पष्ट है कि बी एस एन एल कारपोरेट कार्यालय ने डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश जारी करते समय न तो संचार तकनीक में हो रहे तकनीकी परिवर्तन को और न ही परियोजना की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। परिणामस्वरूप, इन्टरफेस कार्ड की खरीद में बी एस एन एल प्रबन्धन की अविवेकपूर्ण कार्यवाही, ₹ 22.80 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध होने में फलित हुई।

² जबकि आई पी टैक्स साफ्ट स्विच बेस था, डी एक्स सी सर्किट स्विच नेटवर्क उपकरण था इसलिए आई पी टैक्स के साथ अनुकूल नहीं था।

5.2 'kkV/ eš st l fo] VfeLus ku i Hkkj dh xš & fcyæ

ch , l , u , y us , l , e , l VfeLus ku pktt dh fcyæ ds fy, fcuk rdudh
 0; oLFkk ds rhu nj l pkj l ok inkrkvka ; Fkk Hkkjrh , vjVsy, vkbfM; k l syqj
 , oa okMkQku ds l kFk , l , e , l ds vkbZ ; w l h ds fy, “, Ms Mk Vq bVj duDV
 , xheW” ij gLrk(kj fd; A , l , e , l MkVk dks l jf{kr, l R; ki u , oa Hkkjrh
 , vjVsy rFkk okMkQku l s ikr fcyka (nkoka) ds feyku u djus ds dkj .k, ch , l
 , u , y , drjQk nkf; Ro ds fy, l keus vk x; hA

ट्राई द्वारा इन्टरकनेक्ट यूसेज प्रभार (आई यू सी) के ढांचे की स्थापना दूरसंचार आई यू सी विनियम 2003 के माध्यम से जनवरी 2003 में की गई थी जो कि 1 मई 2003 से लागू हुई। उस समय, वॉयस सम्बंधी प्रभारों पर ध्यान दिया गया था तथा शॉर्ट मैसेज सर्विस (एस एम एस) टर्मिनेशन प्रभार को अलग रखा गया था। यद्यपि, जनवरी 2003 योजना के विनियम को समय-समय पर परिशोधित किया गया, एस एम एस के लिए आई यू सी पर अलग रखने की नीति को जारी रखा गया। दिनांक 9 मार्च 2009 के आई यू सी के विनियमों में ट्राई ने पुनः एस एम एस के लिए आई यू सी के मामले में अलग रखने की नीति को जारी रखने का निर्णय इस परंतुक के साथ लिया कि यदि कुछ एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार होते हैं, तो वे पारदर्शी, पारस्परिक तथा गैर-भेदभावपूर्ण होने चाहिए।

मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) के परिकलन के अनुसार, बी एस एन एल मौजूदा एस एम एस ट्रैफिक प्रवृत्ति के अनुसार ₹ 0.10 प्रति एस एम एस की दर से लगभग शुद्ध ₹ 3.79 करोड़ प्रति महीने का प्राप्तकर्ता था। उपर्युक्त परिकलन के आधार पर, बी एस एन एल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राइवेट संचालकों के साथ एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के लिए ₹ 0.10 प्रति एस एम एस की दर से पारस्परिकता के आधार पर करार करने हेतु अनुमोदन (सितम्बर 2009) दिया गया।

बी एस एन एल ने मैसर्स भारती एयरटेल (फरवरी 2010), मैसर्स आइडिया (फरवरी 2010) तथा मैसर्स वोडाफोन के साथ (अप्रैल 2010) अनुशेष करार किया। यद्यपि शेष प्रचालकों को आई यू सी प्रभार के कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु करार हस्ताक्षरित करने का अनुरोध (नवम्बर 2010, दिसम्बर 2010, जनवरी 2011, जुलाई 2011 एवं जनवरी 2013) किया गया, प्रचालकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और इस प्रकार कोई करार नहीं हुआ।

अनुशेष करार की धारा 6.7.1 के अनुसार, प्रचालक एक ही सेवा क्षेत्र में बी एस एन एल के नेटवर्क में एस एम एस के टर्मिनेशन के लिए बी एस एन एल को ₹ 0.10 का इन्टरकनेक्ट यूसेज प्रभार (आई यू सी) प्रति एस एम एस अदा करेंगे। पारस्परिक आधार पर बी एस एन एल भी सेलुलर मोबाइल टेलीकाम सर्विस (सी एम टी एस) को उनके नेटवर्क में अपने एस एम एस के टर्मिनेशन के लिए, प्रति एस एम एस ₹ 0.10 का आई यू सी प्रभार अदा करेगा।

बी एस एन एल ने एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के बाबत अप्रैल 2011 से अगस्त 2012 की अवधि के लिए मैसर्स भारती एयरटेल से ₹ 14.60 करोड़ एवं अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के लिए मैसर्स वोडाफोन से ₹ 9.70 करोड़ का दावा प्राप्त किया। ये दावे बी एस

एन एल द्वारा किये गये परिकलनों से व्यापक रूप से भिन्न थे, जिसके अनुसार बी एस एन एल को प्रचालकों से राशि प्राप्त होनी थी। इन बिलों/दावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

बी एस एन एल कॉर्पोरेट ऑफिस ने वर्ष 2010 के दौरान मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स आइडिया तथा मैसर्स वोडाफोन के साथ किए गए शॉर्ट मैसेज सर्विसेस (एस एम एस) टर्मिनेशन अनुशेष करारों के कार्यान्वयन के लिए अनुदेश जारी किए (जून 2013)। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान थे कि:

- अनुशेष करार की धारा 6.7.1 के अनुसार सभी प्रचालकों को, जिसमें मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स आइडिया तथा मैसर्स वोडाफोन शामिल हैं, एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के लिए ₹ 0.10 पैसे प्रति एस एम एस की दर से बिल दिए जाएंगे;
- उपर्युक्त तीन प्रचालकों के साथ किए गए अनुशेष करारों को 16 दिसम्बर 2012 से 31 मई 2013 तक प्रभाव में लाना था। उसके बाद 1 जून 2013 से एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार की वसूली शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेस टर्मिनेशन प्रभार विनियम, 2013 के अनुसार की जानी थी।
- अन्य सभी प्रचालकों को एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के बिल 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2013 तक की अवधि के लिए दिए जाने थे।

वोडाफोन ने आरोप लगाया (जनवरी 2014) कि बी एस एन एल ने अलग-अलग समूह के प्रचालकों के साथ अलग-अलग भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया तथा बी एस एन एल ने इस मुद्दे की जाँच एवं समाधान हेतु सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया (जून 2014)। समिति ने पाया (अक्टूबर 2014) कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2013 तक की अवधि का एस एम एस का काल डिटेल रिकार्ड (सी डी आर) डाटा बी एस एन एल के पास उपलब्ध नहीं था तथा डाटा के अभाव में विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अनुशेष करारों पर हस्ताक्षर करने वाले तीन प्रचालकों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। मार्च 2015 में समिति द्वारा की गयी निम्नलिखित सिफारिशों को मई 2015 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया:

- अनुशेष करार पर हस्ताक्षर न करने वाले सभी प्रचालकों को बिल जारी करने के निर्णय को वापस लिया जाए;
- तीन प्रचालकों के साथ हस्ताक्षरित किए गए अनुशेष करार को 16 दिसम्बर 2012 से लागू करने के निर्णय को वापस लिया जाए;
- न तो बी एस एन एल बिलों को जारी करेगा और न ही प्राइवेट संचालकों द्वारा जारी किये गये या जारी किये जाने वाले बिलों पर विचार करेगा;
- समिति ने तीनों प्रचालकों को यह सूचित करने के लिए सिफारिश की, कि बी एस एन एल अनुशेष करार को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बाकी प्रचालकों ने न तो अनुशेष करारों पर हस्ताक्षर किया है, न ही बी एस एन एल पर कोई बिल जारी किया है।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, बी एस एन एल ने तीन प्रचालकों को अनुशेष करार को कार्यान्वित न करने के अपने निर्णय के सम्बंध में सूचित किया। इस निर्णय से खिन्न होकर, एयरटेल तथा वोडाफोन ने माननीय दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण (टी डी एस ए टी) के सम्मुख बी एस एन एल पर एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार की गैर अदायगी का आरोप लगाते हुए अपील दायर की।

माननीय टी डी एस ए टी ने याचिकाकर्ताओं (मैसर्स वोडाफोन तथा मैसर्स भारती एयरटेल) को 16 दिसम्बर 2012 से 31 मई 2013 तक की अवधि के लिए, बी एस एन एल को आवश्यक ब्यौरे, जिसमें एस एम एस डाटा (प्रमोशनल तथा गैर प्रमोशनल) का द्विभाजन भी शामिल था, मुहैया कराने के निर्देश दिए तथा बी एस एन एल को इन ब्यौरों की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर डाटा के मिलान को पूरा करने का निर्देश (मार्च 2016) दिया। मिलान के आधार पर, प्राप्त देय राशि का भुगतान चार सप्ताह की अवधि के अन्दर किया जाना था। भारती एयरटेल और वोडाफोन से ये ब्यौरे बी एस एन एल को प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2016)।

यह देखा गया कि बी एस एन एल ने एस एम एस के सी डी आर डाटा को नहीं रखा और इस कारण से एयरटेल और वोडाफोन के दावे का विरोध करने के लिए कोई साधन नहीं था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि:

- 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2013 तक की अवधि के लिए बी एस एन एल में एस एम एस का सी डी आर डाटा उपलब्ध नहीं था तथा प्राइवेट प्रचालकों द्वारा जारी किये गए बिलों का बी एस एन एल द्वारा मिलान नहीं किया जा सका;
- अनुशेष करार का कार्यान्वयन साध्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इन तीन प्रचालकों के अलावा कोई प्रचालक अनुशेष करार हस्ताक्षरित करने लिए सामने नहीं आया, न ही इन्होंने वसूली के लिए बी एस एन एल पर बिलों को जारी करने में कोई रुचि दिखाई; और
- समय-समय पर बी एस एन एल, विनियामक तथा प्राइवेट प्रचालकों द्वारा सम्प्रेषित भिन्न एवं विविध निर्णयों के कारण, मामला जटिल हो गया तथा ट्राई के निर्देशों के अनुरूप बी एस एन एल ने एक गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि यद्यपि बी एस एन एल ने तीन प्रचालकों के साथ करार किए थे उस पर ट्राई के निर्देशों के अनुरूप पालन करना आवश्यक था, क्योंकि ये पारदर्शी, पारस्परिक एवं गैर-भेदभावपूर्ण थे, भारती एयरटेल एवं वोडाफोन से प्राप्त बिलों (दावों) के सत्यापन एवं मिलान न होने के कारण टी डी एस ए टी के निर्णय के परिपेक्ष में बी एस एन एल एकतरफा दायित्व के लिए सामने आ गयी।

5.3 eYVh i kskdky yoy fLofpæ (, e ih , y , l) fyad ds fcfyæ ea njh

nf{k.kh njh l pkj {ks= (, l Vh vkj), ch , l , u , y us , e , p vkj Mh dks , e ih , y , l l s us kuy ukyst usVodl (, u ds , u) lokbA/ vkQ iztd (ih vks ih) rd inku fd; s x; s 1th ch ih , l bl fyad dk fcy tkjh ugha fd; kA bl ds dkj.k ₹ 6.07 djkm+ ds cdk; s dk l p; u gqvkA

नेशनल मिशन आन इजुकेशन थू इन्फोरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी (एन एम ई आई सी टी) के अधीन आने वाले संस्थानों-विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों के लिए पूरे देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी) की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट सम्बन्ध विकसित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर (2013) हुआ। प्रस्तावित सम्बन्ध का उद्देश्य बी एस एन एल को, एम एच आर डी को एन एम ई आई सी टी के अधीन 419 विश्वविद्यालयों और 32,000 महाविद्यालयों की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने जिसमें इन संस्थानों को समाधान सहित कनेक्टिविटी प्रदान करने, जो उनको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) पर कनेक्ट करने के लिए सक्षम बनाने, इंटरनेट की पहुंच प्राप्त करने तथा नेटवर्क में किसी भी सर्वर से शैक्षणिक सामग्री को भी डाउनलोड/अपलोड करना सम्मिलित था, के लिए सहायता करना था।

एम ओ यू की वित्तीय इकरारनामें में अन्य बातों के साथ साथ, 1जी बी पी एस मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एम पी एल एस) “बेस्ट इफर्ट लिंक” के माध्यम से नेशनल नालेज नेटवर्क (एन के एन) के साथ इन्टरकनेक्टिविटी के लिए ₹ 2 करोड़ प्रति वर्ष, शुल्क निर्धारित किया गया और बी एस एन एल को, हिस्सेदारी धारक होने से, कीमत का 10 प्रतिशत वहन करना था। यह वार्षिक दरों के 90 प्रतिशत के लिए बिल बनाने से कार्यान्वित होना था और 10 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउंट के रूप में दिया जाना था। चयनित स्थानों³ पर लिंक की वार्षिक दरों की बिलिंग प्राधिकारी, बी एस एन एल के सम्बन्धित अनुरक्षण क्षेत्र और कलेक्शन प्राधिकारी, ब्राड बैंड नेटवर्क (बी बी एन) परिमण्डल थे। एम एच आर डी के लिए बिलिंग, वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर की पहली तारीख को करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2015) कि दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र (एस टी आर) ने हैदराबाद में एम पी एल एस से एन के एन पी ओ पी तक प्रदान किये गये 1जी बी पी एस ई लिंक के लिए दिसम्बर 2012 से नवम्बर 2015 की अवधि के लिए बिल जारी नहीं किये थे।

एस टी आर ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर (जुलाई 2015) में कहा कि हैदराबाद में एम पी एल एस से एन के एन तक प्रदान किये गये 1जी बी पी एस ई लिंक की बिलिंग नहीं हुई थी और अब (मई 2015) ₹ 6.07 करोड़ का बिल जारी किया जा चुका है।

³ एन के एन को, जो हैदराबाद में है, कनेक्टिविटी के लिए केवल एक 1जी बी पी एस एम पी एल एस लिंक प्रदान किया गया।

बिलिंग शैडयूल के अनुसार बिल जारी न किया जाना कमजोर आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाता है जिसके कारण राशि की वसूली में देरी होने के साथ बिल न की गई राशि पर ब्याज का नुकसान हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी गम्भीर वित्तीय संकट से गुजर रही है और कई वर्षों से नुकसान उठा रही थी। ऐसे परिदृश्य में कर्मचारियों को अधिक सतर्क होना चाहिए ताकि कोई सेवा बिना बिल के न रह जाय। अप्रैल 2016 तक वसूली नहीं हुई थी।

नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितम्बर 2016



(पी के तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितम्बर 2016



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

i fjf'k"V

i fjf'k"V-I

višy 2016 rd l pjk , oa l p uk i kS| kfxdh ea=ky; ds vrxr foHkkxka l s i r hf{kr, dh xbZ dk; bkg h fVli .kh dh l f{kr fLFkr

Øe l a; k	ys[kki jh{kk ifronu dh l a; k , oa o" kZ	dh xbZ dk; bkg h fVli .kh tks vi f{kr gS	vHkh rd vi klr	i = & 0; ogkj ds vrxr
Mkd foHkkx				
1	2015 की 20	1	शून्य	1
	dy	1	' kll;	1
nij l pjk foHkkx				
1	2006 (एन टी आर) की 9	1	शून्य	1
2	2014 की 17	2	शून्य	2
3	2015 की 20	6	शून्य	6
	dy	9	' kll;	9
byDVklludh , oa l p uk i kS kfxdh foHkkx				
1	2014 की 17	1	शून्य	1
2	2015 की 20	1	शून्य	1
	dy	2	' kll;	2
	dy ; ks	12	' kll;	12

i f'k"V -II

vi sy 2016 rd nj l pkj foHkkx ds vrxr l koZtfud {ks= mi Oe l s i rhf{kr,
dh xbl dk; bkg h fvli .kh dh l f{klr fLFkr

Øe l a; k	ys[kkijh{kk ifronu dh l a; k , oa o"Z	dh xbl dk; bkg h fvli .kh tks vi f{kr gS	vHkh rd vi klr	i =&0; ogkj ds vrxr
Hkkjr l pkj fuxe fyfeVM				
1	2000 की 6	2	शून्य	2
2	2001 की 6	2	शून्य	2
3	2002 की 3	1	शून्य	1
4	2002 की 6	1	शून्य	1
5	2003 की 5	6	शून्य	6
6	2004 की 5	2	शून्य	2
7	2005 की 5	3	शून्य	3
8	2006 की 9 (पी ए)	1	शून्य	1
9	2006 की 13	7	शून्य	7
10	2007 की 12	9	शून्य	9
11	2008 की पी ए 9	1	शून्य	1
12	2008 की सी ए 10	1	शून्य	1
13	2008 की सी ए 12	8	शून्य	8
14	2009-10 की सी ए 25	10	शून्य	10
15	2009-10 की पी ए 27	1	शून्य	1
16	2009-10 की 9	1	शून्य	1
17	2010-11 की 10 (पी ए)	2	शून्य	2
18	2011-12 की 3	7	1	6
19	2012-13 की 8	3	शून्य	3
20	2014 की 17	2	1	1
21	2015 की 20	9	7	2
	dy	79	9	70
egkuxj VsyhQku fuxe fyfeVM				
1	1999 की 3	1	शून्य	1
2	2003 की 5	1	शून्य	1
3	2004 की 5	2	1	1
4	2005 की 5	1	शून्य	1
5	2006 की 13	1	शून्य	1
6	2007 की 10	1	शून्य	1
7	2007 की 12	3	शून्य	3
8	2008 की सी ए 12	1	शून्य	1
9	2009-10 की सी ए 25	1	शून्य	1
10	2009-10 की 9	1	1	शून्य
11	2012-13 की 8	1	शून्य	1
	dy	14	2	12
	dy ; ks	93	11	82

vuyXud

vuyXud-I
[i §kxkQ 3.1.3.1 (d)]

eð dfe'k ds n'ud 'kq) vfHkof) jkf'k dks n'ud vk/kkj ij fuos'k
ugha dj us dk foj .k

(₹ e)

ekg	ih , y vkbZ	vkj ih , y vkbZ	dy
फरवरी 2014	51,28,330	42,118	51,70,448
मार्च 2014	67,06,111	1,37,915	68,44,026
अप्रैल 2014	91,09,003	35,18,242	1,26,27,245
मई 2014	1,28,56,102	50,88,224	1,79,44,326
जून 2014	5,75,29,593	1,27,55,085	7,02,84,678
जुलाई 2014	91,731,227	2,52,88,090	11,70,19,317
अगस्त 2014	7,00,43,951	1,73,69,756	8,74,13,708
सितम्बर 2014	8,56,74,445	44,27,412	9,01,01,857
अक्टूबर 2014	4,04,49,584	(-) 1,33,44,460	2,71,05,124
नवम्बर 2014	7,87,94,997	93,66,658	8,81,61,655
दिसम्बर 2014	4,75,11,974	63,48,497	5,38,60,471
जनवरी 2015	6,35,89,218	56,49,447	6,92,38,665
फरवरी 2015	7,36,12,024	56,63,158	7,92,75,182
dy	64,27,36,559	8,23,10,141	72,50,46,701

vfHkkr; ₹ 72.50 dj kM

vuyXud-II
[i j kxkQ 3.2.1]

31 epl 2015 rd Mkd foHkxh ds Lokfero es Hkouka dk foLr'r foj .k

Ø- l a	Mkd ifje.My	foHkxh; Hkou			fdjk; s dk Hkou			fdjk; k jfgr Hkou			dgy Hkou		
		Mkd	vkj , e , l	vU;	Mkd	vkj , e , l	vU;	Mkd	vkj , e , l	vU;	foHkxh;	fdjk; s dk	fdjk; k jfgr
1	आन्ध्र प्रदेश	308	7	14	1,995	35	8	129	0	0	329	2,038	129
2	असम	165	6	1	443	8	5	20	12	0	172	456	32
3	बिहार	181	6	4	803	35	0	99	0	0	191	838	99
4	छत्तीसगढ़	43	0	2	280	4	1	23	0	0	45	285	23
5	दिल्ली	121	4	5	222	3	0	40	0	0	130	225	40
6	गुजरात	250	0	5	1,041	22	2	40	0	0	255	1,065	40
7	हरियाणा	77	5	13	356	5	0	54	4	0	95	361	58
8	हिमाचल प्रदेश	75	1	5	371	6	3	20	0	0	81	380	20
9	झारखण्ड	66	2	0	339	17	1	54	0	0	68	357	54
10	जम्मू एवं कश्मीर	33	1	3	202	0	3	23	0	0	37	205	23
11	कर्नाटक	380	14	22	1,272	10	12	64	6	0	416	1,294	70
12	केरल	247	7	11	1,216	23	5	45	1	0	265	1,244	46
13	मध्यप्रदेश	198	4	28	778	11	1	99	0	0	230	790	99
14	महाराष्ट्र	358	10	29	1,761	40	5	138	1	2	397	1,806	141
15	उत्तर पूर्व	92	0	0	190	0	0	50	0	0	92	190	50
16	ओडिशा	145	7	31	956	23	42	96	4	0	183	1,021	100
17	पंजाब	137	2	6	528	12	1	95	0	0	145	541	95
18	राजस्थान	304	16	14	923	21	2	121	0	0	334	946	121
19	तमिलनाडु	285	18	12	2,228	30	12	83	0	0	315	2,270	83
20	उत्तर प्रदेश	293	13	12	2,032	59	4	209	0	0	318	2,095	209
21	उत्तराखण्ड	51	0	4	298	1	8	40	0	0	55	307	40
22	पश्चिम बंगाल	240	10	38	1,434	12	21	120	11	1	288	1,467	132
	dgy	4,049	133	259	19,668	377	136	1,662	39	3	4,441	20,181	1,704

vuyXud -III
[i j k x k Q 3.2.2]
Mkd foHkkx ds ikl [kkyh lykWka (Hkife) dk foLr'r foj.k

(₹ djkM+e)

Ø. l a	ifje.My	Yh gkYM				
		lykWka dh l a; k	{ks=Qy oxl ehVj ea	lykWka dh l a; k ftuds l a; k ea vf/kxg.k dh dher mi yC/k ugha gS	lykWka dh l a; k ftuds l a; k ea vf/kxg.k dh dher mi yC/k gS	lykWka ds vf/kxg.k dh dher
1	आन्ध्र प्रदेश	218	2,80,429.00	96	122	1.58
2	असम	36	1,56,069.00	29	7	0.24
3	बिहार	90	73,534.80	29	61	11.82
4	गुजरात	109	1,73,598.00	शून्य	109	43.34
5	हरियाणा	12	1,55,340.00	शून्य	12	11.16
6	हिमाचल प्रदेश	21	7,501.00	शून्य	21	0.02
7	जम्मू एवं कश्मीर	3	5,790.46	शून्य	3	0.02
8	झारखण्ड	56	1,08,197.08	38	18	0.23
9	कर्नाटक	334	4,19,089.00	शून्य	334	2.48
10	केरल	137	1,61,389.00	शून्य	137	2.59
11	मध्यप्रदेश	37	24,852.40	29	8	0.09
12	महाराष्ट्र	57	1,13,577.90	35	22	0.50
13	उत्तर पूर्व	13	35,917.48	7	6	0.01
14	ओडिशा	24	46,922.60	12	12	0.17
15	पंजाब	16	54,049.70	शून्य	16	0.35
16	राजस्थान	153	18,999.43	124	29	1.06
17	तमिलनाडु	147	2,78,563.00	105	42	0.72
18	उत्तर प्रदेश	39	28,791.70	34	5	0.39
19	उत्तराखण्ड	18	15,625.80	2	16	0.26
20	पश्चिम बंगाल	88	24,86,390.00	88	शून्य	उपलब्ध नहीं
	dy	1,608	48,07,627.35	628	980	77.03

vuyXud -IV
[i j kxkQ 3.2.3]

vfrØfer lykVka dk foLr'r fooj.k

(₹ yk[k e)

Ø. l a	ifje.My	vfrØfer lykVka dh l d; k	vfrØe.k dk d; y {ks=Qy (oxl ehVj e)	lykVka d; vf/kxg.k dh dher
1	आन्ध्र प्रदेश	11	4,151.00	14.39
2	असम	9	60,184.80	8.58
3	बिहार	28	17,587.27	उपलब्ध नहीं
4	गुजरात	21	3,768.63	3.97
5	हरियाणा	2	1,949.10	3.81
6	जम्मू एवं कश्मीर	4	3,492.07	0.04
7	झारखण्ड	16	26,101.84	14.04
8	कर्नाटक	33	13,533.55	5.36
9	केरल	8	21,926.46	1.72
10	मध्यप्रदेश	6	6,494.62	315.42
11	महाराष्ट्र	18	37,279.60	9.91
12	उत्तर पूर्व	7	19,515.81	204.10
13	ओडिशा	7	उपलब्ध नहीं	1.61
14	पंजाब	1	232.00	0.01
15	तमिलनाडु	3	474.24	700.42
16	उत्तर प्रदेश	28	50,664.74	97.05
17	उत्तराखण्ड	1	271.00	2.78
18	पश्चिम बंगाल	20	45,113.65	उपलब्ध नहीं
19	राजस्थान	18	11,455.45	11.07
	d; y	241	3,24,195.83	1,394.28

vFkkR; ₹ 13.94 dj kM

vuyXud -V
[i jkxkQ 3.2.5]

Mkd foHkkx }kj k foHkklu mnns ; ka ds fy; s i VVs ij fy; s x; s
[kkyh lykW/ka dk foLr foj.k

(₹ yk[k e)

Ø. l a	jkT; dk uke	[kkyh lykW/ka dh l q; k	{ks=Qy (oxl ehVj e)	i VVs dh jkf'k
1	आन्ध्र प्रदेश	1	836.13	0.31
2	बिहार	1	1,823.69	उपलब्ध नहीं
3	छत्तीसगढ़	5	3,723.00	उपलब्ध नहीं
4	दिल्ली	19	53,137.58	231.35
5	गुजरात	1	3,251.00	11.31
6	झारखण्ड	7	1,43,690.00	0.00 ¹
7	जम्मू एवं कश्मीर	3	7,553.34	12.08
8	कर्नाटक	11	1,20,227.34	7.99
9	केरल	7	6,816.43	14.43
10	मध्यप्रदेश	1	929.03	उपलब्ध नहीं
11	महाराष्ट्र	16	27,466.98	19.94
12	मिज़ोरम	2	284.66	उपलब्ध नहीं
13	ओडिशा	10	13,303.87	7.59 ²
14	पंजाब	4	813.94	3.33
15	उत्तर प्रदेश	6	10,658.12	28.50 ³
16	पश्चिम बंगाल	6	13,862.78	उपलब्ध नहीं
dy		100	4,08,377.89	336.83

vFkk; ₹ 3.37 dj kM

¹ 2 प्लॉटों के लिये रु. एक प्रति प्लॉट और 5 प्लॉटों की राशि उपलब्ध नहीं।

² मात्र 8 के लिये पट्टे का किराया। दो प्लॉटों की राशि उपलब्ध नहीं।

³ मात्र 4 के लिये पट्टे का किराया। दो प्लॉट निःशुल्क।

vuyXud -VI

[i §kxkQ 3.3]

₹ 2.74 djKM+ dh jkf'k dh de ol wjh dk foofj .k

(₹ yk[k e)

Ø. l a	ifje.My dk uke	ed; Mkd?kj/0; ol k; Mkd dlnz dh l a; k	vof/k	oLrqka dh dy l a; k	dy l xfgR dh xbl jkf'k	dy l xfgR dh tkus okyh jkf'k	de ol wjh dk xbl dy jkf'k
1	कर्नाटक	7	जनवरी 2008 से दिसम्बर 2015	40,61,609	121.85	203.08	81.23
2	बिहार	3	जुलाई 2007 से जनवरी 2016	13,83,806	41.51	69.19	27.68
3	झारखण्ड	1	जनवरी 2013 से जनवरी 2016	3,51,881	10.56	17.59	7.03
4	पश्चिम बंगाल	2	जुलाई 2008 से मई 2015	1,69,040	5.07	8.45	3.38
5	तमिलनाडु	3	मई 2014 से फरवरी 2016	6,78,674	20.36	33.93	13.57
6	ओडिशा	2	अप्रैल 2011 से फरवरी 2016	5,74,316	17.23	28.72	11.49
7	दिल्ली	3	जुलाई 2010 से जनवरी 2016	3,85,656	11.57	19.29	7.72
8	गुजरात	3	अगस्त 2010 से मार्च 2016	21,55,369	64.66	107.77	43.11
9	महाराष्ट्र	19	फरवरी 2008 से फरवरी 2016	39,14,460	117.43	195.72	78.29
	dy	43		13,674,811	410.24	683.74	273.50

vFkkR-₹ 2.74 djKM+

vuyXud -VII

[i j k x k Q 4.2]

oYMZ c&d }kjk l gk; rk i klr “bZ&Hkkjr i fj; kstuk” r\$ kjh l fo/kk ds l EclU/k ea us'kuy bL VhV; W vKMD LekVZ xouZ&V, gñjkckn }kjk Mh bZ vkbZ Vh okbZ dks cdk; k C; kt ftl dk Hkq;rku ugha fd; k x; k, dk foaj . k

(₹ e)

i fj; kstuk ds Lohdr dh frffk	jkf'k	31.03.09 rd ns C; kt	2009-10 ds fy; s ns C; kt	2010-11 ds fy; s ns C; kt	2011-12 ds fy; s ns C; kt	2012-13 ds fy; s ns C; kt	2013-14 ds fy; s ns C; kt	2014-15 ds fy; s ns C; kt	2015-16 ds fy; s ns C; kt (31.01.16 rd)	dy ; ksx
19.12.08	10,50,04,112	29,34,361	1,07,93,847	1,18,73,232	1,30,60,555	1,29,21,094	1,23,01,620	71,68,355	66,10,598	7,76,63,663

vFkk; ₹ 7.77 dj kM+

fVli .kh: th , Q vkj ds fu; e 209 (6)(ix) ds rgr 10 i fr'kr nj ij C; kt dh x.kuk

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in